IV वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन तथा प्रदर्शन

वर्ष 2019-20 में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का कामकाज बहुत अच्छा रहा जो उनकी आस्ति गुणवत्ता में हुए सुधार, पूंजी और प्रावधान बफर की बेहतर स्थिति और दो वर्षों के अंतराल के बाद लाभप्रदता की स्थिति में वापसी में देखा जा सकता है। ये सुधार महामारी के बावजूद वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में जारी रहे और ऋण अधिस्थगन, आस्ति वर्गीकरण में यथास्थिति बनाए रखे जाने और लाभांश अदायगी पर लगाए गए प्रतिबंधों ने इसमें सहायता की। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) जहाँ वसूली का प्रमुख माध्यम बनी रही, वहीं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) की वसूली दर में भी सुधार हुआ। आगे चलकर, नीतिगत उपायों को पुन: लागू किए जाने के साथ ही आस्ति गुणवत्ता में आने वाली खराबी से स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं हालांकि कई प्रकार के बफर इस दबाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं यथा -कोविड-19 के लिए किए गए प्रावधान तथा बाजार से उगाही गयी पूंजी।

1. भूमिका

IV.1 वर्ष 2018-19 में भारत के वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से हुए लाभ के बाद 2019-20 में यह क्षेत्र मजबूत हुआ। वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में ऋण आस्थगन तथा आस्ति वर्गीकरण में यथास्थिति बरकरार रहने के कारण वित्तीय कार्यनिष्पादन मजबूत बना रहा। वास्तव में, दबावग्रस्त आस्तियों की अधिकता में कमी आई और नई गिरावट को होने से रोका गया। मार्जिन में सुधार तथा अदत्त ऋणों की रिकवरी के साथ ही दो वर्ष के अंतराल के बाद बैंकिंग प्रणाली लाभकर स्थिति में परिणत हुई। ठीक इसी समय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूंजीकरण तथा इनके द्वारा बाजार से पूंजी जुटाने से मिली आंशिक सहायता के चलते पूंजीगत बफर मजबूत हुआ। रिज़र्व बैंक द्वारा समय पर किए गए नीतिगत उपायों से वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन पर तालाबंदी का तत्काल प्रभाव कम हुआ। आगे बढ़ते हुए, यद्यपि बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम उर्ध्वगामी दिशा में ही उन्मुख बना रहा, तब भी यह आर्थिक सुधार की चाल तथा प्रसार पर ही निर्भर रहा, जिसमें 2020-21 की दूसरी छमाही में धीरे-धीरे गति आ रही थी।

IV.2 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय 2019-20 तथा 2020-21 की पहली छमाही के दौरान 97 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के संदर्भ में, तुलन पत्र गतिविधियों पर परिचर्चा प्रस्तुत करता है जो कि खंड 2 में वर्णित बैंकों के वार्षिक लेखा[1] तथा परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणी पर आधारित है। इसके बाद, उनका वित्तीय प्रदर्शन तथा वित्तीय मजबूती की स्थिति क्रमशः खंड 3 एवं 4 में दर्शाई गई है। खंड 5 से 11 में ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन, स्वामित्व के स्वरूप, कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाएं, भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन, तथा भारतीय बैंकों का विदेशों में परिचालन, भुगतान प्रणाली विकास, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय समावेशन से जुड़े मामले शामिल किए गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी) तथा भुगतान बैंक (पीबी) से जुड़ी गतिविधियां का विश्लेषण खंड 12 से 15 में अलग से प्रस्तुत किया गया है। अंत में, निष्कर्ष खंड में, इन विश्लेषणों से निकले प्रमुख मुद्दों को रेखांकित किया गया है और उन पर आगे के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

[1] वार्षिक लेखा संबंधी बैंक-वार विस्तृत डेटा भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी टेबल में समानुक्रमित तथा प्रकाशित की जाती है जो कि https://www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

2. तुलन पत्र विश्लेषण

IV.3 2019-20 में सुस्त आर्थिक कार्यकलाप, कॉर्पोरेट तुलन पत्र की कर्जभार से मुक्ति तथा कमजोर या मंदित व्यापारिक मनोभाव से प्रभावित हुई ऋण आपूर्ति के चलते एससीबी के समेकित तुलन पत्र में गिरावट हुई, जिसके बाद 2020-21 की पहली छमाही में इसमें वृद्धि हुई है (सारणी IV.1)। देयता पक्ष में, जमाराशि वृद्धि में गिरावट ने बैंकों की वित्तीय कमजोरी में योगदान दिया (चार्ट IV.1)। कोविड-19 महामारी के बावजूद 2020-21 में निवेश तथा जमाराशि में (अब तक) वृद्धि के चलते सुधार हुआ।

सारणी IV.I: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन-पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक #		भुगतान बैंक		सभी एससीबी	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. पूंजी	51,060	72,040	21,344	26,866	77,809	85,710	4,213	5,151	-	1,035	1,54,427	1,90,802
2. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	5,46,066	5,80,886	5,27,665	5,82,425	96,979	1,08,987	5,821	11,047	-	-461	11,76,531	12,82,884
3. जमा	84,86,215	90,48,420	37,70,013	41,59,044	5,81,238	6,84,289	49,178	82,488	-	855	1,28,86,643	1,39,75,095
3.1. मांग जमा	5,52,461	5,71,383	5,17,356	5,47,521	1,71,907	2,17,874	1,955	2,381	-	8	12,43,679	13,39,167
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	27,99,445	30,41,902	10,45,648	11,72,739	59,459	70,007	7,245	10,284	-	847	39,11,797	42,95,779
3.3. मीयादी जमाराशियां	51,34,309	54,35,134	22,07,008	24,38,784	3,49,872	3,96,408	39,978	69,823	-	-	77,31,167	83,40,149
4. उधारियाँ	7,61,612	7,09,780	7,75,324	8,27,575	1,51,367	1,28,687	21,367	30,004	-	-	17,09,670	16,96,046
5. अन्य देयताएँ और प्रावधान	3,18,274	3,71,893	2,03,591	2,36,229	1,48,982	2,57,632	2,928	4,078	-	216	6,73,775	8,70,048
कुल देयताएँ / आस्तियां	**1,01,63,226**	**1,07,83,018**	**52,97,937**	**58,32,139**	**10,56,375**	**12,65,304**	**83,508**	**1,32,768**	-	**1,645**	**1,66,01,045**	**1,80,14,875**
1. भा. रि. बैंक में धारित नकदी और जमाशेष	4,55,974	4,36,736	2,06,654	2,72,616	33,660	55,048	2,328	5,058	-	33	6,98,616	7,69,492
2. बैंकों में धारित जमाशेष और मांग तथा अल्पकाल में देय मुद्रा	3,93,270	4,66,615	1,75,076	2,12,324	91,095	95,658	4,054	8,701	-	455	6,63,494	7,83,753
3. निवेश	27,02,033	29,40,636	12,22,045	12,93,031	3,83,433	4,31,277	14,953	24,203	-	694	43,22,464	46,89,842
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (ए+बी)	21,98,041	24,09,182	9,51,273	10,66,313	3,19,567	3,84,109	11,633	20,748	-	694	34,80,513	38,81,046
क) भारत में	21,67,070	23,71,783	9,32,574	10,57,074	3,05,764	3,62,547	11,633	20,748	-	694	34,17,040	38,12,845
ख) भारत से बाहर	30,970	37,399	18,699	9,240	13,803	21,562	-	-	-	-	63,473	68,201
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	157	102	-	-	-	-	-	-	-	-	157	102
3.3 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	5,03,835	5,31,352	2,70,772	2,26,718	63,866	47,168	3,320	3,455	-	-	8,41,793	8,08,694
4. ऋण और अग्रिम	58,92,667	61,58,112	33,27,328	36,25,154	3,96,726	4,28,072	59,461	90,576	-	-	96,76,183	1,03,01,914
4.1 खरीदे और भुनाए गए बिल	1,66,336	1,60,977	1,17,234	1,25,078	76,192	61,864	4	37	-	-	3,59,767	3,47,955
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि	24,71,666	24,16,408	9,45,461	9,83,165	1,79,764	2,05,130	5,433	6,872	-	-	36,02,323	36,11,575
4.3 मियादी ऋण	32,54,665	35,80,727	22,64,633	25,16,912	1,40,770	1,61,078	54,024	83,668	-	-	57,14,093	63,42,385
5. अचल आस्तियां	1,07,318	1,06,507	36,142	38,243	4,426	4,129	1,251	1,649	-	200	1,49,137	1,50,728
6. अन्य आस्तियां	6,11,963	6,74,412	3,30,693	3,90,770	1,47,036	2,51,120	1,461	2,580	-	263	10,91,153	13,19,146

टिप्पणी: 1: शून्य / नगण्य
2 #आंकड़े मार्च 2019 के अंत तक सात अनुसूचित एसएफ़बी से और मार्च 2020 के अंत तक 10 अनुसूचित एसएफ़बी से संबंधित है।
3 संख्याओं को ₹ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण घटकों का जोड़ उनसे संबंधित जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4 वार्षिक खातों पर विस्तृत बैंक-वार डेटा का मिलान किया जाता है और भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाओं में प्रकाशित की जाती है। यह https://www.dbie.rbi.org.in. में उपलब्ध है।

स्रोत: संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.1: एससीबी के चुनिंदा समुच्चय

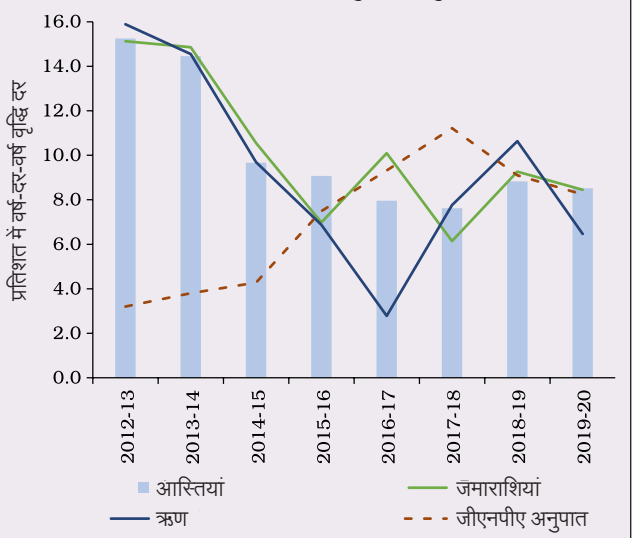

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा और ऑफ साइट विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन)

2.1 देयताएं

IV.4 एससीबी की जमा वृद्धि सितंबर 2017 की अवधि के मुकाबले 2019-20 की पहली तीन तिमाहियों में पूरे समय ऊंची बनी रही (चार्ट IV.2ए) । पिछली तिमाही, अर्थात् जनवरी-मार्च 2020 के दौरान, हालांकि, विशेषकर, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी), के मामले में जमा वृद्धि में गिरावट आई । कोविड -19 के चलते नकदी मांग में तेजी से जनता के पास मुद्रा में वृद्धि हुई, जबकि निजी क्षेत्र के एक बैंक में ऋणशोधन क्षमता से जुड़े मुद्दे के कारण भी जमाराशि पुनः संकलित हुई ।

IV.5 2020-21 के दौरान अब तक, पीएसबी की जमाराशियों में सामान्य के मुकाबले अधिक गति से वृद्धि हुई, जो कि आंशिक रूप से उनके सुरक्षित तथा सही-सलामत बने रहने को प्रदर्शित करता है (चार्ट IV.2बी) ।

IV.6 मीयादी जमा - जिसका कुल जमाराशियों में लगभग साठ प्रतिशत योगदान होता है, उसमें कमी हुई, जो ब्याज दरों में नरमी तथा प्रतिस्पर्धी आस्ति श्रेणियों में प्रतिलाभ के प्रति प्रलोभन प्रदर्शित करता है । पीवीबी की मीयादी जमा वृद्धि में तेजी से गिरावट आई जबकि पीएसबी में इसमें चौगुनी वृद्धि हुई (चार्ट IV.3ए) । विदेशी बैंकों ने काफी तेजी से निम्न लागत वाली चालू एवं बचत खाता (कासा) जमाराशियां जुटायीं, यद्यपि कुल जमाराशियों में उनकी हिस्सेदारी कम रही (चार्ट IV.3बी) ।

IV.7 वर्ष के दौरान अधिकांश समय, धीमी ऋण वृद्धि तथा अपेक्षाकृत मजबूत जमा वृद्धि के परिणामस्वरूप, पीवीबी को छोड़कर, बैंकों की उधार आवश्यकताओं में गिरावट देखी गई (चार्ट IV.4) ।

चार्ट IV.2: एससीबी की जमा में वृद्धि

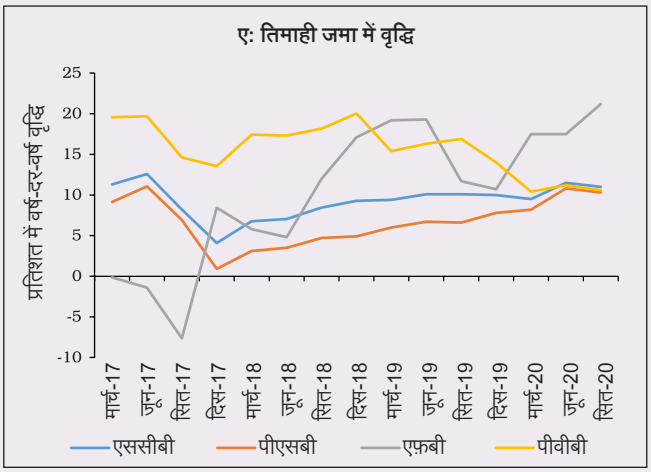

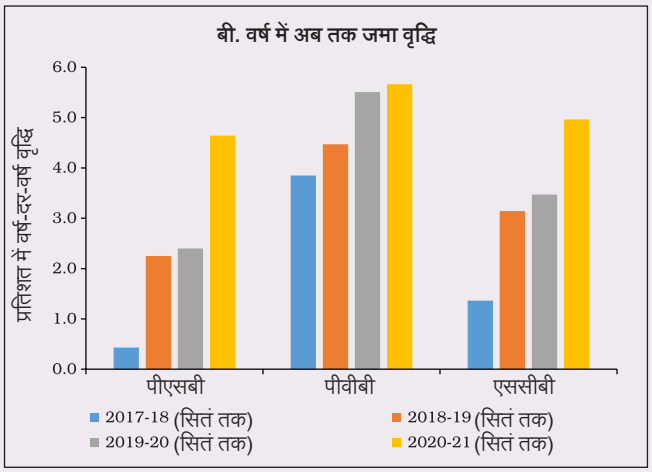

टिप्पणी : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है । इसलिए, मार्च 2019 के बाद से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह से बाहर रखा गया है और निजी क्षेत्र के बैंकों के समूह में शामिल किया गया है । मार्च 2019 से दिसंबर 2019 तक बैंक-समूहवार वृद्धि दर संबंधी आंकड़े समायोजित बैंक-समूह योगों पर आधारित हैं।

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियाँ और ऋण संबंधी तिमाही सांख्यिकी, आरबीआई और ऑफ-साइट विवरणियां।

चार्ट IV.3: मीयादी जमाराशियां और कासा जमाराशियों में वृद्धि

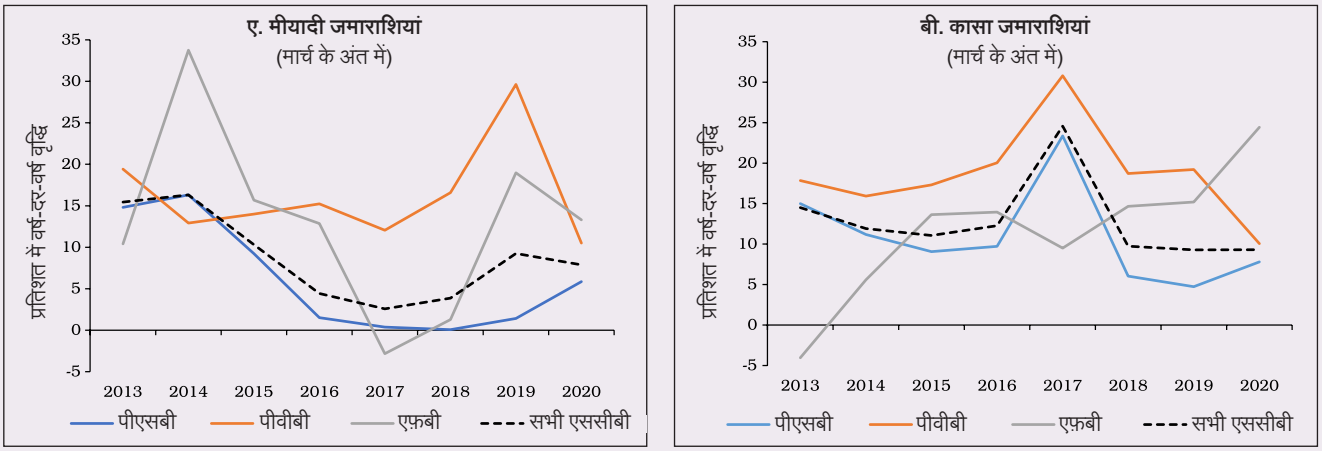

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा।

2.2 आस्तियां

IV.8 लगातार दो वर्ष के अंतराल के बाद, 2019-20 में एससीबी की ऋण वृद्धि में सुस्ती देखी गई जिससे जोखिम विमुखता तथा उत्साहहीन मांग दोनों परिलक्षित होता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक, इसे कोविड-19 महामारी से और बल मिला है। पीवीबी का ऋण बही खाता आस्ति गुणवत्ता चिंताओं तथा उच्चतर प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के चलते अपने समकक्षों के मुकाबले अनुपातहीन रूप से प्रभावित हुआ। लगातार तीन तिमाहियों की गिरावट के बाद, मार्च, जून तथा सितंबर 2020 तिमाही के दौरान पीएसबी में ऋण विस्तार अधिक तेज गति से हुआ (चार्ट IV.5)।

IV.9 ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत ऋण वृद्धि दूसरी सकारात्मक गतिविधि रही। यद्यपि कुल ऋण में ग्रामीण ऋण की हिस्सेदारी आठ से नौ प्रतिशत के इर्द-गिर्द घूमती रही, तब भी चार वर्ष के अंतराल के बाद, 2019-20 इसमें हुई वृद्धि अन्य श्रेणियों से आगे निकल गई। जबकि ग्रामीण ऋण में पीएसबी की हिस्सेदारी धीरे-धीरे गिरी है, पीवीबी[2] ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है (चार्ट IV.6ए तथा बी)।

चार्ट IV.4: उधारियों में वृद्धि

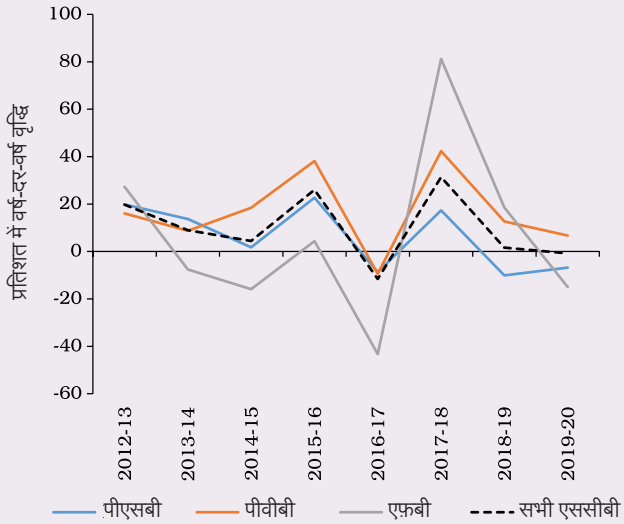

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.5: अग्रिमों में बैंक समूह-वार वृद्धि

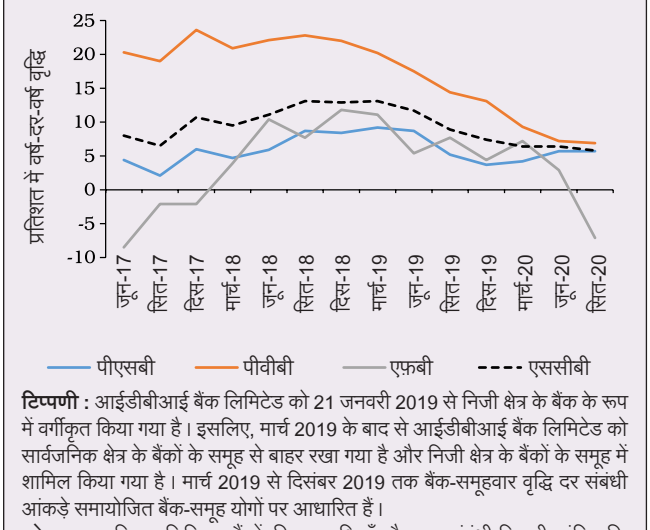

टिप्पणी : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, मार्च 2019 के बाद से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह से बाहर रखा गया है और निजी क्षेत्र के बैंकों के समूह में शामिल किया गया है। मार्च 2019 से दिसंबर 2019 तक बैंक-समूहवार वृद्धि दर संबंधी आंकड़े समायोजित बैंक-समूह योगों पर आधारित हैं।

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियाँ और ऋण संबंधी तिमाही सांख्यिकी, आरबीआई।

[2] चार्ट IV.5 में एसएफबी तथा पीबी शामिल नहीं हैं।

चार्ट IV.6: ऋण प्रवाह: संरचना में परिवर्तन

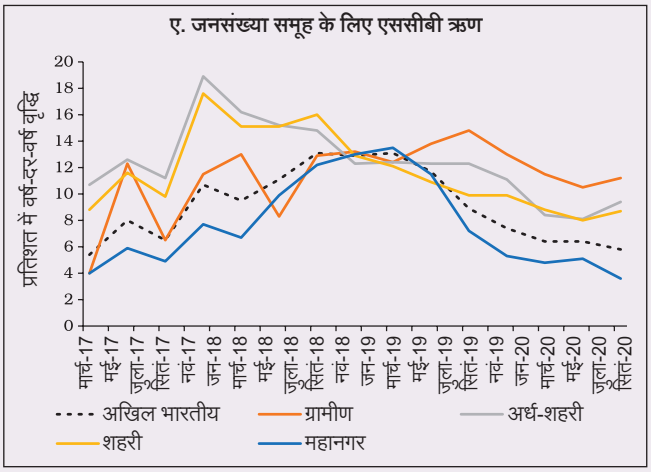

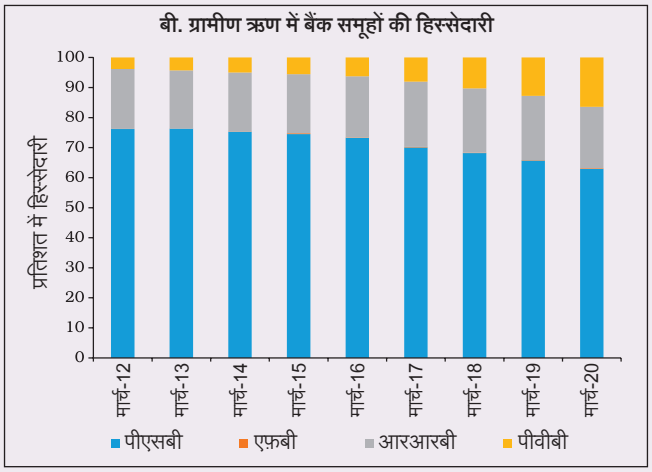

टिप्पणी : (ए) जनसंख्या समूहों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: 'ग्रामीण' में 10,000 से कम की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'अर्ध-शहरी' में 10,000 और उससे अधिक लेकिन एक लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं, 'शहरी' में एक लाख और उससे अधिक लेकिन दस लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं, और 'महानगरीय' में 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं। जनसंख्या संबंधी सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। **(बी)** आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, मार्च 2019 के बाद से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह से बाहर रखा गया है और निजी क्षेत्र के बैंकों के समूह में शामिल किया गया है।
स्रोत : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां और ऋण संबंधी तिमाही सांख्यिकी, आरबीआई।

IV.10 2010 से लेकर ऋण-जीडीपी अनुपात में लगातार गिरावट हुई है, जो यह परिलक्षित करता है कि संसाधन जुटाने के लिए वैकल्पिक अवसर जैसे कि बाजार तथा एनबीएफसी मौजूद हैं। हालांकि, 2019-20 के दौरान, इस अनुपात में आगे और गिरावट हुई और वृद्धिशील ऋण एवं जीडीपी अनुपात भी कम हुआ (चार्ट IV.7ए) । सभी बैंक समूहों में बकाया ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात में गिरावट देखी गई (चार्ट IV.7बी)।

IV.11 सुस्त ऋण मांग ने पीएसबी को निवेश की तरफ झुकने हेतु उद्यत किया। मौजूदा अनिश्चितताओं के बीच जोखिम-मुक्त तरल एसएलआर प्रतिभूतियां उनके पसंदीदा लिखत थे। दूसरी ओर, पीवीबी तथा एफबी के निवेश संविभाग में गिरावट हुई और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में उल्लेखनीय नरमी के चलते उनकी ट्रेडिंग बही में लाभ दर्ज हुआ था (चार्ट IV.8 ए)।

चार्ट IV.7 ऋण अनुपातों की प्रवृतियाँ

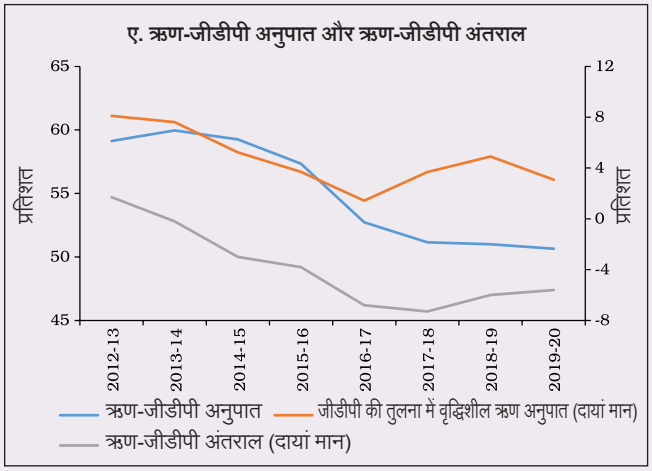

स्रोत: बैंकों, डीबीआईई, भा.रि. बैंक, और बीआईएस के वार्षिक लेखा।

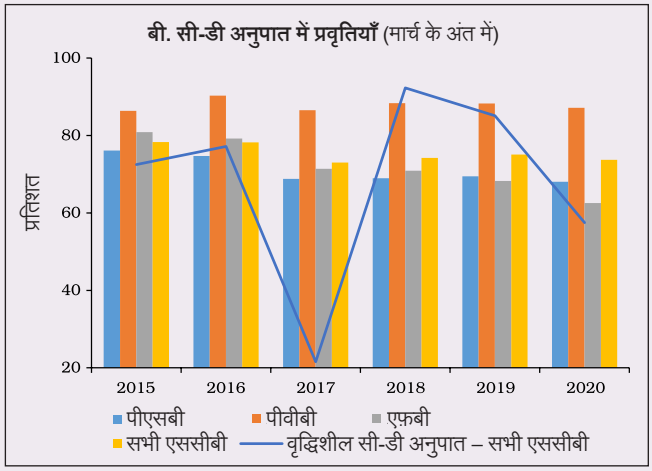

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.8: बैंक के निवेशों में प्रवृतियाँ

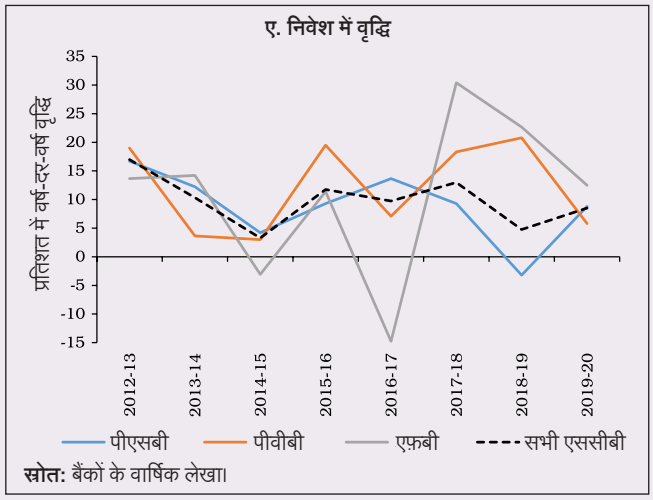

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा।

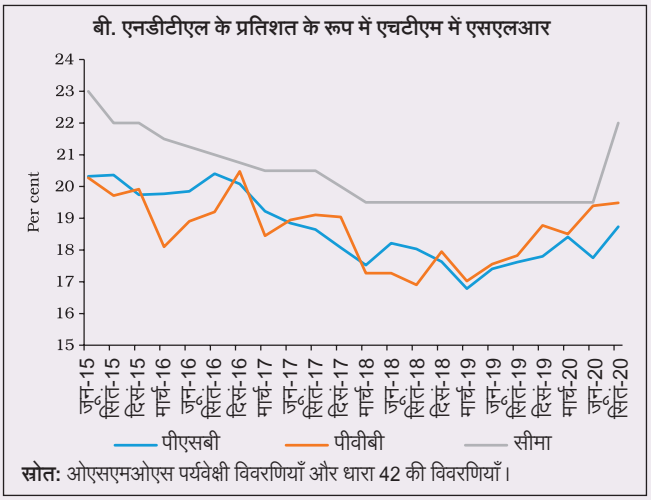

स्रोत: ओएसएमओएस पर्यवेक्षी विवरणियाँ और धारा 42 की विवरणियाँ।

IV.12 अगस्त 2020 के अंत तक, बैंकों को अनुमति दी गई कि वे परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत कुल निवेश के 25 प्रतिशत की सीमा को पार कर सकते हैं, बशर्ते इस अधिशेष में केवल एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हों और एचटीएम श्रेणी में धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 19.5 प्रतिशत से अधिक न हो। चूंकि पीएसबी तथा पीवीबी के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत एसएलआर प्रतिभूतियों में आगे और निवेश करने की गुंजाइश की उपलब्धता समाप्त हो रही थी (चार्ट IV.8 बी) और साथ ही 2020-21 में सरकार के भारी उधार कार्यक्रम के आलोक में, ऐसी प्रतिभूतियां जो 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच अधिगृहीत की गई थीं, उनके लिए 31 मार्च 2022 तक 19.5 प्रतिशत की यह सीमा बढ़ाकर एनडीटीएल के 22 प्रतिशत तक कर दी गई।

2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र में निधि प्रवाह

IV.13 2019-20 में सुस्त ऋण मांग दशाओं की परिणति वाणिज्यिक क्षेत्र में बैंक तथा गैर-बैंक दोनों स्रोतों से ऋण प्रवाह में तेज संकुचन रूप में हुई। गैर-बैंक निधीयन में संकुचन बैंक निधीयन के मुकाबले निम्न रहा। कॉर्पोरेट ने विदेशी स्रोतों जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) तथा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीसीबी) के जरिए अधिक संसाधन जुटाए। ईसीबी दिशानिर्देशों के युक्तिसंगतिकरण, विवेकपूर्ण तथा कड़े एकल-समूह एक्सपोजर मानदंड, मूल देशों में निम्न ब्याज दरें तथा अपेक्षाकृत स्थिर विनिमय दर ने एक सक्षम वातावरण निर्मित किया जिससे विदेशी स्रोतों से अधिक संसाधन जुटाए। घरेलू गैर-बैंक स्रोतों के अंतर्गत, पूंजी बाजार से जुटाए गए संसाधनों में आई रफ्तार –सार्वजनिक एवं अधिकार निर्गम तथा निजी आबंटन के साथ ही – भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा कॉर्पोरेट कर्ज में निवेश से आशा की एक किरण जगी (सारणी IV.2)।

IV.14 2020-21 के दौरान अब तक, वाणिज्यिक क्षेत्र में निधि प्रवाह उच्चतर बना रहा। बैंकों से प्रवाह, घरेलू गैर-बैंक स्रोतों – मुख्य रूप से निजी आबंटन; वाणिज्यिक पत्र (सीपी) निर्गम; तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के ऋण में तेजी आई है, जिससे ईसीबी/एफसीसीबी तथा विदेश से अल्पावधि ऋण जैसे विदेशी स्रोतों से होने वाले निम्न प्रवाह की भरपाई हो गई (सारणी IV.2)।

2.4 आस्तियों तथा देयताओं का परिपक्वता प्रोफाइल

IV.15 बैंकों की चलनिधि तथा लाभप्रदता पर आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रोफाइल का सीधा प्रभाव पड़ता है। दर संवेदनशील आस्तियां (आरएसए) तथा दर संवेदनशील देयताएं (आरएसएल) बैंकों की निवल ब्याज आय को सीधे प्रभावित करती हैं। एक धनात्मक (आरएसए > आरएसएल)

सारणी IV.2: बैंकों और गैर-बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

	अप्रैल से मार्च				1 अप्रैल से 4 दिसंबर तक	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20	2020-21
ए. समायोजित खाद्येतर बैंक ऋण (एनएफसी)	**4,95,224 (33.6)**	**9,16,109 (42.8)**	**12,29,977 (52.3)**	**5,81,209 (40.2)**	**73,792 (12.2)**	**89,556 (14.4)**
i) खाद्येतर ऋण	3,88,247	7,95,897	11,46,677	5,88,985	79,907	89,526
जिसमें से: पेट्रोलियम और खाद ऋण	13,283	2,724	7,463	21,721	-16,622	-27,168@
ii) एससीबी द्वारा एसएलआर से इतर निवेश	1,06,977	1,20,212	83,301	-7,775	-6,116	30
बी. गैर-बैंकों से प्रवाह (बी1 + बी2)	**9,79,207 (66.4)**	**12,24,042 (57.2)**	**11,22,424 (47.7)**	**8,64,615 (59.8)**	**5,32,770 (87.8)**	**5,32,957 (85.6)**
बी1. घरेलू स्रोत	**7,03,377 (47.7)**	**8,85,589 (41.4)**	**7,35,678 (31.3)**	**3,21,100 (22.2)**	**2,26,811 (37.4)**	**3,26,773 (52.5)**
1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक एवं अधिकार निर्गम	15,503	43,826	10,565	63,689	59,281	27,571 $
2 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा सकल निजी स्थानन	2,00,243	1,46,176	1,55,133	2,37,062	1,19,442	1,79,641 $
3 गैर-बैंकों द्वारा प्रदत्त वाणिज्यिक पत्रों का निवल निर्गम	86,894	-25,377	1,36,089	-1,52,722	-33,041	53,759 $
4 आवास वित्त कंपनियों द्वारा निवल ऋण	1,37,390	2,19,840	1,65,893	8,573	-8,852	51,197 @
5 भा.रि. बैंक द्वारा विनियमित चार एआईएफआई – नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी एवं आयात-निर्यात बैंक द्वारा कुल समायोजन	46,939	95,084	1,11,984	82,160	-1,738	-12,725 @
6 प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी और जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (बैंक ऋण का निवल)	1,88,748	3,68,243	1,26,004	13,572	46,758	2,937 &
7 कॉर्पोरेट कर्ज, आधारभूत संरचना और सामाजिक क्षेत्र में एलआईसी का निवल निवेश	27,661	37,797	30,011	68,766	44,962	24,393 $
बी2. विदेशी स्रोत	**2,75,829 (18.7)**	**3,38,454 (15.8)**	**3,86,746 (16.4)**	**5,43,515 (37.6)**	**3,05,959 (50.4)**	**2,06,185 (33.1)**
1 बाह्य वाणिज्यिक उधारियां / एफसीसीबी	-50,928	-5,129	69,629	1,54,263	70,820	-37,178 @
2 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से इतर एडीआर/जीडीआर निर्गम	0	0	0	0	0	0 @
3 विदेश से अल्पावधि ऋण	43,465	89,606	15,184	-7,704	13,841	-1,488 &
4 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	2,83,292	2,53,977	3,01,932	3,96,955	2,21,299	2,44,851 @
सी. संसाधनों का कुल प्रवाह (ए + बी)	**14,74,431 (100.0)**	**21,40,151 (100.0)**	**23,52,401 (100.0)**	**14,45,824 (100.0)**	**6,06,562 (100.0)**	**6,22,513 (100.0)**

टिप्पणियां: 1. &: जून 2020 तक, @ अक्तूबर 2020 तक,$: नवंबर 2020 तक
2. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जून 2020 में ₹ 53,124 करोड़ के आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों का आधिकारिक इश्यू था जिसमें से 25 प्रतिशत (₹13,281 करोड़) का भुगतान सब्स्क्रिप्शन के समय कर दिया गया है और शेष 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत का भुगतान क्रमशः मई 2021 और नवंबर 2021 में किया जाएगा।
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल प्रवाह में हिस्सेदारी को दर्शाते हैं।

स्रोत : भा.रि.बैंक, सेबी, बीएसई, एनएसई, मर्चेंट बैंक, एलआईसी एवं एनएचबी।

या ऋणात्मक अंतर (आरएसएल > आरएसए) धारण करने का निर्णय बैंक की ब्याज दरों पर अपेक्षा तथा इनके समग्र व्यापारिक रणनीति पर निर्भर करता है। 2019-20 के दौरान एक गिरावटी ब्याज दर माहौल में, एक वर्ष तक की परिपक्वता बकेट में ऋणात्मक अंतर और उच्चतर परिपक्वता बकेट में धनात्मक अंतर में नरमी आई (चार्ट IV.9)।

IV.16 जबकि एक वर्ष तक की परिपक्वता बकेट वाली देयताओं जैसे जमाराशियों तथा उधारियों में गिरावट आई, आस्तियों – विशेषकर, निवेश - में तेजी आई – जिसमें पीएसबी तथा पीवीबी अगुआ रहे। वहीं दूसरी ओर, पांच वर्ष से अधिक की परिपक्वता बकेट वाली उधारियों तथा निवेशों में कमी आई। इसी समय, जमाराशियों, ऋणों तथा अग्रिमों में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई। विदेशी बैंकों ने मुख्य रूप से

चार्ट IV.9: विभिन्न परिपक्वता बकेट्स में आस्तियों और देयताओं के अनुपात के बीच अंतराल

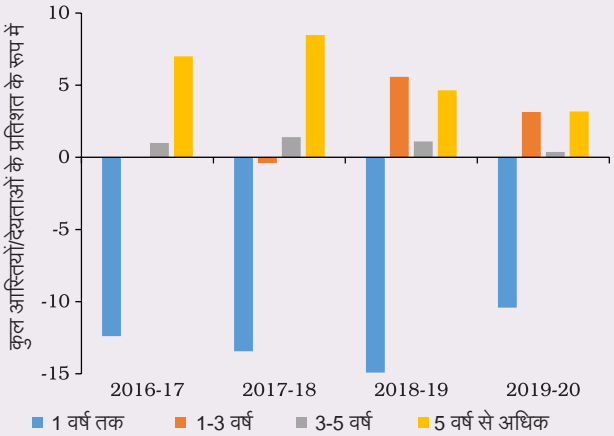

टिप्पणी : 1. 1 वर्ष तक अल्पावधि है, जबकि तीन वर्षों से अधिक दीर्घावधि है।
2. आस्तियों में ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश शामिल हैं। देयताओं में जमाराशियां और उधारियां शामिल हैं।

स्रोत : बैंकों के वार्षिक लेखा।

सारणी IV.3: चुनिंदा देयताओं/आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल
(मार्च के अंत में)

(प्रत्येक मद के अंतर्गत कुल जोड़ का प्रतिशत)

देयताएं/आस्तियां	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एसएफ़बी		पीबी		सभी एससीबी	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. जमाराशियां												
ए) 1 वर्ष तक	43.6	40.4	42.9	38.1	64.2	63.9	59.6	59.6	-	10.0	44.4	40.9
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक	22.4	22.8	26.8	28.1	28.6	28.3	36.7	37.5	-	90.0	24.0	24.8
सी) 3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक	10.7	10.2	9.5	8.5	7.2	7.7	0.6	0.7	-	-	10.2	9.5
डी) 5 वर्षों से अधिक	23.3	26.6	20.9	25.3	0.03	0.03	3.1	2.2	-	-	21.5	24.7
II. उधारियां												
ए) 1 वर्ष तक	61.6	49.7	47.9	51.5	87.5	83.9	40.0	41.1	-	-	57.4	53.0
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक	14.1	27.6	19.9	24.4	8.1	9.8	44.9	44.0	-	-	16.5	25.0
सी) 3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक	8.3	13.0	14.1	11.2	1.8	2.2	10.9	11.3	-	-	10.4	11.3
डी) 5 वर्षों से अधिक	16.0	9.7	18.1	12.9	2.6	4.1	4.2	3.6	-	-	15.6	10.7
III. ऋण एवं अग्रिम												
ए) 1 वर्ष तक	25.7	25.2	31.4	32.3	57.9	61.4	44.1	38.1	-	-	29.1	29.3
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक	41.6	40.3	34.0	33.6	22.1	19.3	34.7	42.4	-	-	38.1	37.1
सी) 3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक	12.4	11.0	12.9	12.7	7.4	7.1	9.6	9.0	-	-	12.4	11.4
डी) 5 वर्षों से अधिक	20.4	23.5	21.6	21.5	12.5	12.1	11.6	10.4	-	-	20.4	22.2
IV. निवेश												
ए) 1 वर्ष तक	17.9	22.3	51.7	54.3	82.6	82.5	66.3	59.0	-	100.0	33.3	36.8
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक	13.5	12.9	16.5	15.1	10.9	10.9	20.3	26.3	-	-	14.2	13.4
सी) 3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक	13.5	10.7	8.2	6.8	2.2	2.2	1.3	3.1	-	-	11.0	8.8
डी) 5 वर्षों से अधिक	55.1	54.1	23.6	23.8	4.2	4.5	12.1	11.6	-	-	41.5	41.0

टिप्पणियां : पूर्णांकन किए जाने के कारण घटकों का योग 100 से भिन्न हो सकता है।
स्रोत : बैंकों के वार्षिक लेखा।

अल्पावधि उधारियों तथा निवेश पर ध्यान केंद्रित रखना जारी रखा (सारणी IV.3)।

2.5 अंतरराष्ट्रीय देयताएं तथा आस्तियां

IV.17 2019-20 के दौरान, विदेश से अल्पावधि उधारियों में कमी के चलते, भारत में स्थित बैंकों की कुल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में गिरावट आई । बैंकों, विशेषकर पीवीबी, से अनिवासियों द्वारा जमाराशि निकासी ने भी इस गिरावट में योगदान दिया (परिशिष्ट सारणी IV.9)। वहीं दूसरी ओर, बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में मुख्य रूप से नोस्ट्रो शेष तथा विदेश से आबंटन में तेजी के चलते पिछले वर्ष की गिरावट के बाद फिर से उछाल आया। हालांकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुस्ती के कारण बकाया निर्यात बिलों से होने वाले दावों में तेजी से गिरावट देखी गई (परिशिष्ट सारणी IV.10)। इसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय दावों तथा अंतरराष्ट्रीय देयताओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय दावों के अनुपात में इजाफा हुआ। वर्ष के दौरान बाह्य कर्ज में वृद्धि के चलते बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं एवं भारत के कुल बाह्य कर्ज अनुपात में गिरावट दर्ज हुई (चार्ट IV.10)।

IV.18 बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों परिपक्वता क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली और यह गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र तथा बैंकों से हटकर गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) की तरफ शिफ्ट हो गया (परिशिष्ट सारणी IV.11)। बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में भी भौगोलिक परिवर्तन हुआ और हॉन्ग कॉन्ग, यूनाइटेड

चार्ट IV.10: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

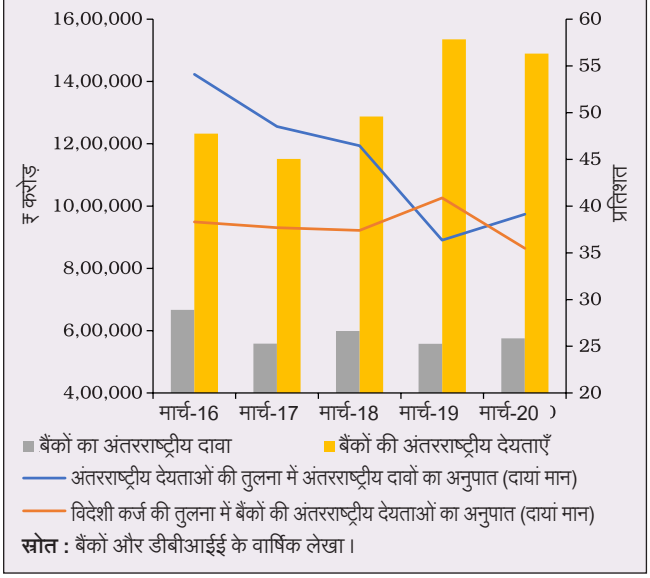

स्रोत : बैंकों और डीबीआईई के वार्षिक लेखा।

किंगडम (यूके), तथा संयुक्त राज्य (यूएस) के स्थान पर ये जर्मनी, सिंगापुर तथा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को तरजीह देने लगे (परिशिष्ट सारणी IV.12)।

2.6 तुलन पत्र से इतर परिचालन

IV.19 2019-20 के दौरान, पीवीबी तथा एफबी के तुलन पत्र से इतर देयताओं में कमी हुई, जबकि पीएसबी के मामले में इसमें संकुचन हुआ, जो उच्च ऋण जोखिम के समय में विवेकपूर्ण व्यवहार परिलक्षित करता है (चार्ट IV.11; परिशिष्ट सारणी IV.2)। मार्च 2020 के अंत में, विदेशी बैंकों की आकस्मिक देयताएं उनके तुलन पत्र आस्तियों के 10 गुणी जितनी अधिक ऊंची थी, जबकि पीवीबी (1.2 गुणा) तथा पीएसबी (0.31 गुणा) में तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर अपेक्षाकृत निम्न था।

चार्ट IV.11: बैंकों की तुलनपत्रेतर देयताएँ

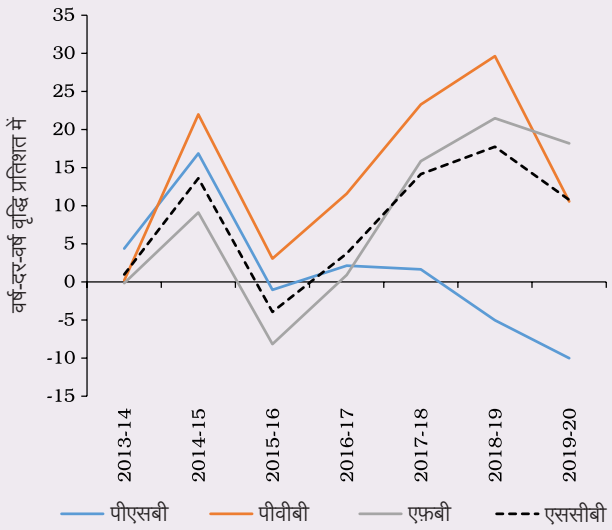

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा।

3. वित्तीय प्रदर्शन

IV.20 एससीबी के निवल लाभ में लगातार दो वर्षों तक नुकसान होने के बाद 2019-20 में सुधार हुआ (सारणी IV.4)। यद्यपि पीएसबी में पांचवें वर्ष भी नुकसान दर्ज हुआ, तथापि नुकसान की राशि में कमी देखी गई। पीबी

सारणी IV.4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आय और व्यय में प्रवृत्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक#		भुगतान बैंक		सभी एससीबी	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. आय	7,75,331	8,34,320	4,67,058	5,46,041	69,901	83,223	10,898	19,219	-	55	13,23,188	14,82,858
	(0.03)	(7.6)	(25.5)	(16.9)	(9.8)	(19.1)	(62.7)	(76.4)			(8.7)	(12.1)
ए) ब्याज से होने वाली आय	6,81,575	7,16,203	3,93,637	4,48,566	55,569	66,673	9,682	16,948	-	46	11,40,463	12,48,435
	(3.2)	(5.1)	(29.0)	(14.0)	(10.0)	(20.0)	(65.4)	(75.0)			(11.6)	(9.5)
बी) अन्य स्रोतों से होने वाली आय	93,755	1,18,117	73,422	97,476	14,332	16,550	1,216	2,271	-	9	1,82,725	2,34,422
	(-18.3)	(26.0)	(9.9)	(32.8)	(8.9)	(15.5)	(43.9)	(86.7)			(-6.6)	(28.3)
2. व्यय	8,41,939	8,60,335	4,39,437	5,26,930	55,393	67,043	9,816	17,251	-	389	13,46,585	14,71,947
	(-2.2)	(2.2)	(33.0)	(19.9)	(4.9)	(21.0)	(53.3)	(75.7)			(7.7)	(9.3)
ए) व्यय किया गया ब्याज	4,50,614	4,68,005	2,31,257	2,58,038	24,476	28,810	4,535	7,928	-	14	7,10,881	7,62,794
	(-1.0)	(3.9)	(32.7)	(11.6)	(14.3)	(17.7)	(70.7)	(74.8)			(8.8)	(7.3)
बी) परिचालनगत व्यय	1,75,114	1,91,925	1,09,276	1,26,320	18,697	21,584	4,200	7,152	-	488	3,07,287	3,47,469
	(6.6)	(9.6)	(26.3)	(15.6)	(3.8)	(15.4)	(52.8)	(70.3)			(13.2)	(13.1)
जिसमें से : मजदूरी बिल	1,01,503	1,15,044	39,202	47,357	6,720	7,878	2,127	3,811	-	264	1,49,551	1,74,354
	(10.6)	(13.3)	(21.5)	(20.8)	(-2.3)	(17.2)	(36.3)	(79.2)			(12.9)	(16.6)
सी) प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	2,16,211	2,00,405	98,905	1,42,572	12,220	16,648	1,081	2,171	-	-112	3,28,417	3,61,685
	(-10.3)	(-7.3)	(42.1)	(44.2)	(- 8.7)	(36.2)	(8.4)	(100.8)			(1.0)	(10.1)
3. परिचालनगत लाभ	1,49,603	1,74,390	1,26,526	1,61,684	26,728	32,829	2,163	4,139	-	-446	3,05,019	3,72,595
	(-3.9)	(16.6)	(13.6)	(27.8)	(10.3)	(22.8)	(67.1)	(91.4)			(4.2)	(22.2)
4. निवल लाभ	-66,608	-26,015	27,621	19,111	14,508	16,180	1,082	1,968	-	-334	-23,397	10,911
			(- 33.9)	(- 30.8)	(33.7)	(11.5)	(264.4)	(81.9)				
5. ब्याज से होने वाली निवल आय (एनआईआई) (1ए-2ए)	2,30,962	2,48,198	1,62,380	1,90,528	31,093	37,863	5,147	9,020	-	32	4,29,581	4,85,641
	(12.6)	(7.5)	(23.9)	(17.3)	(6.9)	(21.8)	(61.0)	(75.3)			(16.6)	(13.0)
6. निवल ब्याज मार्जिन (औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में एनआईएम)	2.33	2.37	3.26	3.42	3.23	3.26	7.62	8.34	-	1.95	2.7	2.8

टिप्पणियां : 1. आंकड़ों में मार्च 2019 के अंत के सात अनुसूचित एसएफबी और मार्च 2020 के अंत के 10 अनुसूचित एसएफ़बी के आंकड़े समाहित हैं।
2. एनआईएम को औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में एनआईआई के तौर पर परिभाषित किया गया है।
3. कोष्ठक में दिए गए अंकों को पिछले वर्ष के प्रतिशत घट-बढ़ के रूप में संदर्भित किया गया है।
4. निरपेक्ष अंकों को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घट-बढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है।

स्रोत : संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

कमजोर नहीं हुए जबकि उनका प्रारंभिक पूंजीगत खर्च तथा मजदूरी बिल अधिक था।

IV.21 वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के कारण मुनाफा वसूली से ट्रेडिंग आय में भी वृद्धि हुई, जिसमें अनुकूल प्रतिफल उतार-चढ़ाव वातावरण सहायक सिद्ध हुआ (बॉक्स IV.1)।

IV.22 बैंकिंग आस्तियों में पीवीबी की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ ही, 2019-20 में परिचालन लाभ में भी उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 43.4 प्रतिशत हो गई और यह पीएसबी के लागत पर हुआ (चार्ट IV.12 ए तथा बी)।

IV.23 बैंकों की ब्याज आय तथा ब्याज व्यय दोनों में गिरावट आई; तथापि बैंक ब्याज आय में वृद्धि के साथ ही

बॉक्स IV.1: बैंक लाभप्रदता पर सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

जी-सेक प्रतिफलों में कोई गिरावट बैंकों को प्रेरित कर सकती है कि वे अपने ट्रेडिंग बही से मुनाफा वसूली करें। उच्चतर प्रतिफल तथा एक तीव्र प्रतिफल वक्र सामान्यतया उच्चतर एनआईएम से संबद्ध होते हैं (अलेसांद्री तथा नेल्सन, 2015; बोरियो और अन्य, 2015; क्लॅसेन्स और अन्य, 2018)। यह पाया गया है कि प्रतिफल वक्र का स्तर एवं ढाल एनआईएम तथा ट्रेडिंग आय को विपरीत दिशा में प्रभावित करते हैं, जो व्युत्पन्नी के जरिए बैंकों के हेजिंग ब्याज दर जोखिम के समनुरूप है (अलेसांद्री तथा नेल्सन, 2015; बोरियो और अन्य, 2015)। इन प्रतिकारी कारकों के निवल प्रभाव स्पष्ट नहीं हैं।

भारतीय संदर्भ में, हालिया तिमाहियों में, दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल तथा अल्पावधि दरें तेजी से नीचे गिरी हैं, जबकि प्रतिफल वक्र ढाल (अर्थात् 10-वर्षीय जी-सेक तथा तीन महीने के खजाना बिलों के प्रतिफल में अंतर) और तीव्र हुई है (चार्ट 1)।

मार्च 2015 से मार्च 2020 तक की अवधि हेतु सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के तिमाही पैनल डेटा का प्रयोग करते हुए एक स्थिर प्रभाव मॉडल के तीन विचरणों का आकलन किया गया (सारणी 1)। यह पाया गया कि बैंक-विशिष्ट चर तथा समष्टि- चर के नियंत्रण, 10-वर्षीय जी-सेक पर प्रतिफल तथा प्रतिफल वक्र ढाल का ट्रेडिंग लाभ पर काफी तथा ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है (कॉलम 4)। यह प्रभाव इतना अधिक मजबूत था कि ब्याज मार्जिन पर अनिश्चित प्रभाव के बावजूद (कॉलम 3) बैंकों की कुल लाभप्रदता (आरओए) को इसने नीचे ला दिया (कॉलम 2)। ढाल गुणांक में ऋणात्मक संकेत सभी परिपक्वता श्रेणियों में बैंकों की हेजिंग गतिविधि की ओर इशारा करते हैं।

चार्ट 1: ट्रेडिंग लाभ तथा जी-सेक पर प्रतिफल

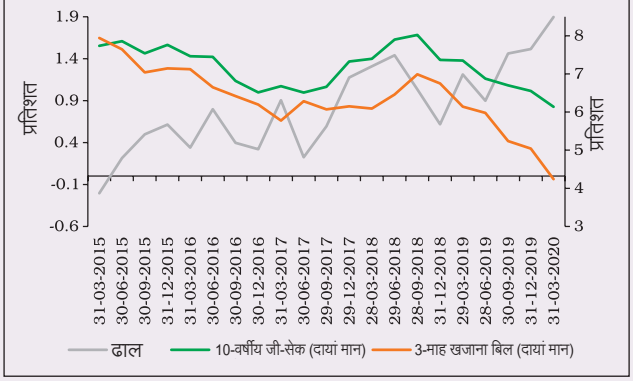

सारणी 1: प्रतिफल तथा लाभप्रदता: स्थिर प्रभाव मॉडल

कॉलम (1)	कॉलम (2)	कॉलम (3)	कॉलम (4)
	आश्रित. चर: एनआईएम	आश्रित. चर:आरओए	आश्रित. चर: ट्रेडिंग लाभ तथा आस्ति अनुपात
आश्रित चर (-1)	0.375***	0.423***	0.122**
	(0.101)	(0.046)	(0.051)
10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल	- 0.176	-7.142***	- 0.044***
	(0.275)	(2.38)	(.004)
ढाल	- 0.009	-3.772***	-0.028***
	(0.111)	(1.071)	(0.005)
ढाल (-1)	- 0.085	-2.613***	-0.005
	(0.097)	(1.006)	(0.006)
जीएनपीए	- 0.016***	-.093***	-
	(0.005)	(0.032)	
कासा	0.012***	-	-
	(0.003)		
लागत-आय अनुपात	-0.005	- 0.028***	-
	(0.003)	(0.006)	
स्प्रेड	0.398***	-	-
	(0.056)		
कुल आस्ति में चलनिधि आस्ति	-0.005**	-0.002	-
	(0.002)	(0.012)	
आईपीपी	0.004	0.080***	-
	(0.003)	(0.026)	
विविधिकरण	-0.001**	0.006***	-
	(0.0005)	(0.002)	
लॉग (आस्तियां)	0.363	0.832	-
	(0.282)	(0.673)	
टीयर I लीवेरेज अनुपात	-	-	0.0003***
			(0.00002)
स्थिरांक	4.235***	62.537	0.395***
	(3.487)	(20.94)	(0.030)
आर^2 (समग्र)	0.89	0.76	0.34
निष्कर्षों की संख्या	818	814	656
बैंक स्थिर प्रभाव	हां	हां	हां
समय स्थिर प्रभाव	हां	हां	हां

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सुदृढ़ मानक भूल दर्शाते हैं।
2. *p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

संदर्भ:

पी. अलेसांद्री तथा बी.डी. नेलसन (2015)। सिंपल बैंकिंगः प्रॉफिटैबिलिटी एण्ड द यील्ड कर्व। जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट एण्ड बैंकिंग, 47(1), 143–175।

सी बोरियो, एल. गैमबैकोर्ता, तथा बी. हॉफमैन (2017)। द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन बैंक प्रॉफिटैबिलिटी। इंटरनैशनल फायनेंस, 20(1): 48-63।

एस. एन. कोलमैन तथा एम. डोनली (2018)। "लो-फॉर-लॉग" इन्टरेस्ट रेट्स एण्ड बैंक इन्टरेस्ट मार्जिन एण्ड प्रॉफिटैबिलिटीः क्रॉस –कंट्री एविडेंस। जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, 35 (2018) 1-16।

वर्मा, आर. तथा एस. हेरवाडकर (2020): इन्टरेस्ट रेट मूवमेंट एण्ड बैंक प्रॉफिटैबिलिटी: ऐन इंडियन एक्सपीरियंस, मिमेयो

चार्ट IV.12: आस्तियों और परिचालन लाभ में बैंक समूह-वार हिस्सेदारी

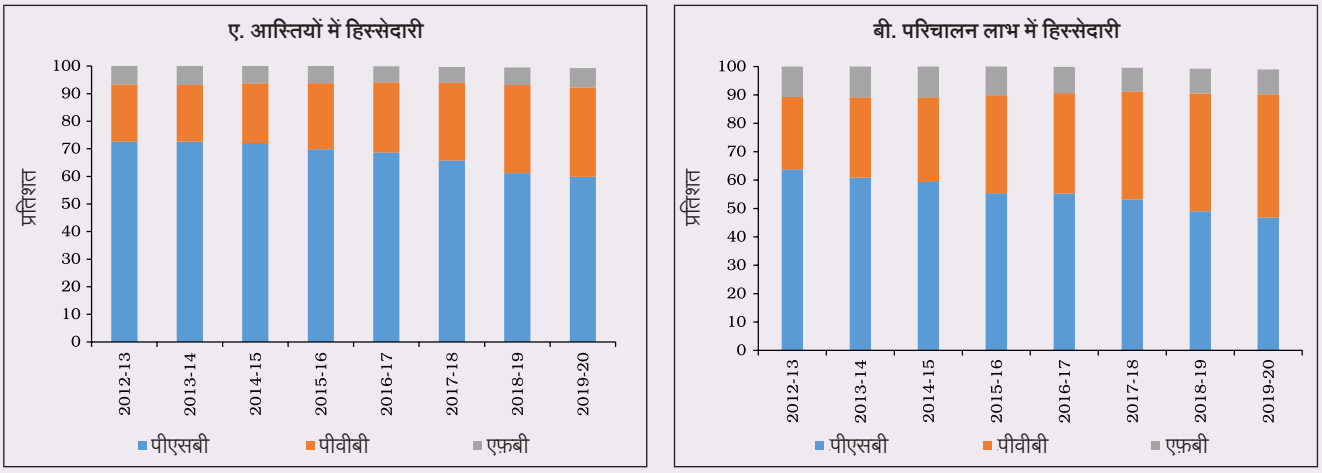

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा।

उच्चतर निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) दर्ज करने में सफल रहे। पीवीबी तथा पीएसबी के एनआईएम के बीच अंतर अधिक रहा क्योंकि पीवीबी ने अपनी जमा दरों को घटाते हुए तुलनात्मक रूप से ऊंची दरों पर उधार दिया (चार्ट IV.13 ए तथा बी)।

IV.24 बैंकों के स्प्रेड में वृद्धि हुई, जिसमें एसएफबी का स्प्रेड सबसे अधिक था, जिसके बाद इस क्रम में एफबी, पीवीबी तथा पीएसबी का नंबर आता है (सारणी IV.5)। एसएफबी – जिनका अपने समकक्षों के मुकाबले विशेष रूप से सूक्ष्म वित्त संविभाग काफी बड़ा है – उनकी जमाराशियों तथा उधारियों की लागत उच्च थी। हालांकि इसकी भरपाई उच्चतर उधार दरों से हो गई।

IV.25 विशेषकर पीवीबी के मामले में बढ़ते एनपीए तथा कोविड-19 राहत उपाय के तौर पर उपलब्ध कराए गए ऋणस्थगन के बादविनियामकीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रावधानीकरण में तेजी आई। यद्यपि बैंकों से अपेक्षित है कि वे ऐसे खातों में कुल बकाये के 10 प्रतिशत से कम सामान्य प्रावधान न करें, जिनमें 29 फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार चूक हुई थी और जिनमें ऋणस्थगन/ब्याज स्थगन तथा फलस्वरूप आस्ति वर्गीकरण लाभ सुविधा दी गई थी, यह

चार्ट IV.13: उधारी दर, जमा दर और एनआईएम

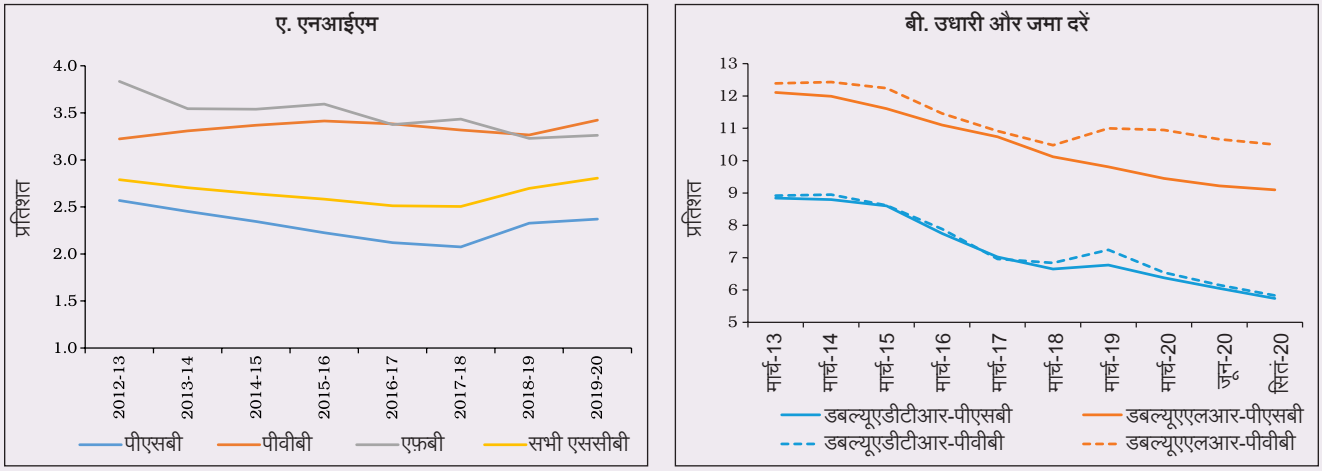

स्रोत: बैंकों और भा.रि. बैंक के वार्षिक लेखा।

सारणी IV.5 : बैंक समूह-वार निधियों की लागत और निधियों का प्रतिफल

(प्रतिशत)

बैंक समूह/वर्ष		जमाराशियों की लागत	उधारियों की लागत	निधियों की लागत	अग्रिमों का प्रतिफल	निवेश का प्रतिफल	निधियों का प्रतिफल	दायरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5
पीएसबी	2018-19	5.01	4.81	4.99	8.07	7.20	7.79	2.80
	2019-20	4.96	4.56	4.92	8.16	6.92	7.76	2.84
पीवीबी	2018-19	5.14	6.64	5.40	9.78	6.99	9.01	3.61
	2019-20	5.26	6.17	5.41	10.10	6.59	9.17	3.76
एफबी	2018-19	3.79	2.93	3.61	8.15	6.23	7.23	3.61
	2019-20	3.65	4.07	3.73	8.45	6.71	7.59	3.86
एसएफ़बी	2018-19	7.03	9.79	8.02	17.77	7.55	15.63	7.61
	2019-20	8.20	9.84	8.66	19.87	7.54	17.32	8.66
पीबी	2018-19	-	-	-	-	-	-	-
	2019-20	1.58	-	1.59	-	3.49	3.49	1.90
सभी एससीबी	2018-19	5.00	5.54	5.06	8.69	7.06	8.18	3.12
	2019-20	5.00	5.36	5.04	8.94	6.81	8.28	3.23

टिप्पणियां : 1. जमा लागत = जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज/वर्तमान और पिछले वर्ष की जमाराशियों का औसत।
2. उधारियों की लागत = (व्यय किया गया ब्याज – जमाराशियों का ब्याज)/वर्तमान और पिछले वर्ष की उधारियों का औसत)
3. निधियों की लागत = व्यय किया गया ब्याज / (उधारियों सहित वर्तमान और पिछले वर्ष की जमाराशियों का औसत)
4. अग्रिमों का प्रतिफल = अग्रिमों से अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्ष के अग्रिमों का औसत
5. निवेश के प्रतिफल = निवेश से अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्ष के निवेश का औसत
6. निधि के प्रतिफल = (अग्रिमों से अर्जित ब्याज + निवेश से अर्जित ब्याज) / निवेश सहित वर्तमान और पिछले वर्ष के अग्रिम)
7. आंकड़ों में एसएफ़बी एवं पीबी समाहित हैं।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन-पत्रों से परिकलित।

अनुमति दी गई कि इसे 2019-20 की चौथी तिमाही तथा 2020-21 की पहली तिमाही तक बढ़ा दिया जाए। बैंकों पर एक विनियामकीय प्रतिबंध जो उन्हें लाभांश का वितरण करने से रोकते हैं, की पृष्ठभूमि के बीच, कई पीवीबी ने मार्च 2020 तिमाही में पहले ही समूचे अपेक्षित प्रावधान-या उससे कहीं अधिक भी अलग करके रख लिया था। इसके परिणामस्वरूप, एससीबी का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2020 के अंत सुधरकर 66.2 प्रतिशत हो गया और फिर सितंबर 2020 के अंत तक 72.4 प्रतिशत तक बढ़ गया (चार्ट IV.14ए)। इससे बैंकों की लाभप्रदता भी घटते-बढ़ते परिमाण में प्रभावित हुई (चार्ट IV.14बी)।[3]

IV.26 प्रणाली स्तर पर, 2019-20 के दौरान एससीबी का आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) धनात्मक रहा, यद्यपि बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता में पीएसबी तथा पीबी पिछड़ते ही रहे (सारणी IV.6)।

चार्ट IV.14: लाभप्रदता पर प्रावधानीकरण का प्रभाव

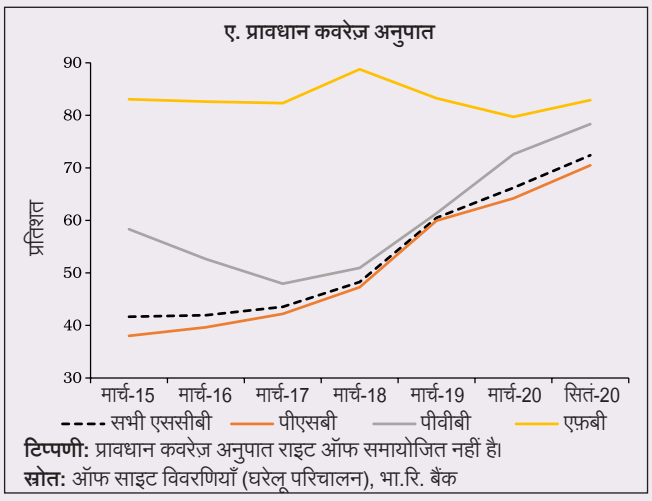

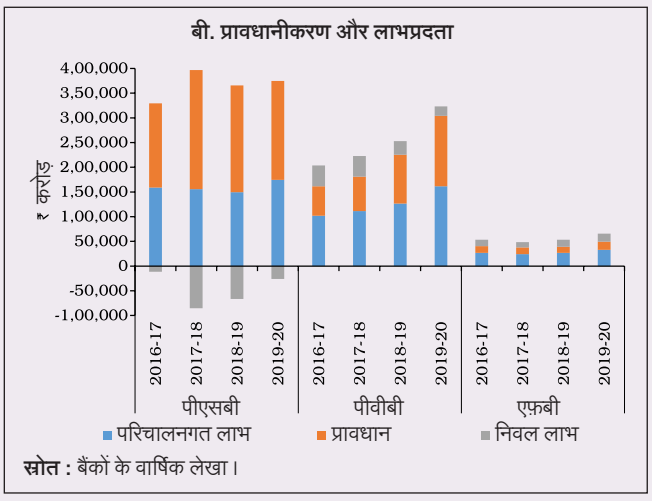

[3] इस अध्याय में प्रयोग किए गए ऑफ-साइट विवरणियों के संबंधित डेटा सभी एससीबी यथा पीसीबी, पीवीबी, एफबी और एसएफबी सहित, से संबंधित हैं।

सारणी IV.6: एससीबी की आस्तियों पर प्रतिफल और इक्विटी पर प्रतिफल –बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

बैंक समूह	पीएसबी		पीवीबी		एफ़बी		एसएफ़बी		पीबी		सभी एससीबी	
	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
आस्तियों पर प्रतिफल	-0.65	-0.23	0.63	0.51	1.57	1.55	1.59	1.70	-	-25.39	-0.09	0.15
इक्विटी पर प्रतिफल	-11.44	-4.16	5.45	3.30	8.77	8.76	12.59	15.00	-	-58.19	-1.85	0.78

स्रोत : बैंकों के वार्षिक लेखा।

4. सुदृढ़ता संकेतक

IV.27 वर्ष 2019-20 के दौरान, एससीबी ने अपने पूंजी बफर को मजबूत किया, अपनी आस्ति गुणवत्ता को सुधारा तथा चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) में वृद्धि की, यद्यपि उनके लीवरेज अनुपात में थोड़ी गिरावट आई। कोविड-19 महामारी के बावजूद, सुदृढ़ता संकेतकों में ये सुधार अगस्त 2020 तक ऋण स्थगन तथा आस्ति वर्गीकरण ठहराव जारी रहने के कारण सितंबर 2020 तक जारी रहेंगे । हालांकि पुनर्गठित अग्रिम अनुपात जो मार्च 2020 में 0.36 प्रतिशत था, का सितंबर 2020 के अंत में बढ़कर 0.43 प्रतिशत हो जाना, पुनर्रचित प्रारंभिक दबाव का संकेत हो सकता है।

4.1 पूंजी पर्याप्तता

IV.28 एससीबी की जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) में मार्च 2015 से लगातार सुधार हो रहा है, जो 2019-20 व 2020-21 में अब तक जारी है और यह सितंबर 2020 के अंत तक 15.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है (सारणी IV.7) । प्रणालीगत स्तर पर पूंजी की स्थिति विनियामकीय न्यूनतम [पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित 10.875 प्रतिशत] से अधिक है इसके बावजूद कुछ बैंकों ने विनियामकीय न्यूनतम का उल्लंघन किया है । विभिन्न परिचालनों और अन्य पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्रोतों के संयोजन के साथ विलयन बैंको के विलय ने घटक बैंकों की पूंजीगत स्थिति को बेहतर बनाने में मदद की (बॉक्स IV.2)। बैंकों की पूंजी की स्थिति पर कोविड-19 के संभावित प्रभावों के संबंध में विनियामकीय प्रतिक्रिया के रूप में सीसीबी के अंतिम ट्रांच के कार्यान्वयन के स्थगन ने भी मदद की। जीएनपीए में गिरावट और हाल ही की गिरावट, लाभप्रदता में सुधार और बैंकों द्वारा लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध, इन सभी ने बैंकों की पूंजीगत की स्थिति सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया।

IV.29 बैंकों के सीआरएआर संवितरण में 2008 (वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत) और 2020 (कोविड-19 महामारी की शुरुआत) के बीच परिवर्तन दिखाई दे रहा है । माध्य सीआरएआर जो मार्च 2008 में 12.3 प्रतिशत था, मार्च 2020

सारणी IV.7 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की घटक- वार पूंजी पर्याप्तता

(मार्च अंत के अनुसार)

(राशि ₹ करोड़ में)

	पीएसबी		पीवीबी		एफ़बी		एससीबी	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. पूंजीगत निधियां	**6,38,553**	**6,99,872**	**6,01,046**	**6,54,772**	**1,69,598**	**1,88,660**	**14,09,197**	**15,43,304**
i) टियर I पूंजी	5,18,963	5,65,830	5,27,007	5,80,718	1,59,184	1,72,883	12,05,154	13,19,431
ii) टियर II पूंजी	1,19,590	1,34,042	74,039	74,054	10,413	15,777	2,04,043	2,23,873
2. जोखिम भारित आस्तियां	**52,32,524**	**54,46,253**	**37,39,838**	**39,56,956**	**8,74,432**	**10,65,869**	**98,46,793**	**1,04,69,078**
3. सीआरएआर (2 के प्रतिशत के रूप में 1)	**12.2**	**12.9**	**16.1**	**16.5**	**19.4**	**17.7**	**14.3**	**14.7**
जिसमें : टियर I	9.9	10.4	14.1	14.7	18.2	16.2	12.2	12.6
टियर II	2.3	2.5	2.0	1.9	1.2	1.5	2.1	2.1

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियां, भा.रि. बैंक।

बॉक्स IV.2 भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर विलय के प्रभाव

सशक्त राष्ट्रीय और वैश्विक उपस्थिति के साथ अगली पीढ़ी के बैंकों का निर्माण करने के उद्देश्य से दस सरकारी बैंकों का 01 अप्रैल 2020 से चार बैंकों में विलय कर दिया गया। कतिपय आंरभिक हिचकिचाहटों के बावजूद सरकारी स्वामित्व, समान वेतन संरचना और स्टाफ के लिए तरक्की के अवसर और समान कोर बैंकिंग समाधान जैसे कारकों ने विलयन की प्रक्रिया सुगम बनाने में सहायता की (सारणी 1)।

विलयित संस्थाओं के बीच इक्विटी स्वैप अनुपात एक और मुद्दा था जिस पर व्यापक चर्चा की गई परंतु विलय के पहले ही इसका समाधान कर लिया गया (सारणी 2)।

अब विलयित संस्थाएं, विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में शाखा नेटवर्क की उपस्थिति के मामले जैसे समन्वित लाभों को प्राप्त कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को, जिसकी पूर्वी क्षेत्र में अच्छी खासी उपस्थिति थी, अब पंजाब नैशनल बैंक के और विविध शाखा नेटवर्क से लाभ मिलेगा जिसका विलय से पहले उत्तरी और मध्य क्षेत्र में विशाल नेटवर्क था। इसी प्रकार, इंडियन बैंक - देश के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित उपस्थिति के साथ- अब इलाहाबाद बैंक के साथ अपने गठबंधन के कारण मध्य और पूर्वी भागों में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर सकता है (चार्ट 1)।

विलय से उन बैंकों को पूंजीगत बफ़रों को मजबूत बनाने में मदद मिली जो विनियामकीय अपेक्षाओं को पूरा करने में चुनौतियों का सामना कर रहे थे (सारणी 3)।

सारणी 1: कोर बैंकिंग समाधान

बैंक	जिसमें विलय हुआ	कोर बैंकिंग समाधान
पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	पंजाब नैशनल बैंक	फिनेकल
सिंडीकेट बैंक केनरा बैंक	केनरा बैंक	आईफ्लेक्स क्यूब (ओएफएसएस)
आंध्रा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	फिनेकल
इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक	इंडियन बैंक	बैंक्स

सारणी 2: शेयर स्वैप अनुपात

पंजाब नैशनल बैंक	• ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के ₹10 प्रति शेयर के प्रत्येक 1,000 शेयरों के लिए पंजाब नैशनल बैंक के ₹ 2 प्रति शेयर के 1,150 इक्विटी शेयर • यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ₹10 प्रति शेयर के प्रत्येक 1,000 इक्विटी शेयरों के लिए पंजाब नैशनल बैंक के ₹2 प्रति शेयर के121 इक्विटी शेयर
केनरा बैंक	• सिंडिकेट बैंक के ₹10 प्रति शेयर के प्रत्येक 1,000 इक्विटी शेयरों के लिए केनरा बैंक के ₹10 प्रति शेयर के 158 इक्विटी शेयर
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	• आंध्रा बैंक के ₹10 प्रति शेयर केप्रत्येक 1,000 इक्विटी शेयरों के लिए यूनियन बैंक के ₹10 प्रति शेयर के 330 इक्विटी शेयर • कॉर्पोरेशन बैंक के ₹2 प्रति शेयर के प्रत्येक 1,000 इक्विटी शेयरों के लिए यूनियन बैंक के ₹10 प्रति शेयर के 325 इक्विटी शेयर
इंडियन बैंक	• इलाहाबाद बैंक के ₹10 प्रति शेयर के प्रत्येक 1,000 इक्विटी शेयरों के ₹10 प्रति शेयर के लिए इंडियन बैंक के 115 इक्विटी शेयर

सारणी 3: बैंकों का सीआरएआर: विलय के पहले और बाद में

(प्रतिशत)

	31 मार्च 2020 (विलय के पहले)	30 जून 2020 (विलय के बाद)
पंजाब नैशनल बैंक	14.14	12.63
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	11.55	
यूनाइटेड बैंक	5.56	
केनरा बैंक	13.65	12.77
सिंडीकेट बैंक	11.52	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	12.81	11.62
आंध्रा बैंक	11.12	
कॉर्पोरेशन बैंक	11.53	
इंडियन बैंक	14.12	13.45
इलाहाबाद बैंक	12.01	

चार्ट 1 : बैंक शाखाओं का क्षेत्रीय संकेंद्रण

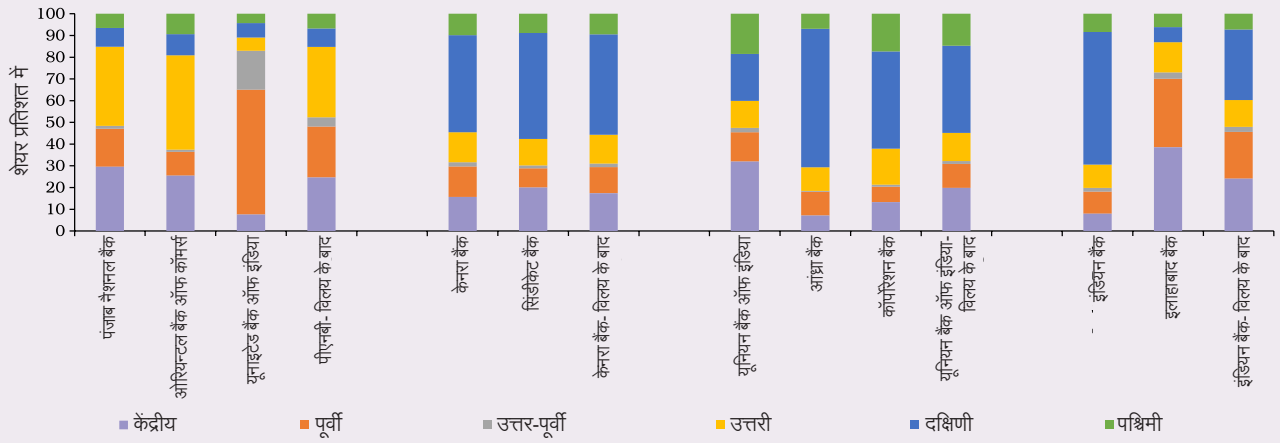

स्रोत: सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीआईएसबीआई) (पूर्ववर्ती मास्टर ऑफिस फाइल सिस्टम) डेटाबेस, आरबीआई।

(जारी...)

सारणी 4: एनएनपीए अनुपात

(प्रतिशत)

	31 मार्च 2020 (विलय के पहले)	30 जून 2020 (विलय के बाद)
पंजाब नैशनल बैंक	5.80	
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	5.00	5.39
यूनाइटेड बैंक	4.88	
केनरा बैंक	4.18	4.08
सिंडीकेट बैंक	4.61	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	5.49	
आंध्रा बैंक	4.92	4.75
कॉर्पोरेशन बैंक	5.14	
इंडियन बैंक	3.13	3.76
इलाहाबाद बैंक	5.66	

सारणी 5: प्रावधान कवरेज अनुपात

(बिना बट्टा खाता समायोजन के, प्रतिशत में)

	31 मार्च 2020 (विलय के पहले)	30 जून 2020 (विलय के बाद)
पंजाब नैशनल बैंक	62.39	
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	62.84	64.47
यूनाइटेड बैंक	66.86	
केनरा बैंक	50.20	56.27
सिंडीकेट बैंक	63.44	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	64.37	
आंध्रा बैंक	72.80	69.61
कॉर्पोरेशन बैंक	66.26	
इंडियन बैंक	53.11	66.92
इलाहाबाद बैंक	70.18	

विलय के प्रभाव को साथ-साथ कार्य कर रहे अन्य बलों से अलग करना मुश्किल है, इसके बावजूद, प्रावधानों में सुधार ने निवल एनपीए अनुपातों को नियंत्रण में रखने में सहायता की (सारणी 4 और 5)। समेकन से बैंकों के बीच प्रति कर्मचारी परिचालन लाभ में भी सुधार लाने में सहायता मिली होगी।

में बढ़कर 13.3 प्रतिशत हो गया। हालांकि, वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के प्रारंभ के दौरान भारतीय बैंकों के पास तुलनात्मक रूप से अधिक मजबूत पूंजीगत बफर थे, परंतु कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक समकक्षों की तुलना में उनकी पूंजीगत स्थिति अत्यंत कमजोर है[4]। विनियामकीय न्यूनतम सीईटी-I अनुपात (5.5 प्रतिशत और 1.875 प्रतिशत का पूंजीगत संरक्षण बफर अर्थात 7.375 प्रतिशत) से दूरी के संदर्भ में देखा जाए तो बैंक संवितरण के निचले छोर पर संकेंद्रित हैं (चार्ट IV.15बी)।

IV.30 सरकार द्वारा पूंजी डाले जाने के साथ, पीएसबी ने जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में वृद्धि के बावजूद अपने सीआरएआर में सुधार किया। वर्ष 2019-20 में ₹ 70,000 करोड की बजटीय पूंजी डालने के साथ, सरकार पिछले पांच वर्षों में इन बैंकों में ₹ 3.16 लाख रुपए डाल चुकी है। निकटस्थ कोविड-19 के कारण ऋण चुकौती में होने वाली चूकों के प्रति हानि-वहन करने की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एससीबी ने अपनी पूंजी स्थितियों को बेहतर बनाया है। आंतरिक पूंजी निर्माण और सरकार द्वारा पुनर्पूंजीकरण

चार्ट IV.15: भारतीय बैंकों का पूंजीकरण

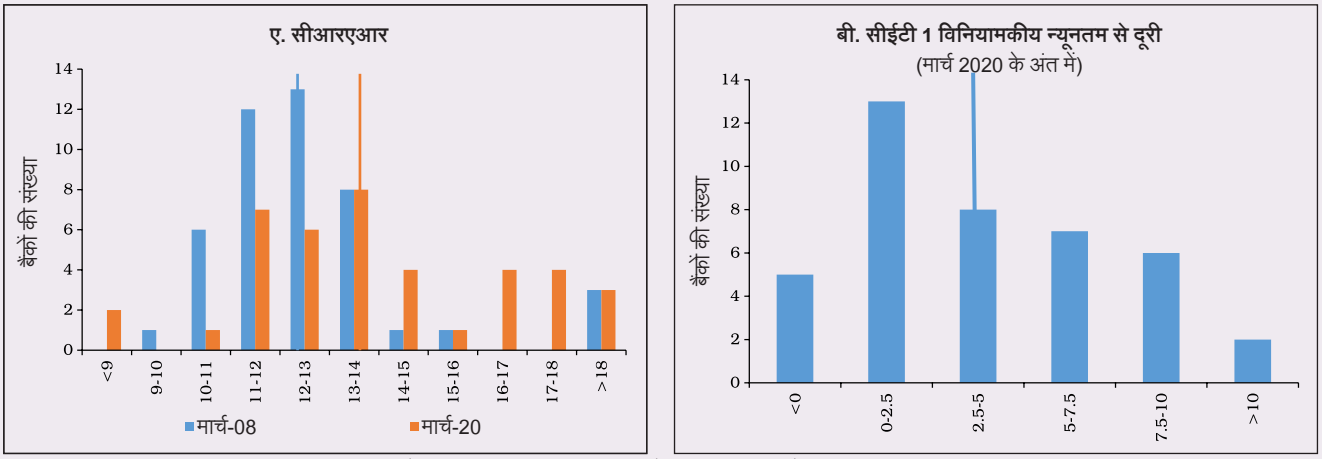

टिप्पणी: उर्ध्वाधर रेखा संबंधित वर्ष के लिए माध्यिका को दर्शाती है। 2. 40 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों पर आधारित।
स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा और ऑफ साइट विवरणियाँ, भा.रि. बैंक

[4] बीआईएस वार्षिक आर्थिक समीक्षा, 2020

सारणी IV.8: बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक और अधिकार निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएसबी		पीवीबी		कुल		सकल योग
	इक्विटी	कर्ज	इक्विटी	कर्ज	इक्विटी	कर्ज	
1	2	3	4	5	6	7	8= (6+7)
2018-19	-	-	-	-	-	-	-
2019-20	-	-	410	-	410	-	410
2020-21*	-	-	15,000	-	15,000	-	15,000

टिप्पणी: 1. *: नवंबर 2020 तक।
2. -: शून्य/नगण्य।
स्रोत: सेबी।

सारणी IV.9: निजी स्थानन के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹ करोड़ में)

	2018-19		2019-20		2020-21 (नवंबर तक)	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
पीएसबी	13	15,190	20	29,573	15	36,439
पीवीबी	13	19,943	8	23,121	3	32,443

स्रोत: बीएसई, एनएसई और मर्चेन्ट बैंकर्स।

(पीएसबी के मामले में) के अलावा बैंकों ने सार्वजनिक निर्गमों, अधिमानी आबंटन, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) और गैर-कोर आस्तियों को बेचकर बाजार से पूंजी जुटाई। कम मूल्यनिर्धारण के कारण पीएसबी सार्वजनिक निर्गमों से दूर रहे (सारणी VI.8)।

IV.31 लगभग सभी प्रमुख बैंकों ने 2020-21 में कर्ज या इक्विटी के माध्यम से या दोनों के संयोजन के माध्यम से पूंजी जुटाने की योजनाओं की घोषणा की है। कुछ प्रमुख पीवीबी ने पूंजी जुटाने में बढ़त हासिल कर ली है, परंतु छोटे कर्जदाता, विशेष रूप से पहले से ही कमजोर तुलन पत्र वाले, अपनी अनुपस्थिति से सुस्पष्ट हैं, वे आंशिक अनिश्चितता को दर्शा रहे हैं कि क्या वे मौजूदा बाजारू परिस्थितियों में संसाधन जुटाने में सक्षम होंगे या नहीं।

IV.32 वर्ष 2019-20 के दौरान पीएसबी के द्वारा निजी स्थानन आधार पर बांड निर्गमों और क्यूआईपी के द्वारा जो राशि जुटाई गई है, वह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दुगुनी है। पीएसबी और पीवीबी दोनों ने एक साल पहले की तुलना में 2020-21(नवंबर तक) में अभी तक निजी स्थानन के माध्यम से अधिकतर पूंजी जुटाई है (सारणी IV.9)। इनमें से कई बांड टियर II बांड, बासेल III अनुपालन की श्रेणी में आते हैं, जो बैंकों की पूंजीगत स्थितियों को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं।

4.2 लीवरेज और चलनिधि

IV.33 लीवरेज अनुपात (एलआर) को कुल एक्सपोजर की तुलना में टियर-1 पूंजी के अनुपात के अनुपूरक के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह लीवरेज निर्माण को रोकने के लिए जोखिम-आधारित पूंजी अनुपात के रूप में कार्य करता है। विदेशी बैंक (एफबी) जिनके व्युत्पन्नी एक्सपोजर में तीव्र वृद्धि होने के कारण लीवरेज अनुपात पिछले वर्ष के 6.6 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2020 के अंत में मामूली रूप से गिरकर 6.5 प्रतिशत हो गया। हालांकि, एससीबी का लीवरेज अनुपात सितंबर 2020 तक फिर से बढ़कर 7.0 प्रतिशत हो गया। अक्तूबर 2019 से प्रभावी विनियामकीय अपेक्षाओं में कमी के बावजूद, पूंजीगत स्थितियों में सुधार के कारण पीएसबी और पीवीबी के लीवरेज अनुपात मे मामूली बढ़ोतरी हुई जबकि उनका कुल एक्सपोजर निहित बना रहा (चार्ट IV.16ए)।

IV.34 बासेल समिति द्वारा निर्धारित चलनिधि के निधियन के दो मानकों में से, एलसीआर भारत में 1 जनवरी 2015 से प्रभावी है (निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) को 1 अप्रैल, 2021 तक स्थगित कर दिया गया है।) निम्नतर क्रेडिट संवितरण और बैंकों में जोखिम विमुखता के चलते (चार्ट IV.16बी), मार्च, 2020 के अंत तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पूववर्ती वर्ष के 128.9 प्रतिशत से बढ़कर 159.1 प्रतिशत हो गया। 17 अप्रैल, 2020 से एलसीआर को 80 प्रतिशत की निम्नतर दर पर बनाए रखने के लिए बैंकों को दी गई विनियामक छूट के बावजूद प्रणालीगत एलसीआर यथा सितंबर 2020 के अंत में 171 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया था।

4.3 अनर्जक आस्तियां

IV.35 सकल एनपीए अनुपात में, मार्च 2018 के उच्चतम स्तर के बाद, प्रारंभ सुधार 2019-20 के दौरान और 2020-21 में अब तक जारी रहा, यह सितंबर 2020 के अंत तक 7.5

चार्ट IV.16: लीवरेज और चलनिधि

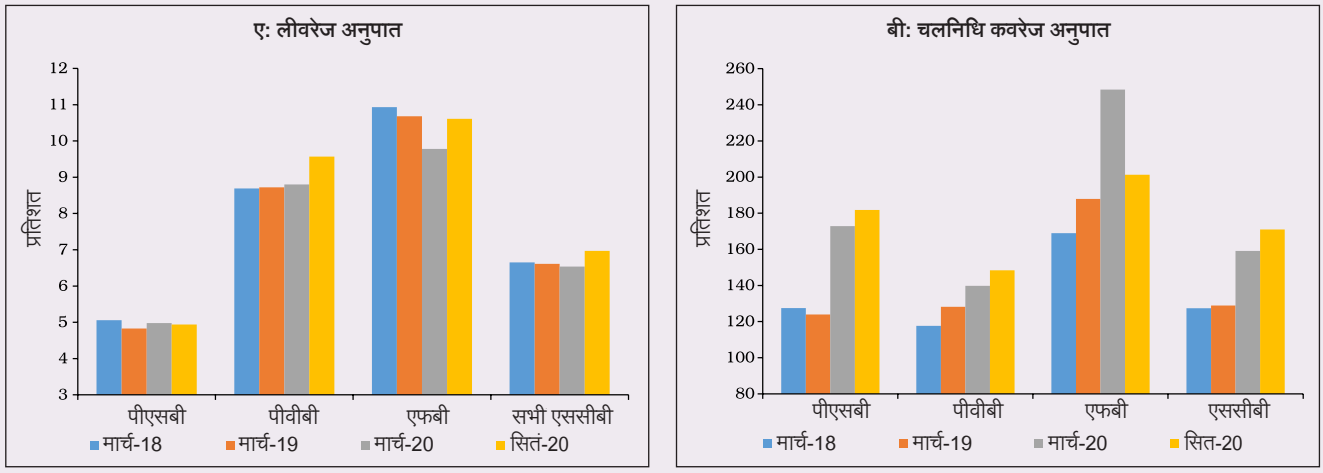

स्रोत: ऑफ-साईट विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई

प्रतिशत के स्तर पर तक पहुंच गया है। गिरावट में कमी जो यथा सितंबर 2020 को कम होकर 0.74 प्रतिशत हो गई और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के माध्यम से कुछ बड़े खातों के समाधान ने, इस सुधार को गति दी है। ताजातरीन गिरावट पीएसबी में सबसे ज्यादा रही। (चार्ट IV.17ए और बी)।

IV.36 सितंबर 2020 के अंत की स्थिति के अनुसार 7.5% का मामूली जीएनपीए अनुपात ठोस अंतर्निहित गिरावट पर पर्दा डाल देता है। यदि कोविड-19 प्रकोप से राहत के तौर पर आस्ति गुणवत्ता की यथास्थिति बनाए रखने का प्रावधान नहीं होता तो भारतीय रिज़र्व बैंक के आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों के अनुसार, अनर्जक आस्तियों में बढ़ोतरी उच्चतर रही होती (सारणी IV.10)। कोविड-19 के कारण उत्पन्न अनिश्चितता और वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसके कुप्रभाव को देखते हुए, आगे चलकर, बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता तेजी से बिगड़ सकती है।

IV.37 वर्ष 2005-12 के दौरान ऋण में तेजी से बढ़ोतरी और कड़े ऋण संबंधी मूल्यांकन और निगरानी के मानकों की

चार्ट IV.17: बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

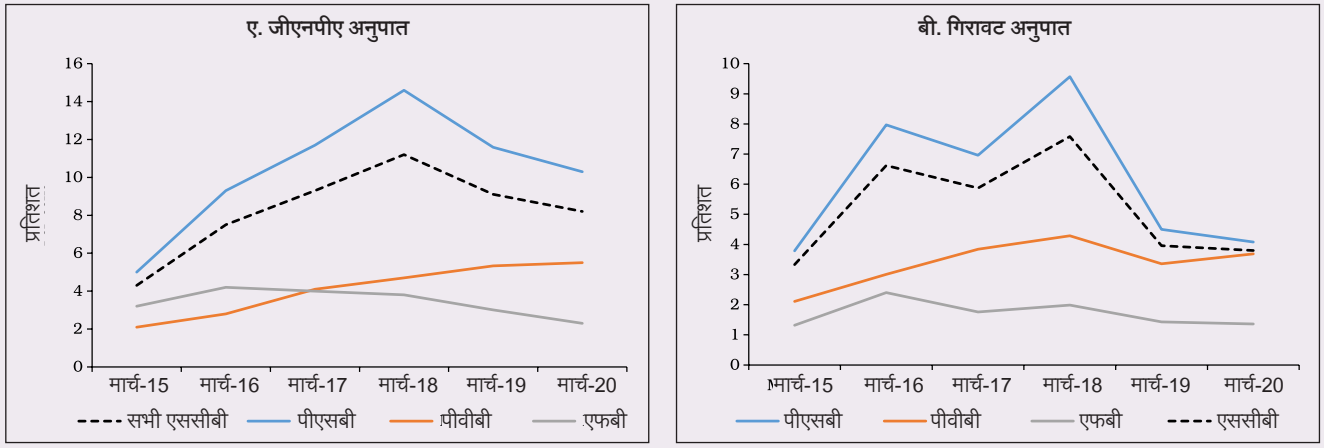

टिप्पणी : बैंकों का वार्षिक लेखा और ऑफ-साईट विवरणियां (वैश्विक परिचालन) का उपयोग करते हुए जीएनपीए अनुपात की गणना की जाती है।
स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा और ऑफ-साईट विवरणियां।

सारणी IV.10: आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण
(सितंबर 2020 के अंत तक के अनुसार)

	यथा रिपोर्ट किए गए अनुसार (प्रतिशत)		आईआरएसी मानदंडों के अनुसार (प्रतिशत)		अंतर (प्रतिशतता अंक)	
	जीएनपीए अनुपात	एनएनपीए अनुपात	जीएनपीए अनुपात	एनएनपीए अनुपात	जीएनपीए अनुपात	एनएनपीए अनुपात
1	2	3	4	5	(4-2)	(5-3)
बैंक ऑफ बड़ौदा	9.14	2.51	9.33	2.67	0.19	0.16
भारतीय स्टेट बैंक	5.28	1.59	5.88	2.08	0.60	0.49
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	14.71	4.13	15.37	4.76	0.66	0.63
एक्सिस बैंक	3.94	0.98	4.28	1.03	0.10	0.05
बंधन बैंक	1.18	0.36	1.54	0.72	0.36	0.36
एचडीएफसी बैंक	1.08	0.17	1.37	0.35	0.29	0.18
आईसीआईसीआई बैंक	5.63	1.00	5.36	1.12	0.19	0.12
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक	1.62	0.43	1.87	0.60	0.25	0.17
कोटक महिंद्रा बैंक	2.55	0.64	2.70	0.74	0.15	0.10

स्रोत : ओएसएमओएस पर्यवेक्षी विवरणियां।

अनुपस्थिति के साथ-साथ, इरादतन चूक, बाद के वर्षों में आस्ति गुणवत्ता में खराबी के लिए जिम्मेदार है।

IV.38 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल एनपीए की मात्रा लगातार दूसरे वर्ष कम हुई है। प्रावधानीकरण में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के साथ, एससीबी के निवल एनपीए अनुपात में सुधार दर्ज होते हुए, यह मार्च 2020 के अंत तक यह 2.8 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.11)। रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध पर्यवेक्षी विवरणियों के अनुसार, सितंबर 2020 के अंत तक एससीबी का निवल एनपीए अनुपात और भी कम होते हुए 2.2 प्रतिशत हो गया।

IV.39 इस वर्ष के दौरान एनपीए में यह कमी अधिकांशतः बट्टे खाते डालने की प्रक्रिया से प्रेरित रही (चार्ट IV.18 ए और बी)। चार वर्ष से पुराने एनपीए को 100 प्रतिशत प्रावधानीकरण की आवश्यकता होती है और, इसलिए बैंक इनसे मुक्त होने को तरजीह देते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक उनके तुलन-पत्रों को सुव्यस्थित करने, कर लाभों का उपयोग करने और पूंजी का अधिकतम इस्तेमाल करने के उद्देश्य से, स्वैच्छिक रूप से एनपीए को बट्टे खाते डालते हैं। इसके साथ ही, बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ता चुकौती के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं।

IV.40 इन घटनाओं के चलते, 2019-20 के दौरान कुल अग्रिमों में मानक आस्तियों का हिस्सा निजी बैंकों तथा एसएफबी को छोड़कर सभी एससीबी में बढ़ गया। इसके साथ ही साथ, संदिग्ध आस्तियों का भाग कम हुआ है जबकि हानिगत आस्ति का भाग बढ़ गया (सारणी IV.12)।

सारणी IV.11: बैंक समूहवार अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	पीएसबी*	पीवीबी	एफबी	एसएफबी	सभी एससीबी#
सकल एनपीए					
2018-19 के लिए अंतिम शेष	7,39,541	1,83,604	12,242	1,087	9,36,474
2019-20 के लिए प्रारंभिक शेष	7,17,850	1,83,604	12,242	1,660	9,15,355
वर्ष 2019-20 के दौरान बढ़ोतरी	2,38,464	1,31,249	6,751	1,764	3,78,228
वर्ष 2019-20 के दौरान कमी	99,692	51,335	3,832	1,046	1,55,905
वर्ष 2019-20 के दौरान बट्टे खाते डाले गए	1,78,305	53,949	4,953	669	2,37,876
वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम शेष	6,78,317	2,09,568	10,208	1,709	8,99,803
सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए**					
2018-19	11.6	5.3	3.0	1.7	9.1
2019-20	10.3	5.5	2.3	1.9	8.2
निवल एनपीए					
2018-19 के लिए अंतिम शेष	2,85,122	67,309	2,051	586	3,55,068
2019-20 के लिए अंतिम शेष	2,30,918	55,746	2,084	784	2,89,531
निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए**					
2018-19	4.8	2.0	0.5	1.0	3.7
2019-20	3.7	1.5	0.5	0.9	2.8

नोट: 1. #: आंकड़ों में अनुसूचित एसएफबी के आंकड़े शामिल हैं।
2. *:देना बैंक और विजया बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में समामेलन के कारण 2018-19 के लिए अंतिम शेष और 2019-20 के लिए प्रारंभिक शेष मेल नहीं खाते हैं.
3. **: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा से सकल एनपीए ध्यान में लेते हुए और ऑफ-साईट विवरणियों (वैश्विक परिचालन) से सकल अग्रिमों ध्यान में लेते हुए यह गणना की गई है।

स्रोत: बैंकों का वार्षिक लेखा और ऑफ-साईट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

चार्ट IV.18: बट्टे खाते डाला जाना और जीएनपीए में कमी

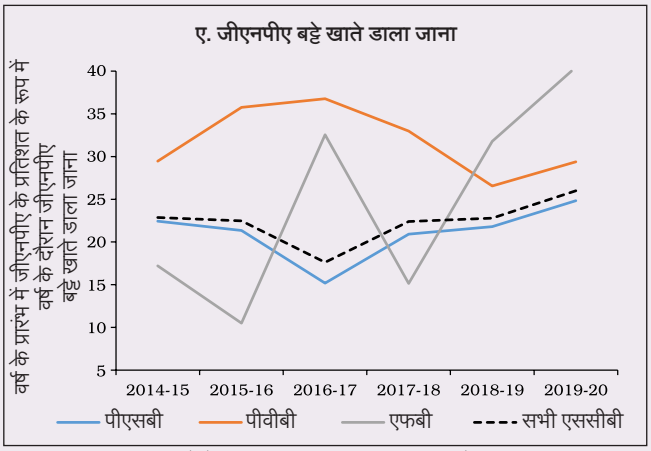

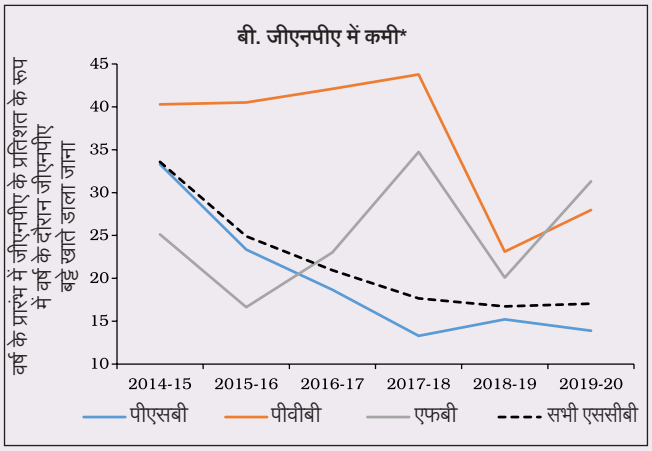

टिप्पणी : मानक आस्तियों में उन्नत की गई आस्तियां शामिल हैं।
स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा

IV.41 सितंबर 2020 के अंत तक, बड़े उधार खाते (₹5 करोड़ और उससे अधिक एक्सपोजर वाले) एनपीए का 79.8 प्रतिशत और कुल ऋण का 53.7 प्रतिशत भाग थे। 2019-20 के दौरान, पीएसबी का सकल एनपीए अनुपात और साथ ही साथ बड़े उधार खातों को कुल निधीयन की राशि के प्रति पुनर्रचित मानक आस्तियों का अनुपात कम होने की दिशा में रहा। इसके विपरीत निजी बैंकों में इस प्रकार के खातों में एनपीए का भाग बढ़ गया। स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए-0) वाले हिस्से में सितंबर 2020 में तेज बढ़ोतरी देखी गई। यह 31 अगस्त, 2020 को ऋण अधिस्थगन को हटाए जाने का प्रारंभिक संकेत हो सकता है। तथापि एसएमए की अन्य श्रेणियां जैसे एसएमए-1 और एसएमए-2 तुलनात्मक रुप से निम्न स्तर पर रही हैं (चार्ट IV.19)।

4.4 वसूलियाँ

IV.42 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) जो कंपनियों की रक्षा के लिए है, वह वसूली का प्रभावी माध्यम बना रहा। हालांकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) भी वसूली के प्रमुख माध्यम के रूप में उभरा (सारणी IV.13)। सहकारी बैंकों पर भी सरफेसी अधिनियम दायरा

सारणी IV.12: बैंक समूहवार ऋण आस्तियों का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में राशि)

बैंक समूह	मार्च के अंत में	मानक आस्ति		अवमानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानिगत आस्ति	
		राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
पीएसबी	2019	50,86,874	87.8	1,37,377	2.4	5,06,492	8.7	66,239	1.1
	2020	53,27,903	89.2	1,32,530	2.2	4,04,724	6.8	1,07,163	1.8
पीवीबी	2019	31,03,581	95.2	42,440	1.3	1,04,696	3.2	9,576	0.3
	2020	34,14,554	94.9	56,588	1.6	92,396	2.6	34,986	1.0
एफबी	2019	3,94,638	97.0	3,190	0.8	8,019	2.0	1,034	0.3
	2020	4,25,857	97.7	3,273	0.8	5,775	1.3	1,161	0.3
एसएफबी**	2019	61,652	98.2	719	1.1	360	0.6	44	0.1
	2020	89,800	98.1	1,023	1.1	648	0.7	39	0.0
सभी एससीबी	2019	86,46,745	90.8	1,83,726	1.9	6,19,567	6.5	76,894	0.8
	2020	92,58,114	91.7	1,93,413	1.9	5,03,543	5.0	1,43,349	1.4

टिप्पणियां : 1. राउंडिंग ऑफ के कारण घटक मदों को कुल में जोड़ा नहीं जा सका।
2. *: सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में।
3. **: अनुसूचित एसएफबी का संदर्भ लें।
स्रोत: ऑफ-साईट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

चार्ट IV.19: बड़े उधार खातों में दबाव

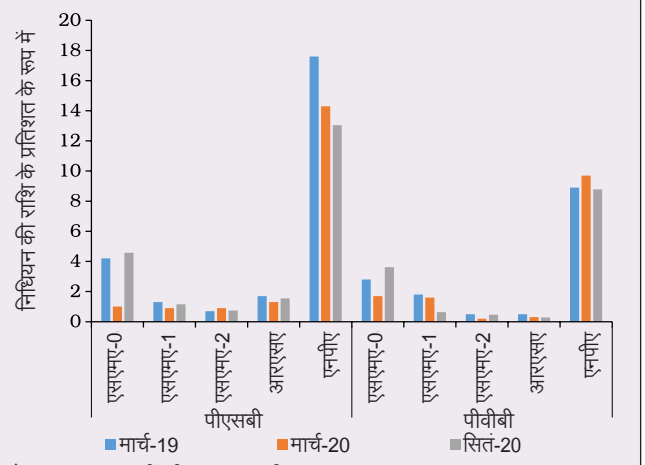

नोट : आरएसए : पुनर्गठित किए गए मानक अग्रिम ;
एसएमए-0, जहां मूलधन या ब्याज अदायगी 30 दिनों से ज्यादा समय के लिए बकाया नहीं थे, लेकिन संबंधित खाते में दबाव के आरंभिक संकेत प्रकट होने लगे थे;
एसएमए-1, जहां मूलधन या ब्याज अदायगी 31-60 दिनों से ज्यादा समय के लिए बकाया थे;
एसएमए-2, जहां मूलधन या ब्याज अदायगी 61-90 दिनों से ज्यादा समय के लिए बकाया थे।
स्रोत: बड़े ऋणों के संबंध में केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी)

विस्तारित होने के चलते, इस माध्यम के आगे और भी प्रभावी रूप से उभरने की आशा है। आगे चलकर, दिवालिया परिणाम कोविड-19 से जुड़ी अनिश्चितताओं पर निर्भर करेगा। सरकार ने कोविड-19 के कुप्रभाव से कंपनियों का बचाव करने हेतु 25 मार्च, 2020 से शुरू होकर एक साल के दौरान उत्पन्न होने वाली चूक के संबंध में किसी भी नयी दिवालिया कार्यवाहियों को प्रारंभ करने पर रोक लगाया है।

IV.43 विविध समाधान प्रणालियों के जरिए की जाने वाली वसूली के अलावा बैंक अपने एनपीए से शीघ्र मुक्ति पाने के उद्देश्य से उन्हें आस्ति पुनर्रचना कंपनियों (एआरसी) को बेचने के जरिए तुलन पत्रों को भी दुरुस्त करते हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान एसीबी द्वारा एआरसी को आस्तियों की बिक्री में कमी आई है, जिसका कारण संभवत: यह रहा है कि एससीबी ने समाधान के अन्य माध्यमों यथा आईबीसी और सरफेसी को वरीयता दी है। आस्तियों के बही मूल्य के समानुपात के संदर्भ में एआरसी की अर्जन लागत कम हुई है जो आस्तियों का प्राप्य मूल्य कम होने का संकेत देती है (चार्ट IV.20)।

सारणी IV.13: विभिन्न माध्यमों से वसूले गए एससीबी के एनपीए

(₹ करोड़ में राशि)

वसूली का माध्यम	2018-19				2019-20			
	संदर्भित किए गए मामलों की संख्या	निहित राशि	वसूल की गई*	कॉलम (3) के प्रतिशत के रूप में कॉलम (4)	संदर्भित किए गए मामलों की संख्या	निहित राशि	वसूल की गई राशि*	कॉलम (7) के प्रतिशत के रूप में कॉलम(8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लोक अदालत	40,87,555	53,484	2,750	5.1	59,86,790	67,801	4,211	6.2
डीआरटी	51,679	2,68,413	10,552	3.9	40,818	2,45,570	10,018	4.1
सरफेसी अधिनियम	2,35,437	2,58,642	38,905	15.0	1,05,523	1,96,582	52,563	26.7
आईबीसी	1,152@	1,45,457	66,440	45.7	1,953@	2,32,478	1,05,773	45.5
कुल	**43,75,823**	**7,25,996**	**1,18,647**	**16.3**	**61,35,084**	**7,42,431**	**1,72,565**	**23.2**

नोट : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. *: निर्दिष्ट वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि के संदर्भ में जो निर्दिष्ट वर्ष के दौरान,साथ ही पूववर्ती वर्षों के दौरान संदर्भित मामलों के विषय में हो सकते हैं।
3. डीआरटी: ऋण वसूली न्यायाधिकरण
4. @: आईबीसी के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा स्वीकार किए गए मामले। हालांकि, इसमें शामिल राशि और वसूली गई राशि के लिए प्रदर्शित आंकड़े उन मामलों के लिए हैं जिनकी समाधान योजना को वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमोदित किया गया था यानी 2018-19 में 81 मामले और 2019-20 में 135 मामले को अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, वसूली गई राशि न केवल एससीबी द्वारा बल्कि सभी वित्तीय लेनदारों द्वारा वसूली की जाने योग्य राशि को संदर्भित करती है।
5. एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की समाधान योजना को वर्ष 2018-19 में मंजूरी दी गई थी। हालांकि, जैसा कि ऋणदाताओं के बीच प्रभाजन का निपटान वर्ष 2019-20 में किया गया था, लेकिन वसूली बाद के वर्ष के आंकड़ों में परिलक्षित होती है।

स्रोत : ऑफ साईट विवरिणयां, आरबीआई और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)

चार्ट IV.20: एआरसी को दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री

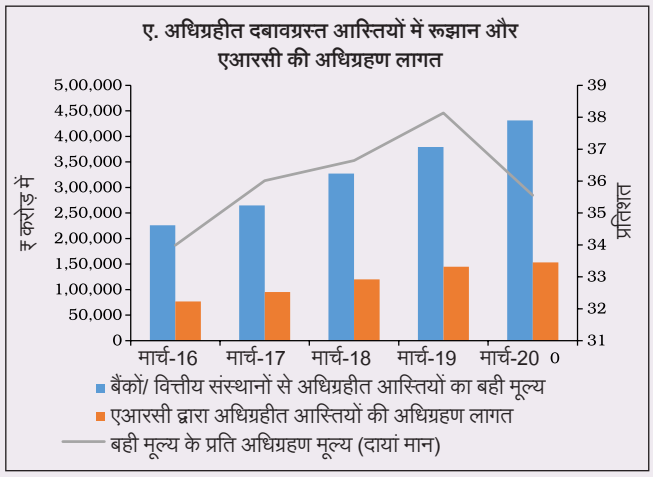

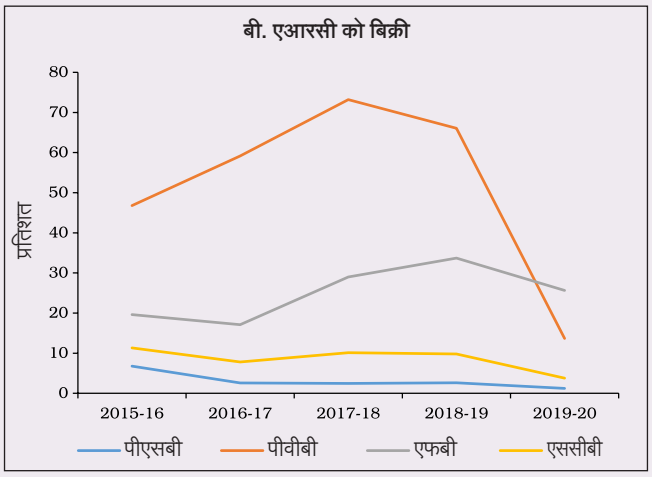

स्रोत : एआरसी और ऑफ-साईट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरणियां।

IV.44 बैंकों द्वारा प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में किए गए अभिदान की हिस्सेदारी मार्च 2018 के अंत के 80.5 प्रतिशत से लगातार कम होते हुए मार्च 2020 के अंत में 66.7 प्रतिशत तक पहुंच गयी क्योंकि एआरसी को इस मामले में प्रोत्साहित किया गया और अन्य वित्तीय संस्थानों को शामिल करते हुए निवेशकों के आधार का विविधिकरण किया गया (सारणी IV.14)।

4.5 बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी

IV.45 हाल ही में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जहां धोखाधड़ी में बड़े मूल्य की राशि निहित है, जिसके चलते परिचालनगत जोखिम, जोखिम के एक बड़े स्रोत के रूप में उभरकर सामने आया। इस प्रकार की जालसाजी में 98 प्रतिशत घटनाएं ऋणों से जुड़ी हुई थीं लेकिन पहले के कई वर्षों से वे घटित हो रहे थे (सारणी IV.15, परिशिष्ट सारणी IV.15)। बड़े मूल्य वाली धोखाधड़ियाँ काफी जिनमें से शीर्ष 50 धोखाधड़ियाँ क्रेडिट से संबंधित थीं जिनकी सम्मिलित राशि वर्ष 2019-20 के दौरान धोखाधड़ी की कुल राशि का 76 प्रतिशत है।

IV.46 पुनश्च, इनमें से बहुत से खातों में ऋण सुविधा की मंजूरी की तारीख और इनसे जुड़े बैंकिंग रिश्ते बहुत पुराने थे। उदाहरण के लिए, संख्या और राशि दोनों दृष्टियों से सितंबर 2020 तक रिपोर्ट की गयी अधिकांश धोखाधड़ियाँ 2017-18 से पहले के वर्षों में घटित हुई थीं (सारणी IV.16)।

सारणी IV.14: एआरसी द्वारा प्रतिभूत की गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में राशि)

मद	मार्च -2018	मार्च -2019	मार्च -2020
1. अर्जित की गई आस्तियों का बही मूल्य	3,27,400	3,79,383	4,31,339
2. एआरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीद	1,18,351	1,42,885	1,51,435
3. के द्वारा सौंपी गई प्रतिभूति रसीद			
(ए) बैंक	95,299	99,840	1,00,934
(बी) एआरसी	18,924	26,470	29,435
(सी) एफआईआई	505	1,681	10,366
(डी) अन्य (अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता)	3,622	14,895	10,700
4. पूरी तरह से विमोचित की गई प्रतिभूति रसीद की राशि	8,413	12,240	17,947
5. बकाया प्रतिभूति रसीद	98,203	1,12,651	1,07,877

स्रोत : एआरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरणियां

सारणी IV.15: रिपोर्टिंग की तारीख को विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

(मामले संख्या में और राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन का क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2019-20 (अप्रैल-सितंबर)		2020-21 (अप्रैल-सितंबर)	
	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि
अग्रिम	2,525	22,558	3,604	64,548	4,611	1,82,117	2,441	1,10,639	1,664	63,950
तुलन- पत्रेतर	20	16,288	33	5,538	34	2,445	22	2,059	14	439
विदेशी मुद्रा में लेन-देन	9	1,426	13	695	8	54	3	52	1	0
कार्ड/इंटरनेट	2,059	110	1,866	71	2,677	129	1,234	53	1244	49
जमाराशि	691	457	593	148	530	616	274	484	245	148
अंतर-शाखा खाते	6	1	3	0	2	0	2	0	2	0
नकद	218	40	274	56	371	63	208	24	132	21
चेक/डीडी, आदि	207	34	189	34	202	39	98	13	76	48
समाशोधन खाते, आदि	37	6	24	209	22	7	15	6	4	1
अन्य	144	247	200	244	250	174	113	44	106	25
कुल	**5,916**	**41,167**	**6,799**	**71,543**	**8,707**	**1,85,644**	**4,410**	**1,13,374**	**3,488**	**64,681**

टिप्पणियां: 1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को दर्शाता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ें उनके द्वारा किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तनों के अधीन हैं।
3. किसी वर्ष में रिपोर्ट की गई जालसाजी रिपोर्टिंग के वर्ष से कई वर्ष पहले घटित हो सकती है।
4. निहित राशि रिपार्ट किए गए अनुसार हैं और हानि की राशि को प्रदर्शित नहीं करती हैं। वसूली के आधार पर, उठाई गई हानि में कमी आ सकती है। साथ ही, यह कोई आवश्यक नहीं है कि ऋण खातों में निहित पूरी राशि विपथित की गई हो।

स्रोत: आरबीआई।

IV.47 इसके अलावा, 'रएक लाख से अधिक' की राशिवाली इस प्रकार की धोखाधड़ी की घटनाओं में, 80 प्रतिशत घटनाएं पीसएसबी में पता चली हैं, मामलों की संख्या साथ ही शामिल राशि के संदर्भ में- कुल रिपोर्टिंग में उनका हिस्सा वर्ष 2019-20 निरंतर कम हुआ है (चार्ट IV.21)।

सारणी IV.16: क्षेत्रवार सकल बैंक ऋण का संवितरण

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन का क्षेत्र	2017-18 के पूर्व		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21 (अप्रैल-सितंबर)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	2	2	3	4	5	6	7	8	9
अग्रिम	7,612	2,58,258	1,944	22,793	1,705	29,565	1,023	21,455	120	1,103
तुलन- पत्रेतर	70	20,640	11	1,143	18	2924	1	1	1	0
विदेशी मुद्रा में लेन-देन	15	1,940	5	83	5	145	6	7	-	-
कार्ड/इंटरनेट	348	28	2,168	105	2,050	80	2,463	119	817	26
जमाराशि	527	666	583	345	521	137	361	191	67	30
अंतर-शाखा खाते	6	1	3	0	3	0	-	-	1	0
नकद	99	41	214	39	270	53	342	31	70	16
चेक/डीडी, आदि	103	24	210	41	158	26	174	62	29	2
समाशोधन खाते, आदि	17	6	36	9	22	206	10	1	2	1
अन्य	228	347	162	167	172	51	113	123	25	4
कुल	**9,025**	**2,81,951**	**5,336**	**24,725**	**4,924**	**33,187**	**4,493**	**21,990**	**1,132**	**1,182**

टिप्पणियां: 1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को दर्शाता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ें उनके द्वारा किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तनों के अधीन हैं।
3. किसी वर्ष में रिपोर्ट की गई जालसाजी रिपोर्टिंग के वर्ष से कई वर्ष पहले घटित हो सकती है।
4. निहित राशि रिपार्ट किए गए अनुसार हैं और हानि की राशि को प्रदर्शित नहीं करती हैं। वसूली के आधार पर, उठाई गई हानि में कमी आ सकती है। साथ ही, यह कोई आवश्यक नहीं है कि ऋण खातों में निहित पूरी राशि विपथित की गई हो।

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.21: धोखाधड़ी वाले मामलों की संख्या : बैंक समूह-वार

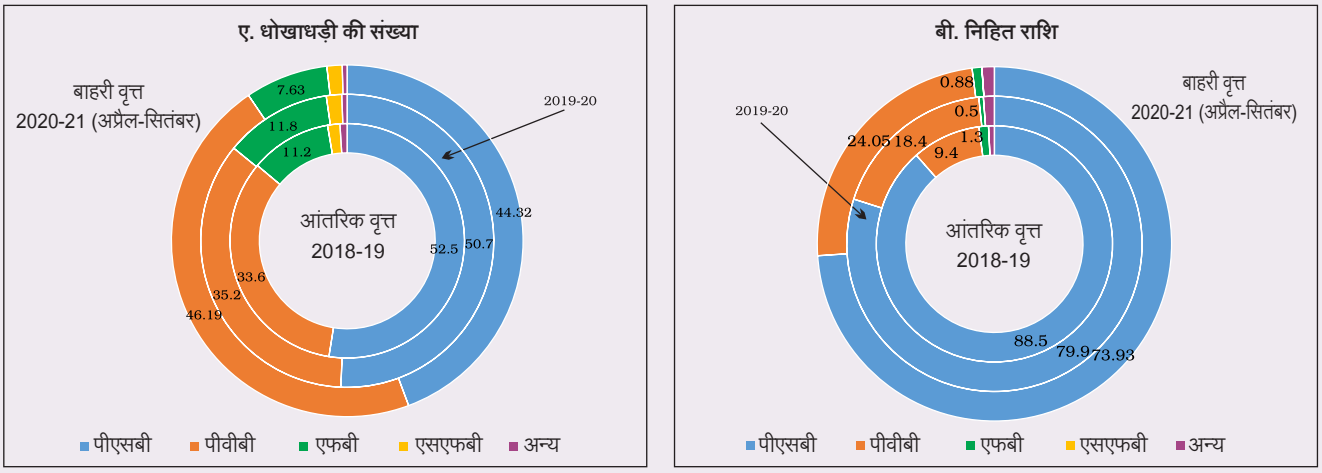

स्रोत : आरबीआई

5. क्षेत्रवार बैंक ऋण – वितरण और एनपीए

IV.48 वर्ष 2019-20 और 2020-21 (सितंबर तक) के दौरान ऋण में संवृद्धि में गिरावट अब तक सभी क्षेत्रों तक व्याप्त थी लेकिन उद्योग और सेवा क्षेत्र के मामले में यह प्रमुख रूप से देखी गई जो आंशिक रूप से क्षेत्रवार एनपीए के वर्धित स्तर को रेखांकित करता है (सारणी IV.16 और चार्ट IV.22ए))।

सारणी IV.17: क्षेत्रवार सकल बैंक ऋण का संवितरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	मद	बकाया यथा			प्रतिशत घट-बढ़ (वर्ष -दर-वर्ष)		
		मार्च-19	मार्च-20	सितं-20	2018-19*	2019-20**	2020-21 (सितंबर तक)^
1	**कृषि और संबद्ध कार्यकलाप**	**12,17,594**	**12,39,575**	**12,91,752**	**10**	**1.8**	**6.6**
2	**उद्योग,** *जिसमें से*	**32,93,638**	**32,52,801**	**31,30,493**	**5.2**	**-1.2**	**-1.4**
	2.1 सूक्ष्म और लघु उद्योग	4,39,811	4,37,658	4,63,564	5.2	-0.5	6.6
	2.2 मध्यम	1,23,843	1,12,376	1,40,247	-1.7	-9.3	18.6
	2.3 बड़े	26,11,567	26,11,369	24,42,320	6.1	-0.01	-3.5
3	**सेवाएं,** *जिसमें से*	**26,02,287**	**27,54,824**	**26,89,484**	**25.1**	**5.9**	**4.3**
	3.1 व्यापार	5,83,930	6,28,171	6,51,990	12.4	7.6	11.5
	3.2 व्यावसायिक स्थावर संपदा	2,43,122	2,66,357	2,54,960	18.9	9.6	-1.1
	3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	56,194	60,039	62,313	7.9	6.8	9.6
	3.4 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	22,236	24,404	22,566	-0.3	9.8	0.0
	3.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	6,27,089	7,36,447	7,17,778	38.4	17.4	1.1
4	**खुदरा ऋण,** *जिसमें से*	**23,04,313**	**26,59,250**	**27,27,946**	**18.6**	**15.4**	**10.4**
	4.1 आवास ऋण	12,04,362	13,96,445	14,37,886	19.5	15.9	10.3
	4.2 उपभोक्ता वस्तुएं	9,195	11,154	16,786	-51.7	21.3	88.6
	4.3 क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां	1,11,361	1,32,076	1,40,824	34.5	18.6	15.7
	4.4 ऑटो ऋण	2,69,677	2,89,366	2,98,672	12.9	7.3	8.4
	4.5 शिक्षा ऋण	76,233	79,056	80,092	1.8	3.7	2.7
	4.6 सावधि जमाओं के प्रति अग्रिम (एफसीएनआर (बी) सहित, आदि)	77,135	80,753	71,482	-0.1	4.7	13.0
	4.7 शेयरों, बांडों आदि के प्रति व्यक्तियों को अग्रिम	9,339	5,619	6,977	46.3	-39.8	-19.4
	4.8 अन्य खुदरा ऋण	5,47,010	6,64,781	6,75,229	25.6	21.5	10.4
5	**सकल बैंक ऋण**	**95,26,932**	**1,00,98,420**	**1,00,63,699**	**13.4**	**6**	**5.1**

टिप्पणियां : 1. सारणी के आंकड़े , बैंकों को शामिल किए जाने में अंतर के कारण आरबीआई द्वारा प्रत्येक माह जारी किए जानेवाले 'क्षेत्रवार बैंक ऋण का संवितरण' आंकड़ों से नहीं मेल खा सकते हैं।
2. *: मार्च 2019 की तुलना में 2018.
3. **: मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2019.
4. ^: सितंबर 2020 की तुलना में सितंबर 2019.

स्रोत : ऑफ-साईट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

चार्ट IV.22: एससीबीई के क्षेत्रवार एनपीए

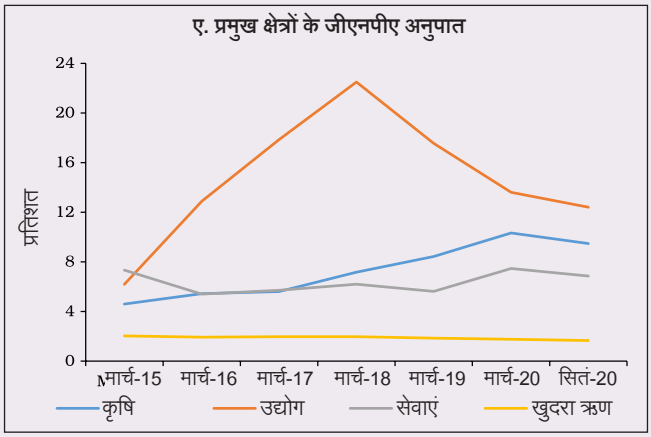

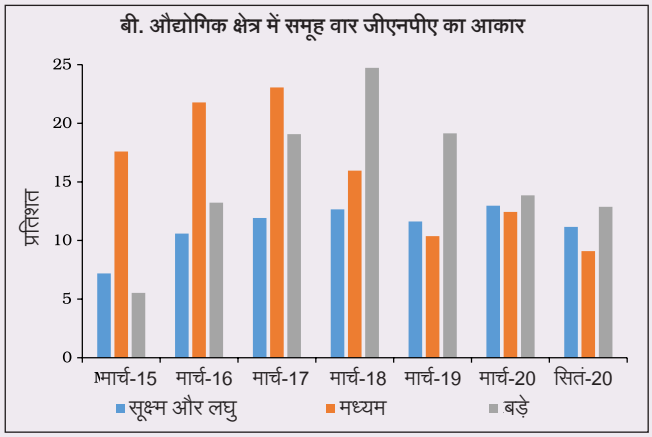

स्रोत: ऑफ-साईट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई

कार्पोरेट डिलिवरेजिंग के संयुक्त प्रभाव के साथ, ऋण की मांग में कमी ने इसमें भूमिका अदा की। समाधान में तेजी और चूकों में कमी से बड़े खातों में दबाव के स्तर को कम करने में मदद मिली। ऋणों 2 की पुनर्संरचना की सुविधा के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में एनपीए को नियंत्रित किया गया[5] (चार्ट IV.22बी)। बैंकों के द्वारा एनबीएफसी को ऋण में कमी को रिजर्व बैंक की लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) योजना के द्वारा वित्तीय रूप से प्रोत्साहित करते हुए उनके ऋण पत्रों में निवेश के माध्यम से आंशिक रूप से ऑफसेट किया गया।

IV.49 भूमि अधिग्रहण, अनेक मंजूरियों के प्राप्त होने में देरी, लंबी उत्पादन-पूर्व अवधि, संविदागत मामलों और लागत के अधिक बढ़ जाने के फलस्वरूप निर्माण और ऊर्जा क्षेत्रों में एनपीए के उच्च स्तर देखे गए हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान निर्यात में गिरावट के कारण रत्न और आभूषण क्षेत्र में, एनपीए में तेजी से बढ़ोतरी हुई है (चार्ट IV.23)।

IV.50 पिछले कुछ वर्षों के दौरान पीवीबी ऋण में संवृद्धि के प्रेरक रहे हैं। तथापि, विपरीत रूप से वर्ष 2019-20 के दौरान सभी क्षेत्रों को उनके ऋण संवृद्धि में गिरावट देखी गई है। पीवीबी और पीएसबी द्वारा उद्योग और कृषि क्षेत्र को उधार की गति मंद भी रही है और इसमें कमी भी आई है (चार्ट IV.24 ए)। पिछले कुछ वर्षों में सेवा और खुदरा खंडों को पीवीबी द्वारा तेजी से ऋण में बढ़ोतरी- जो वर्ष 2018-19 में 30 प्रतिशत के स्तर से आगे निकल गई थी- में अत्यधिक गिरावट हुई, तथापि

चार्ट IV.23: विभिन्न उद्योगों में जीएनपीए अनुपात

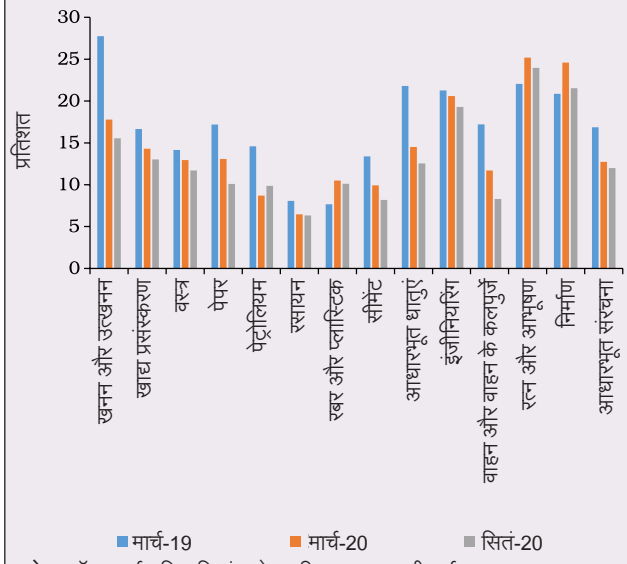

स्रोत: ऑफ-साईट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

[5] एमएसएमई के लिए अनुकूल परिवेश बनाने के उद्देश्य से, वे एमएसएमई जो 'चूक' कर रहे थे, लेकिन यथा 1 जनवरी, 2019 को 'मानक' आस्ति थे, के संबंध में बिना कोई आस्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड किए, मौजूदा ऋण की एकबारगी पुनर्रचना अनुमत की गई थी। यह पुनर्रचना 31 मार्च, 2020 तक कार्यान्वित की जानी अपेक्षित थी। 11 फरवरी, 2020 को इस योजना को 31 दिसंबर, 2020 तक विस्तारित किया गया था। अधिक विवरण के लिए अध्याय III को देखें। .

चार्ट IV.24: क्षेत्रवार ऋण : पीएसबी बनाम पीवीबी

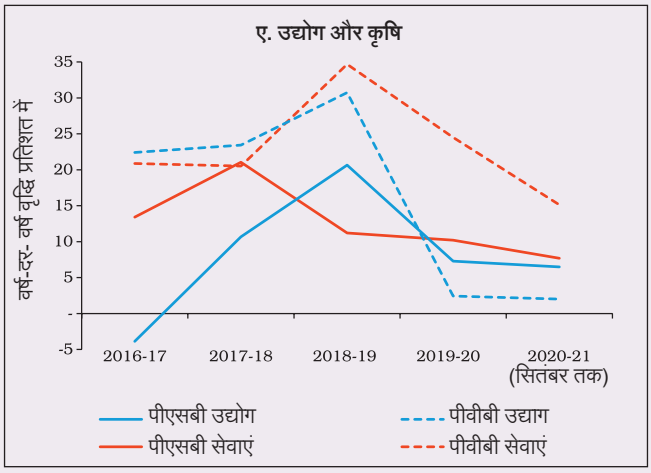

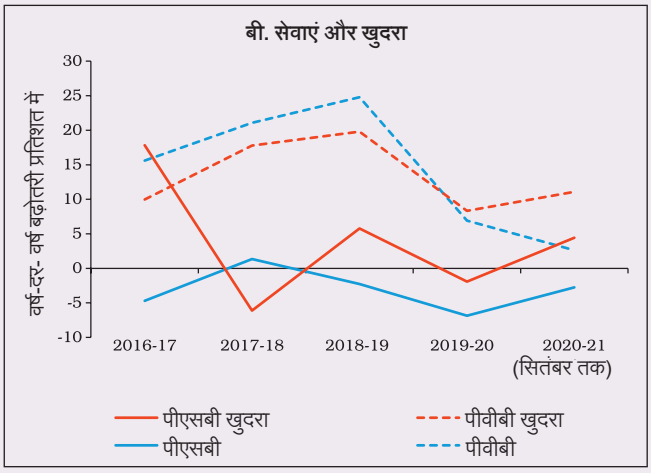

स्रोत: ऑफ-साईट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई

पीएसबी खुदरा क्षेत्र में बाजार के अपने हिस्से को बनाए रखने में सफल रहे (चार्ट IV.24बी)।

5.1 गैर जमानती ऋण

IV.51 पिछले तीन वर्षों में बैंकों और गैर-बैंकों के संविभाग में बेजमानती ऋण का हिस्सा बहुत तेजी से बढ़ा है (चार्ट IV.25ए)। हाल ही के वर्षों में, एससीबी अपनी ऋण बहियों को औद्योगिक क्षेत्र की ओर से खुदरा ऋणों की तरफ अभिमुख हो रहे हैं क्योंकि खुदरा ऋणों के संदर्भ में विचलन दर कम रही है । एससीबी का बेजमानती क्रेडिट कार्ड ऋण का वृद्धिशील हिस्सा – पांच वर्षों की अवधि के दौरान 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गया- लेकिन उनके जोखिम प्रोफाइल के संदर्भ में में यह बहुत अच्छा नहीं है (चार्ट IV.25बी)

चार्ट 25:बेजमानती उधार और खुदरा ऋण में प्रवृत्ति

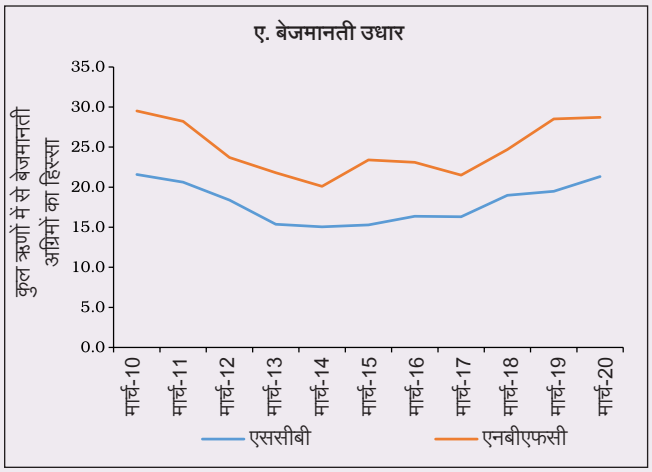

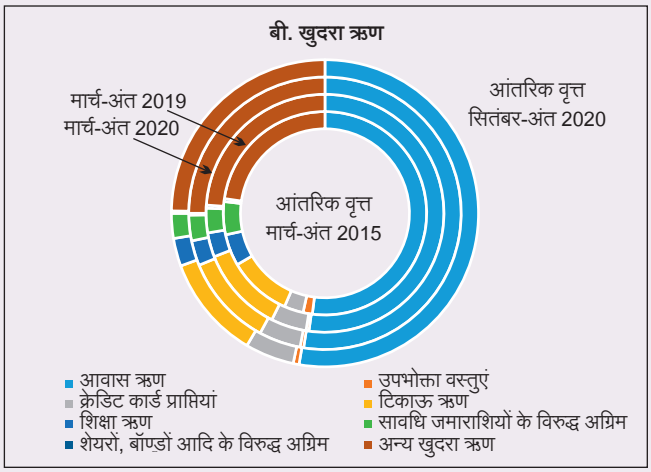

स्रोत: आरबीआई

5.2 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण

IV.52 वर्ष 2019-20 के दौरान प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋणों में उसकी सभी घटक श्रेणियों सभी बैंक समूहों के स्तर पर कमी आई है (चार्ट IV.26)। इस कमी में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की प्रमुखता रही है (परिशिष्ट सारणी IV.3)। प्राथमिकता-प्राप्त शिक्षा ऋणों (₹10 लाख से कम की राशि) के मामले में, उनके ग्राफ में गिरावट उनके उच्च एनपीए रहने का संकेत देता है जबकि इसके बिलकुल उलट गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के शिक्षा ऋण निरंतर वृद्धिशील हैं।

IV.53 वर्ष 2019-20 के दौरान, भले ही सभी बैंक समूहों ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) ऋण के समग्र लक्ष्य को हासिल कर लिया है, लेकिन उनमें से कुछ बैंक इस संबंध में अनेक उप-लक्ष्य जैसे कृषि, सूक्ष्म उद्यमों, लघु और सीमांत कृषकों (एसएमएफ) और गैर-कार्पोरेट वैयक्तिक कृषकों से संबंधित लक्ष्य हासिल करने में चूक गए। (सारणी IV.17). सितंबर 2020 में जारी किए गए संशोधित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार विषयक दिशानिर्देशों से लघु और मध्यम कृषकों (एसएमएफ) और कमजोर वर्गों को उधार में वृद्धि होने की

चार्ट IV.26: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण– सभी एससीबी

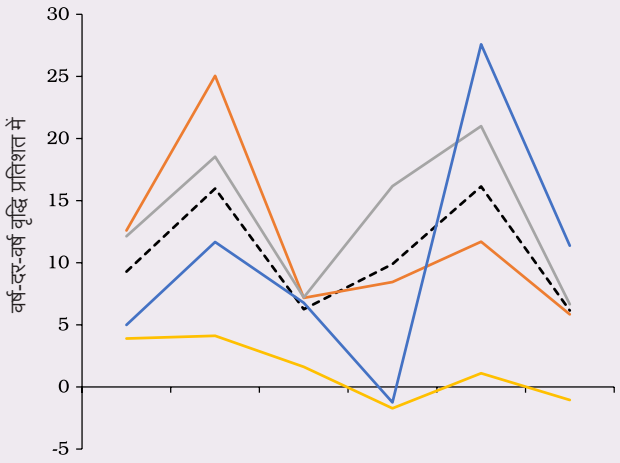

स्रोत: आरबीआई

आशा है – इन श्रेणियों के लिए निर्धारित लक्ष्य चरणबद्ध रूप से बढ़ाए जा रहे हैं। इन दिशानिर्देशों से, उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में स्टार्ट-अप, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को भी ऋण में गति मिलने की संभावना है।

सारणी IV.18: बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण
(यथा 31 मार्च, 2020)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	लक्ष्य / उप-लक्ष्य (एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक	
		बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीई का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	**40/75***	**23,14,242**	**41.05**	**12,72,745**	**40.32**	**1,67,095**	**40.80**	**45,566**	**88.22**
जिसमें से									
कुल कृषि	18	9,71,334	17.23	5,03,939	15.96	41,745	18.25	13,917	26.94
छोटे और सीमांत कृषक	8	5,13,400	9.11	2,29,420	7.27	19,168	8.38	13,052	25.27
गैर-कॉर्पोरेट वैयक्तिक कृषक#	12.11	7,11,852	12.63	3,45,305	10.94	23,382	10.22	15,138	29.31
सूक्ष्म उद्यम	7.5	3,96,159	7.03	2,53,592	8.03	17,477	7.64	15,251	29.53
कमजोर वर्ग	10	6,83,876	12.13	3,40,182	10.78	24,148	10.56	30,260	58.59

टिप्पणियां : 1. वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों के लिए औसत उपलब्धि के आधार पर बकाया राशि और उपलब्धि का प्रतिशत
2. *: लघु वित्त बैंकों के लिए कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार का लक्ष्य 75 प्रतिशत है।
3. #: गैर-कॉर्पोरेट कृषकों के लिए लक्ष्य पिछले तीन वर्षों के प्रणाली-व्यापक औसत पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रणाली-व्यापक औसत आंकड़ा 12.11 प्रतिशत है।
4. वे विदेशी बैंक जिनकी 20 से कम शाखाएं हैं, के लिए केवल कुल पीएसएल लक्ष्य का 40 प्रतिशत लागू है।

स्रोत : आरबीआई।

IV.54 बाजार प्रणाली के रूप में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) की शुरुआत की भी। इस प्रणाली के तहत लक्ष्य अधिक हासिल कर लेनेवाले उप- लक्ष्य के संदर्भ में अधिशेष के प्रति पीएसएलसी जारी कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के *ई-कुबेर* प्लेटफार्म के तहत चार श्रेणी के प्रमाणपत्र अर्थात पीएसएलसी सामान्य, पीएसएलसी- कृषि, पीएसएलसी- सूक्ष्म उद्यम (एमई) और पीएसएलसी- लघु और सीमांत कृषक (एसएमएफ) खरीदे-बेचे जा सकते हैं। पीएसएलसी की कुल ट्रेडिंग की मात्रा, वर्ष 2018-19 के दौरान 74.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में, वर्ष 2019-20 के दौरान 42.8 प्रतिशत बढ़कर ₹4,67,789 करोड़ हो गई। 2020-21 की पहली छमाही के दौरान ट्रेडिंग की मात्रा एक वर्ष पूर्व की तुलना में 20.7 प्रतिशत बढ़ गई। ट्रेडिंग की मात्रा प्रत्येक तिमाही के अंत में बढ़ जाती है क्योंकि क्रेता तिमाही प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं (चार्ट IV.27)। चार पीएसएलसी श्रेणियों में, पीएसएलसी-सामान्य और पीएसएलसी- एसएमएफ में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की मात्रा दर्ज की गई।

चार्ट 27: पीएसएलसी की मासिक व्यापार मात्रा

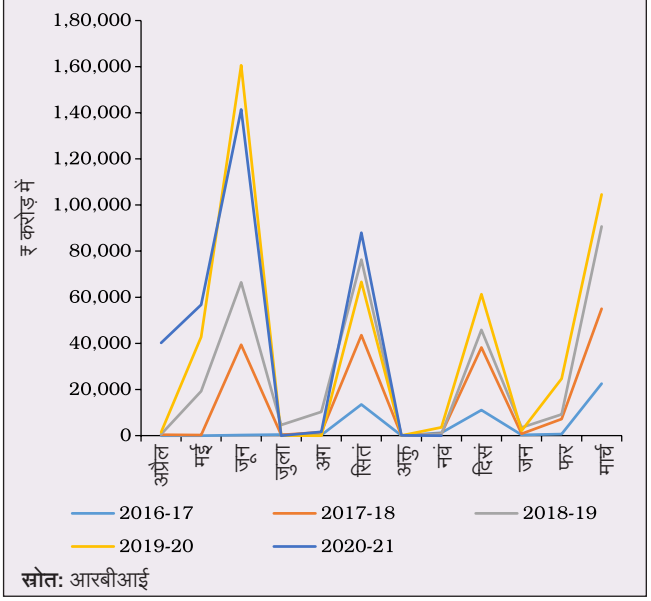

स्रोत: आरबीआई

सारणी IV.19: पीएसएलसी की विभिन्न श्रेणियों पर भारित औसत प्रीमियम

(प्रतिशत)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 (अप्रै-सितं)	2020-21 (अप्रै-सितं)
पीएसएलसी-ए	1.87	1.29	0.79	1.17	1.32	1.61
पीएसएलसी-एमई	0.75	0.61	0.57	0.44	0.65	0.54
पीएसएलसी-एसएमएफ	1.72	1.54	1.15	1.58	1.65	1.87
पीएसएलसी-जी	0.7	0.59	0.31	0.35	0.54	0.49

स्रोत : आरबीआई।

IV.55 इस वर्ष के दौरान, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के वे खंड जहां उधार दिया जाना तुलनात्मक रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण है, वहां पीएसएलसी को उच्चतर प्रीमियम प्राप्त हुआ था उदाहरण के लिए पीएसएलसी- एसएमएफ श्रेणी को पीएसएलसी (एमई) और पीएसएलसी- सामान्य की तुलना में चार गुना उच्चतर प्रीमियम प्राप्त हुआ था (सारणी IV.19)। आनुपातिक रूप से, एसएमएफ श्रेणी को बैंकों द्वारा ऑर्गेनिक उधार[6] में बढ़ोतरी सभी श्रेणियों में सबसे अधिक थी।

IV.56 पीएसबी द्वारा कृषि को उधार संविभाग काफी मजूबत रहा है और उच्च पीएसएलसी–ए प्रीमियम से लाभान्वित हुए हैं। पीएसएलसी की शुरुआत के बाद, पीवीबी ने अपने उप-लक्ष्यों को हासिल कर आगे बढ़ते हुए सूक्ष्म उद्यमों को उधार को बढ़ा दिया है, तथापि वे कृषि और एसएमएफ श्रेणियों में पीएसएलसी के निवल क्रेता हैं (चार्ट IV.28)। पीएसएलसी की सभी उप-श्रेणियों में समग्र रूप से एफबी निवल क्रेता हैं और एसएफबी निवल विक्रेता हैं।

IV.57 पीएसबी और पीवीबी अपनी बृहद् ऋण बहियों के कारण पीएसएलसी के सबसे बड़े क्रेता, साथ ही सबसे बड़े विक्रेता हैं। निवल आधार पर, पीएसबी जो पूर्ववर्ती वर्ष तक निवल विक्रेता थे, एमएसई के संदर्भ में उधार में कमी के चलते निवल क्रेता के रूप में सामने आए (चार्ट IV.29)।

[6] आर्गेनिक उधार से तात्पर्य पीएसएलसी ट्रेडिंग के लिए बिना समंजन किए गए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार से है।

चार्ट IV.28: ऑर्गेनिक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार पर पीएसएलसी का प्रभाव

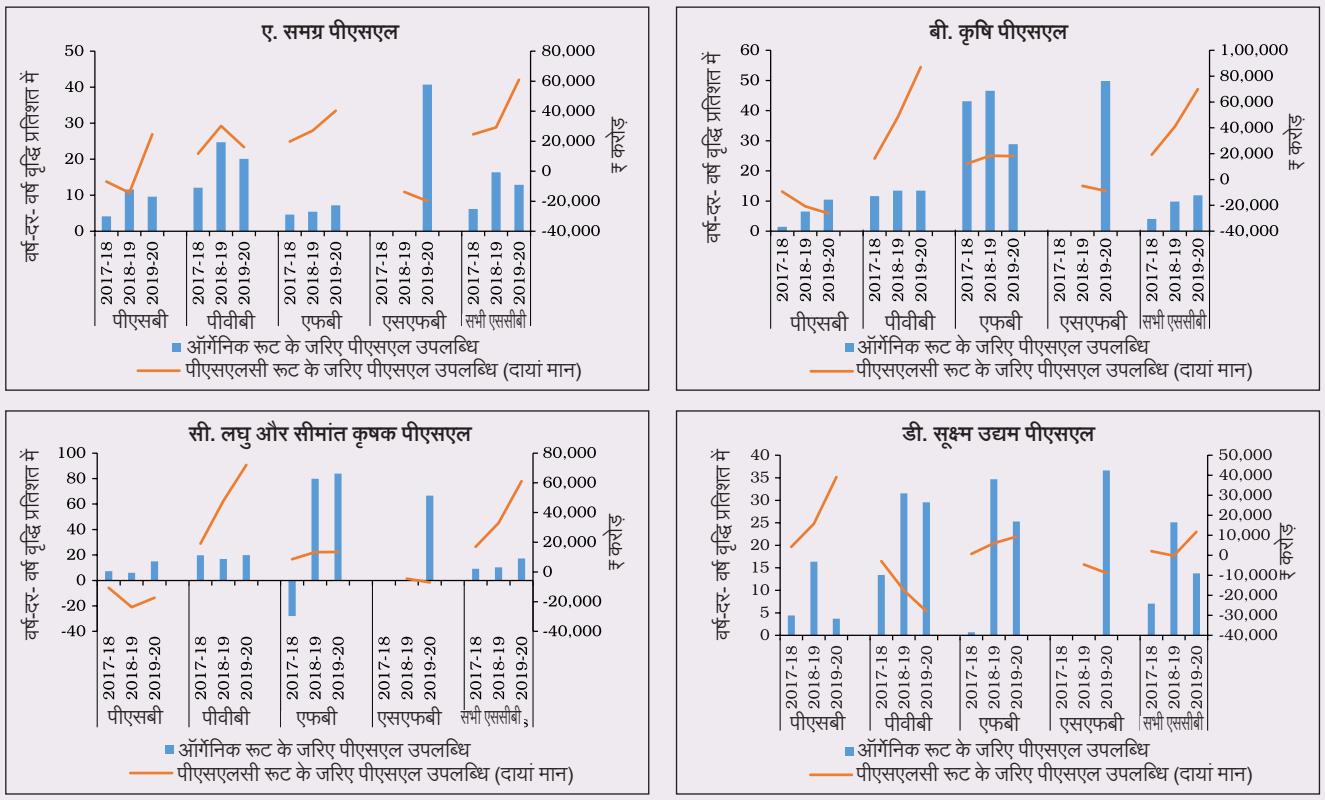

टिप्पणी : ऋणात्मक पीएसएलसी ट्रेड बैंकों के द्वारा निवल बिक्री को दर्शाता है।
स्रोत : आरबीआई।

IV.58 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण के संदर्भ में जीएनपीए अनुपात, कृषि और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उधार के क्षेत्र में विचलनों की वजह से मार्च 2020 के अंत तक, पूववर्ती वर्ष के 7.6 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.20)।

चार्ट IV.29: पीएसएलसी बाजार में निवल क्रेता/विक्रेता

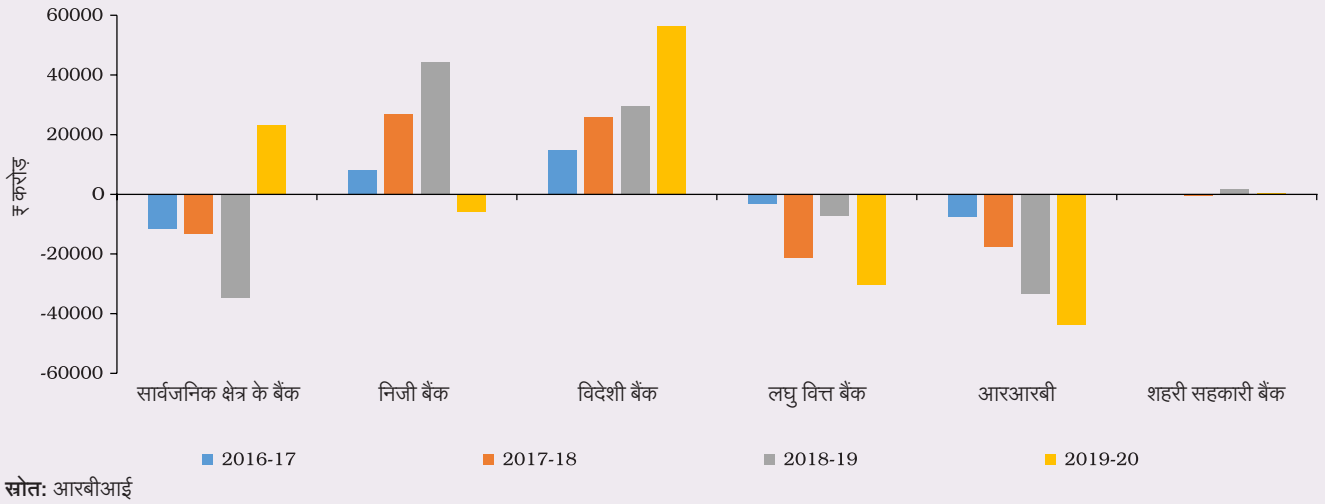

स्रोत: आरबीआई

सारणी IV.20: बैंकों का क्षेत्रवार जीएनपीए
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र		*जिसमें से*						गैर- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र		कुल एनपीए	
			कृषि		सूक्ष्म और लघु उद्यम		अन्य					
	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#	राशि	प्रतिशत#
पीएसबी*												
2019	2,12,315	29.9	93,146	13.1	86,705	12.2	32,464	4.6	4,97,794	70.1	7,10,109	100
2020	2,36,212	36.7	1,11,571	17.3	90,769	14.1	33,872	5.3	4,08,205	63.3	6,44,417	100
पीवीबी												
2019	29,721	19.0	12,679	8.1	12,796	8.17	4,246	2.7	1,26,991	81.0	1,56,712	100
2020	36,219	19.7	14,462	7.9	16,111	8.76	5,646	3.1	1,47,751	80.3	1,83,970	100
एफबी												
2019	1,103	9.0	105	0.9	616	5.0	382	3.1	11,139	91.0	12,243	100
2020	1,692	16.6	376	3.7	1,070	10.5	246	2.4	8,498	83.4	10,189	100
एसएफबी												
2019	893	79.5	138	12.3	583	51.9	172	15.3	230	20.5	1123	100
2020	1,376	80.5	256	15.0	754	44.1	367	21.4	333	19.5	1709	100
सभी एससीबी												
2019	2,44,033	27.7	1,06,069	12.1	1,00,700	11.4	37,264	4.2	6,36,154	72.3	8,80,186	100
2020	2,75,499	32.8	1,26,664	15.1	1,08,704	12.9	40,131	4.8	5,64,787	67.2	8,40,286	100

टिप्पणियां : 1. राशि: – राशि; प्रतिशत :कुल एनपीए का प्रतिशत
2. राउंडिंग ऑफ की वजह से घटक की मदों को कुल में जोड़ा नहीं गया हो सकता है।
3. # कुल एनपीए में हिस्सा

स्रोत: ऑफ-साईट विवरणियां (घरेलू परिचालन),आरबीआई।

5.3 संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

IV.59 पूंजी बाजार और स्थावर संपदा के प्रति बैंक का जोखिम कीमतों में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों के मद्देनजर संवेदनशील माना जाता है । बैंकों ने इस प्रकार के उधार प्रदान किया जाना आमतौर पर कम कर दिया । कार्पोरेट को अत्यधिक लीवरेजिंग के चलते, खासतौर पर, पीएसबी ने ऐहतियाती उपाय के रूप में शेयरों/ डिबेंचरों के संपार्श्विक के प्रति अग्रिमों को प्रदान किया जाना कम कर दिया है (चार्ट IV.30 और परिशिष्ट सारणी IV.4)।

चार्ट IV.30: संवेदनशील क्षेत्रों को एक्सपोज़र

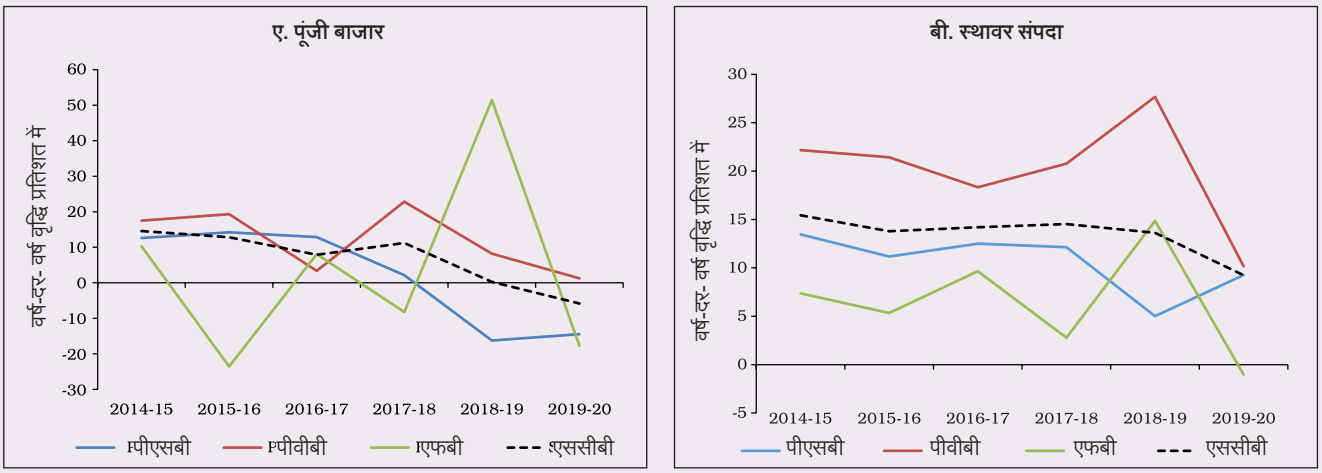

स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा

6.अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में स्वामित्व की प्रकृति

IV.60 वर्ष 2019-20 में आंध्रा बैंक, पंजाब और सिंध बैंक और सिंडिकेट बैंक को छोड़कर, अन्य पीएसबी में पुनर्पूंजीकरण के कारण बढ़ गई है या स्थिर रह गई है (चार्ट IV.31)। 1 अप्रैल 2020 से 10 पीएसबी को चार पीएसबी में समामेलित करने से, स्वामित्व की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं । विलय होनेवाली इकाइयों में सरकार की उच्च शेयरधारिता होने के कारण, केनरा बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की शेयरधारिता महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गई है । वर्तमान में पीवीबी और पीएसबी में विदेशी निवेश की सीमा क्रमशः 74 प्रतिशत और 20 प्रतिशत है । मार्च 2020 के अंत में पीएसबी में अधिकतम विदेशी शेयरधारिता 9.8 प्रतिशत थी, जबकि यह पांच पीवीबी में 50 प्रतिशत से अधिक थी । वर्ष 2019-20 के दौरान 22 पीवीबी में से, केवल तीन ने ही उच्चतर विदेशी शेयरधारिता को आकृष्ट किया (परिशिष्ट सारणी IV.5)।

चार्ट IV.31: पीएसबी में सरकार की शेयरधारिता
(मार्च के अंत तक)

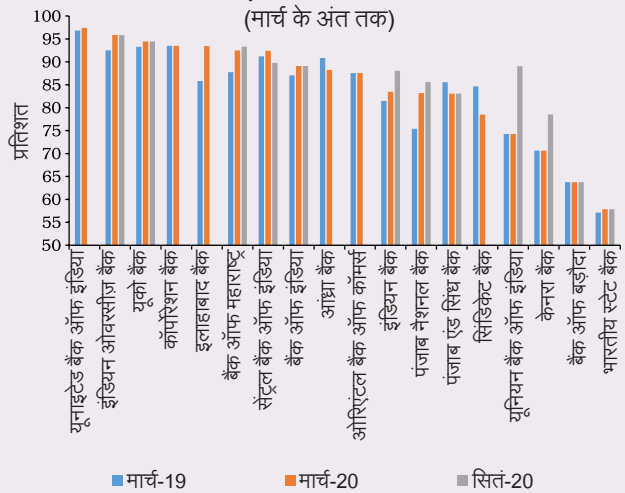

टिप्पणी: सितंबर 2020 के लिए इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, कार्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े समामेलन के कारण उपलब्ध नहीं हैं ।
स्रोत: ऑफ-साईट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

7.क्षतिपूर्ति प्रथाएं

IV.61 अनियमित वित्तीय प्रोत्साहन संरचना जो दीर्घकालिक जोखिमों की पर्याप्त पहचान किए बिना अल्पावधि लाभ के लिए जोखिम उठाने वालों को प्रोत्साहित करती है और को अस्पष्ट बनाती है और विभिन्न हितधारकों के हितों को नुकसान पहुंचाती हैं और वित्तीय स्थिरता को खतरा पहुंचाने की संभावना रखती है । इस स्थिति को पहचानते हुए, विशेषकर वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2012 में वेतन और हितलाभ प्रथाओं के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए । भारत में, बैंक एक ही बाजार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करते हैं और उनके वेतन और हितलाभ के स्तर और संरचनाएं अलग-अलग होती है (चार्ट IV.32ए) । पीवीबी और एसएफबी में सीईओ को माध्यिका वेरिएबल पे, उनके कुल वेतन और हितलाभ के 50 प्रतिशत से कम था । (चार्ट IV.32बी). इसी प्रकार वेरिएबल पे के भुगतान में आस्थगन यदा-कदा पाए गए हैं (चार्ट IV.32सी) । इसे देखते हुए एफएसबी के उचित वेतन और हितलाभ प्रथाओं के सिद्धांत और कार्यान्वयन के गतिशील मानकों के अनुरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवंबर, 2019 में अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किए हैं और ये 1 अप्रैल, 2020 से की अवधि से वेतन चक्र/ कार्यनिष्पादन के संबंध में प्रभावी हो गए हैं । ये दिशानिर्देश इन बैंकों में पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) / मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) / महत्वपूर्ण जोखिम उठाने वाले (एमआरटी) कार्मिकों पर लागू होते हैं । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम वेतन घटक की विशिष्टताओं, वेरिएबल पे के आस्थगन और क्ला बैक प्रबंध शामिल हैं । इन महत्वपूर्ण कार्मिकों को वेरिएबल पे के रूप में कम से कम अपना आधा वेतन प्राप्त करना अपेक्षित है जो बदले में बैंक के कार्य निष्पादन से संबद्ध होगा । कुल वेरिएबल पे नियत वेतन का अधिकतम 300 प्रतिशत तक सीमित है । वेतन की प्रमात्रा को ध्यान में नहीं लेते हुए, उच्च कार्यपालकों के वेरिएबल पे के लिए आस्थगन प्रबंध का कार्यान्वयन किया जाना अपेक्षित है

चार्ट IV.32: क्षतिपूर्ति संबंधी प्रथाएं

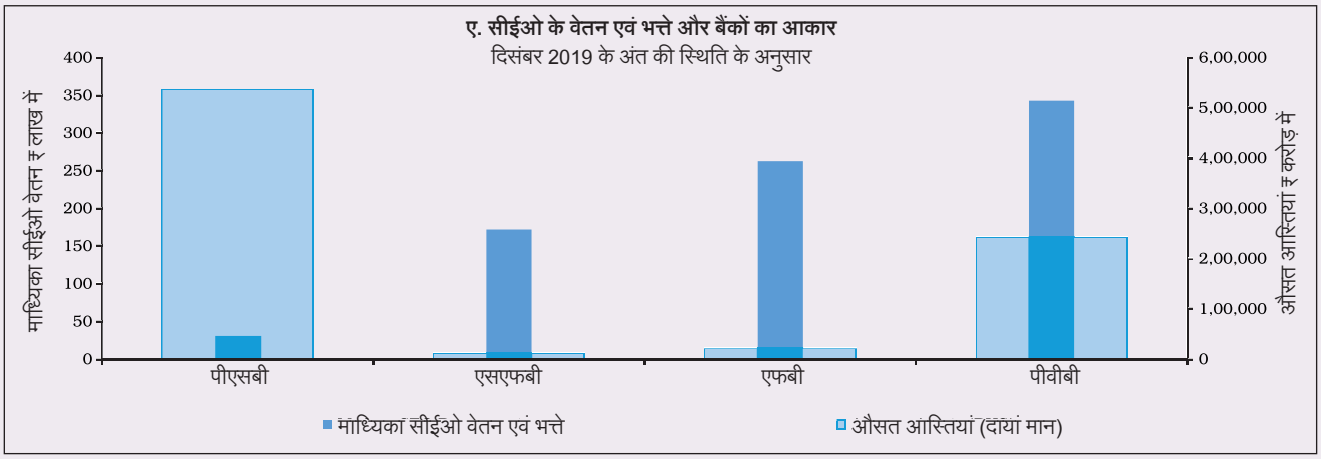

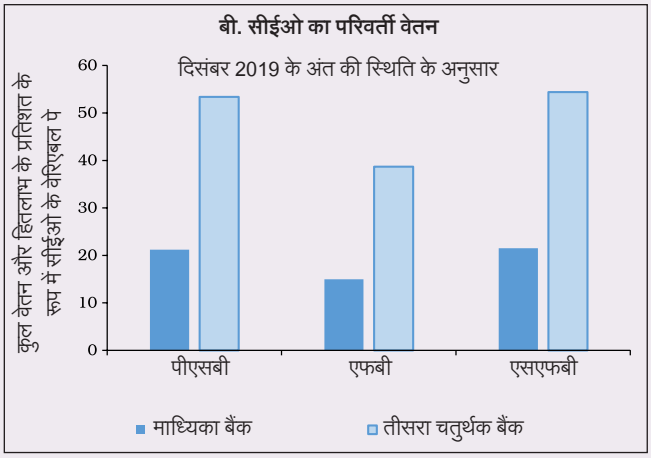

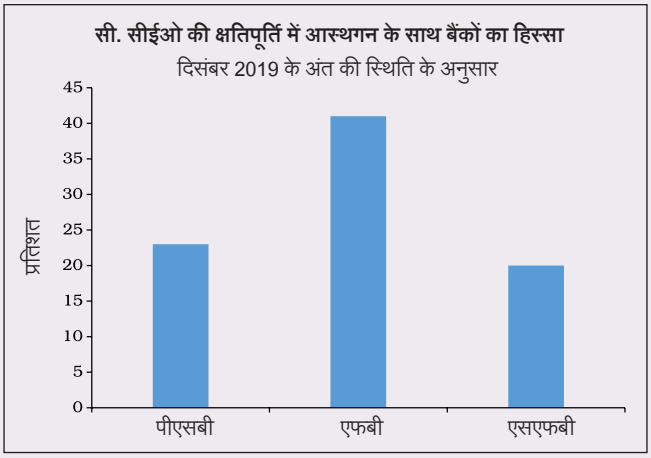

स्रोत :आरबीआई.

8. भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन और भारतीय बैंकों का विदेशों में परिचालन

IV.62 वर्ष 2019-20 के दौरान, एफबी की दो पूर्णतः स्वाधिकृत शाखाओं के परिचालनों के स्तर को बढ़ाने की वजह से, एफबी की संख्या में बढ़ोतरी हुई (सारणी IV.21)। दूसरी ओर, विदेश स्थित परिचालनों को विवेकपूर्ण बनाने और कम लाभप्रद परिचालनों को बंद करते हुए लागत की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए भारतीय पीएसबी ने उनके विदेश स्थित परिचालनों को लगातार तीसरे वर्ष कम करना जारी रखा । इसके विपरीत, भारतीय पीवीबी ने विदेशों में अपनी मौजूदगी को थोड़ा बढ़ाया है (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

सारणी IV.21: भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

	शाखाओं के माध्यम से परिचालन करनेवाले विदेशी बैंक		प्रतिनिधि कार्यालय वाले विदेशी बैंक
	बैंकों की संख्या	शाखाएं	
मार्च 2016	46	325	39
मार्च 2017	44	295	39
मार्च 2018	45	286	40
मार्च 2019	45#	299#	37
मार्च 2020	46#	308#	37

टिप्पणियां : # इसमें दो विदेशी बैंक शामिल हैं जिनके नाम एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड और डीबीएस बैंक (इंडिया) लिमिटेड हैं जो पूर्णतः स्वाधिकृत शाखाओं (डब्ल्यूओएस) और अपनी शाखाओं के माध्यम से परिचालन कर रहे हैं।
स्रोत: आरबीआई

9. डिजिटल भुगतान

IV.63 पूर्ववर्ती वर्षों की तरह, वर्ष 2019-20 में डिजिटल भुगतान परिदृश्य में, बड़ी राशि वाले जमा-अंतरण आरटीजीएस के माध्यम से किए जाने की प्रमुखता रही जो कुल डिजिटल लेन-देन का 80.8 प्रतिशत रहे । तथापि, मात्रा के संदर्भ में बहुविध माध्यम जैसे एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण प्रणाली (एनईएफटी) और तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) शीर्ष माध्यम रहे जिन्होंने

सारणी IV.22: डिजिटल भुगतान

मद	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20
1. बड़ी राशि वाली वाले जमा अंतरण –आरटीजीएस	1,244	1,366	1,507	11,67,12,478	13,56,88,187	13,11,56,475
2. जमा अंतरण	58,793	1,18,750	2,06,661	1,88,14,287	2,60,97,655	2,85,72,100
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण)	6	11	10	300	501	469
2.2 एपीबीएस	12,980	15,032	16,805	55,949	86,734	99,448
2.3 ईसीएस	61	54	18	11,864	13,235	5,145
2.4 आईएमपीएस	10,098	17,529	25,792	8,92,498	15,90,257	23,37,541
2.5 एनएसीएच	7,031	9,021	11,406	5,20,992	7,36,349	10,52,187
2.6 एनईएफटी	19,464	23,189	27,445	1,72,22,852	2,27,93,608	2,29,45,580
2.7 यूपीआई	9,152	53,915	1,25,186	1,09,832	8,76,971	21,31,730
3. डेबिट अंतरण और प्रत्यक्ष डेबिट	3,788	6,382	8,957	3,99,300	6,56,232	8,26,036
3.1 भीम आधार पे	20	68	91	78	815	1,303
3.2 ईसीएस डेबिट	15	9	1	972	1,260	39
3.3 एनएसीएच	3,738	6,299	8,768	3,98,211	6,54,138	8,24,491
3.4 एनईटीसी	15	6	97	39	20	203
4. कार्ड से भुगतान	47,486	61,769	73,012	9,19,035	11,96,888	15,35,765
4.1 क्रेडिट कार्ड	14,052	17,626	21,773	4,58,965	6,03,413	7,30,895
4.2 डेबिट कार्ड	33,434	44,143	51,239	4,60,070	5,93,475	8,04,870
5. प्रीपेड भुगतान लिखतें	34,591	46,072	53,318	1,41,634	2,13,323	2,15,558
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	**1,45,902**	**2,34,339**	**3,43,456**	**13,69,86,734**	**16,38,52,286**	**16,23,05,934**

स्रोत:आरबीआई।

छोटी राशि के लेन-देन में सुविधा के साथ सुरक्षा वाले पहलुओं का समावेश किया। कार्ड से भुगतान के मामले में, क्रेडिट कार्ड लेन-देनों में 21.1 प्रतिशत बढ़ोतरी की तुलना में, डेबिट कार्ड लेन-देनों के मूल्य में 35.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई जो ग्राहकों की तरजीह को रेखांकित करता है (सारणी IV.22)।

IV.64 वैश्विक महामारी के चलते सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं के कारण, लेन-देन में डिजिटल माध्यम को नकदी माध्यम की अपेक्षा तरजीह दी जा रही है, तथापि, महामारी के उभरने से आर्थिक कार्यकलाप में गिरावट के कारण नकदी माध्यम से भुगतान में मूल्य और मात्रा के संदर्भ में कुछ हद तक कमी देखी गई। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) साथ ही समग्र खुदरा डिजिटल लेन-देन के मूल्य में बढ़ोतरी का परिदृश्य मूल्य और मात्रा के दोनों के परिप्रेक्ष्य में प्रभावी रहा (चार्ट IV.33ए और बी)।

10. उपभोक्ता संरक्षण

IV.65 बैंक के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण में पारदर्शिता, उत्पाद

चार्ट IV.33: रिटेल डिजिटल भुगतान

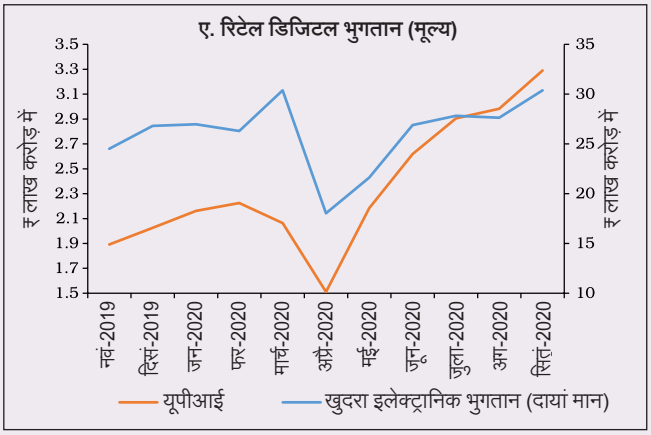

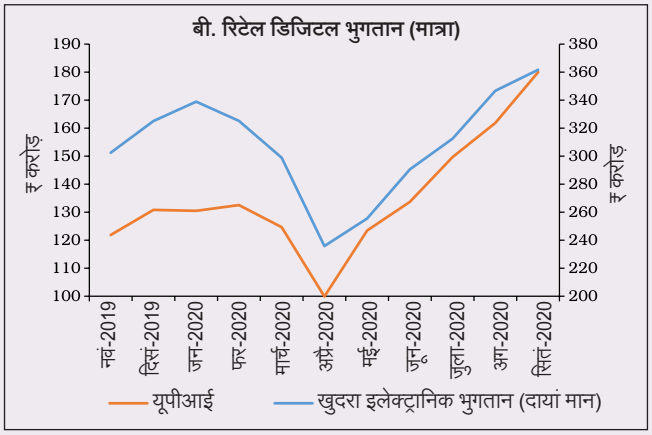

स्रोत: आरबीआई।

अनुकूलता, गोपनीयता और शिकायत निवारण अति महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे हैं। ग्राहक आधार में विस्तार, समाज के कमजोर वर्गों द्वारा बढ़ते उपयोग, और प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग उत्पाद की शुरुआत को देखते हुए जागरुकता की भूमिका निर्णायक हो गई है। हाल ही में किए गए नवोन्मेष में शामिल हैं - शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) [दोनों स्तरों पर शिकायत के निवारण के लिए लोकपाल फ्रेमवर्क को प्रभावी रूप से समर्थ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित एक प्लेटफार्म] और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना और साथ ही गैर-बैंक प्रणाली प्रतिभागियों के लिए आंतरिक लोकपाल योजना। लोकपाल कार्यालय द्वारा प्राप्त शिकायतों में हुई भारी वृद्धि (57.5 प्रतिशत) और महामारी के कारण लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद वर्ष 2019-20 में सीएमएस द्वारा रिज़र्व बैंक में शिकायत निवारण प्रणाली की सहायता से ग्राहकों की शिकायतों का निपटान अबाध रूप से किया जाता रहा।

IV.66 वर्ष 2019-20 में शिकायतों की संख्या की दृष्टि से देखें तो एटीएम/ डेबिट कार्ड, मोबाईल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जुड़े मामलों और उचित व्यवहार संहिता का अनुपालन न करना, सूची में शीर्ष मसलों पर रहे। पिछले वर्ष की तुलना में, उचित आचार संहिता का अनुपालन न करने से संबंधित शिकायतें सूची में सबसे ऊपर रहीं और इसके बाद एटीएम/ डेबिट कार्ड, मोबाईल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जुड़ी शिकायतें रहीं। एटीएम/ डेबिट कार्ड, मोबाईल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ऋण और अग्रिम, बीसीएसबीआई संहिता के अनुपालन नहीं करने, सीधी बिक्री एजेंट (डीएसए) और वसूली एजेंट और बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभारों की वसूली से जुड़ी शिकायतें, इस वर्ष के दौरान दुगुने से अधिक हो गईं (सारणी IV.23)। यह रेखांकित करता है कि उपभोक्ता जागरुकता अभियान जैसे '*आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए*', और '*क्या आपकी बैंकिंग शिकायत का निवारण नहीं हुआ?*' बैंक ग्राहकों में साक्षरता ,जागरुकता और परिपक्वता को सुदृढ़ बनाने में मददगार रही हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रकार को समझने और उनके समाधान के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए उपभोक्ताओं की शिकायतों का मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) किया गया है (बॉक्स IV.3)।

सारणी IV.23: बीओ के पास प्राप्त शिकायतों का प्रकार

श्रेणी	2017-18	2018-19	2019-20
एटीएम/डेबिट कार्ड	24,672	36,539	67,800
मोबाईल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	8,487	14,794	41,310
उचित व्यवहार संहिता का अनुपालन नहीं करना	36,146	37,557	36,215
क्रेडिट कार्ड	12,647	13,274	28,713
प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करना	11,044	13,332	25,036
बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभारों की वसूली	8,209	8,391	18,558
ऋण और अग्रिम	6,226	7,610	16,437
बीसीएसबीआई संहिता के अनुपालन नहीं करना	3,962	5,981	14,194
जमा खाते	6,719	10,844	8,778
पेंशन का भुगतान	7,833	7,066	6,307
विप्रेषण	3,330	3,451	4,045
सीधी बिक्री एजेंट (डीएसए) और वसूली एजेंट	554	629	1,406
पैरा-बैंकिंग*	579	1,115	1,117
नोट और सिक्के	1,282	480	514
अन्य	26,219	28,330	29,204
बीओ योजना के कार्यक्षेत्र से बाहर	5,681	6,508	8,996
कुल	**1,63,590**	**1,95,901**	**3,08,630**

टिप्पणियां : 1. *: 1 जुलाई, 2017 से नये आधार शामिल किए गए हैं।
2. @: जुलाई-जून से संबंधित डेटा
स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय।

बॉक्स IV.3: ग्राहक शिकायतों के मूल कारणों का विश्लेषण

मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) का उद्देश्य, ग्राहकों की मुख्य शिकायतों के अंतर्निहित कारकों को समझने और उनके समाधान के लिए उचित कार्रवाई करना है। सुव्यवस्थित आरसीए का पहला दौर मई-जून 2019 के दौरान किया गया,जिसमें जून 2020 के दौरान अनुवर्ती कार्रवाई की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) ने इस विश्लेषण का समन्वयन किया और इस विश्लेषण के तहत लोकपाल के कार्यालयों, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्षों (सीईपीसी) से प्राप्त शिकायतों और उन पाँच शीर्ष बैंकों जिनके खिलाफ उपभोक्ताओं ने बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों (ओबीओ) में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं, की शिकायतों को शामिल किया गया। जिन शिकायतों का विश्लेषण किया गया, उनमें: एटीएम/ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और वसूली एजेंट, मोबाईल/ ऑनलाईन बैंकिंग / यूपीआई, जमा खातों / ऋण से जुड़ी, पेंशन संबंधी शिकायतें, प्रभारों की वसूली , उचित व्यवहार संहिता का अनुपालन नहीं करना, विप्रेषण, नोट और सिक्कों के विनिमय, स्रोत पर कर-कटौती (टीडीएस), पैरा-बैंकिंग और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन आदि शामिल हैं। आरसीए ने शिकायतों के तीन प्रमुख क्षेत्र चिह्नित किए: i) जागरूकता की कमी, ii) विनियमन में अंतराल, और iii) बाहरी ख़तरे जैसे संगठित गिरोहों द्वारा किए गए अपराध। इन विशिष्ट क्षेत्रों के संबंध में बैंकों को उपचारपरक कार्रवाई करने को कहा गया है (सारणी 1)।

(जारी)

सारणी 1: ग्राहकों की शिकायतों का मूल कारण विश्लेषण : निष्कर्ष

क्र.	मुख्य विषय	आरबीआई निर्देश	चिंताएं	प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई
1	डिजिटल लेन-देन	2013 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया था कि वे पेमेंट नेटवर्क के साथ समन्वय करते हुए प्रत्येक कार्ड प्रयोगकर्ता के लेन-देन के पैटर्न को ट्रैक करें और व्यक्तिपरक उल्लंघन नियमों को तैयार करें ताकि किसी जालसाजी को रोकने के लिए उपभोक्ताओं को पहले से ही आगाह किया जा सके।	असामाजिक तत्वों के द्वारा धोखाधड़ी वाले लेन-देन अब भी निष्पादित किए जा रहे हैं जो प्रणाली में व्याप्त कमियों का फायदा उठाते हैं।	लेन-देन के पैटर्न के विश्लेषण में पैनापन लाएं प्रभावी गति की जांच की व्यवस्था और धोखाधड़ी के संभावित शिकार व्यक्ति को पहले ही आगाह करना।
2	क्रेडिट कार्ड और वसूली एजेंट	2013 में ऋणदाताओं को सूचित किया था कि वे ऋणों की वसूली के लिए उपभोक्ताओं को प्रताडित नहीं करें। साथ ही 2015 में बैंकों और एनबीएफसी को सूचित किया गया था कि वे क्रेडिट कार्ड जारी करते समय विवेकपूर्ण रूप से कार्य करें और स्वतंत्र रूप से निहित ऋण जोखिम का मूल्यांकन करें, विशेषकर जब संभावित कार्डधारक विद्यार्थी और ऐसे व्यक्ति हों जिनके पास स्वतंत्र वित्तीय साधन नहीं हो।	बिना किसी समुचित सावधानी के उपभोक्ताओं को कार्ड जारी किए जा रहे हैं और ग्राहकों को प्रताडि त किया जा रहा है।	बैंकों को मौजूदा लागू नियमों को पुनःसूचित किया गया था
3	अपने ग्राहक को जानिए' दिशानिर्देश	2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देश यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हैं कि विनियमित संस्थाएं ग्राहकों की पहचान के लिए जिम्मेदार हैं और उनके साथ किए जानेवाले किसी भी लेन-देन में आवश्यक सावधानी बरती जाए।	गबन की गई राशि को जमा करने के लिए जालसाजों द्वारा केवाईसी प्रथाओं में कमियों का बेजा फायदा उठाया गया	बैंकों को मौजूदा लागू नियमों को पुनःसूचित किया गया था
4	धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों के देयता सीमित करना	2017 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिदेश दिया था कि धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों के देयता सीमित है यदि निर्धारित समय के भीतर ग्राहक इसकी सूचना देता है और जालसाजी के लिए ग्राहक जिम्मेदार नहीं है। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 10 दिनों के भीतर शामिल राशि को जमा कराएं (शैडो रिवर्सल) और 90 दिनों के भीतर इसका समाधान किया जाना आवश्यक है।	धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में शामिल राशि की ग्राहकों के खातों में 10 दिनों के भीतर वापसी (शैडो रिवर्सल) बैंकों द्वारा वहन नहीं की जा रही है और सामान्य प्रकार से शिकायत को अस्वीकार कर दिया जा रहा है।	बैंकों को मौजूदा लागू नियमों को पुनःसूचित किया गया था
5	दुर्विक्रय (मिस-सेलिंग) /परा-बैंकिंग	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ग्राहक अधिकारों का चार्टर (2014) में बैंकिंग उत्पादों की बिक्री के समय लापरवाह तरीके से बिक्री (मिस-सेलिंग) से बचने के प्रयास के रूप में उपयुक्तता के अधिकार पर बल दिया गया था।	अनभिप्रेत और अधिकांश मामलों में थर्ड पार्टी उत्पादों की बिक्री के कारण कमजोर ग्राहक अब भी परेशानी में पड़ रहे हैं।	बैंको को सूचित किया गया था कि वित्तीय उत्पादों की उपयुक्तता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए वे अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता युक्त व्यवहार करें।
6	वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में कमी	पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी बैंकों को विस्तार से निदेश जारी किए गए हैं।	बैंक की शाखाओं और बैंक के पेंशन प्रोसेसिंग केन्द्रों के बीच समन्वय की कमी के कारण पेंशन जमा करने / भुगतान करने में देरी।	बैंकों को मौजूदा लागू नियमों को पुनःसूचित किया गया था
7	बैंकों के ग्राहकों में जागरुकता की कमी	बिक्री के समय बैंकों को उत्पादों के बारे में और उनके प्रभाव के बारे में ग्राहकों को पूरी जानकारी प्रकट करनी चाहिए ताकि वे सूचित निर्णय लेने में उन्हें मदद मिले ले सके।	गलत व्यवहार और जालसाजी के कारण बैंकों के ग्राहकों से गलती और उनका शोषण होने की संभावना होती है।	बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, ग्राहक अधिकारों और जिम्मेदारियों और शिकायत निवारण के संबंध में ग्राहकों में जागरुकता बढ़ाएं।

IV.67 शहरी और महानगरीय क्षेत्रों से प्राप्त होनेवाली शिकायतों का हिस्सा, कुल शिकायतों का तीन चौथाई से अधिक था, जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्रों में शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में जागरुकता का स्तर उच्चतर है (चार्ट IV.34ए)। यह भविष्य में जागरुकता बढ़ाने और ग्राहक साक्षरता अभियानों के लिए आवश्यक आधार को भी रेखांकित करता है। बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभारों की वसूली करने के संबंध में शिकायतों का बहुत बड़ा हिस्सा पीवीबी के खिलाफ प्राप्त हुआ है (49 प्रतिशत, जबकि बैंकिंग क्षेत्र में कुल आस्तियों में उनका हिस्सा 32 प्रतिशत है)। चूंकि पेंशनभोगी पीएसबी को पारंपरिक रूप से तरजीह देते हैं, इस मामले में लगभग सभी शिकायतें उनके विरुद्ध थीं (98 प्रतिशत के आस-पास) (चार्ट IV.34बी)।

चार्ट IV.34: शिकायतों का जनसंख्या समूह-वार वितरण और प्रमुख शिकायतों का प्रकार

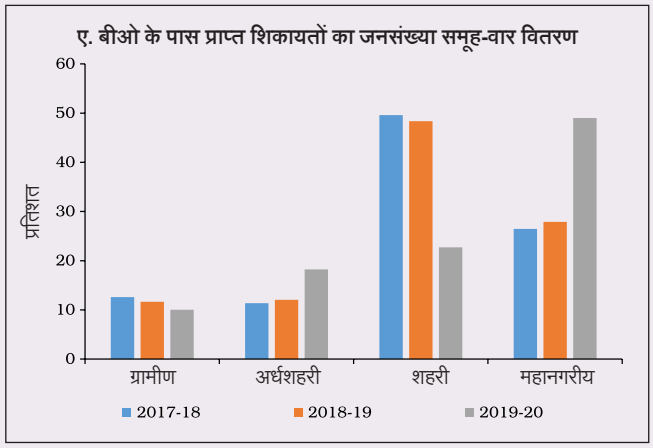

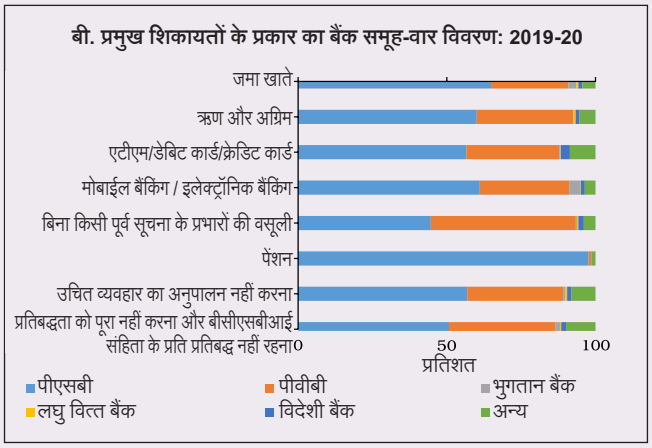

नोट : जुलाई-जून से संबंधित डेटा
स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय

IV.68 निक्षेप गारंटी योजनाएं वैश्विक स्तर पर छोटे जमाकर्ताओं की बचत को सुरक्षित रखने और बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत माध्यम है। केन्द्रीय बजट 2020-21 में यह घोषणा की गई थी कि निक्षेप बीमा व्याप्ति ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है [विस्तार से जानकारी के लिए संदर्भ करें अध्याय III: नीतिगत परिवेश]। मार्च 2020 तक, खातों की कुल संख्या का 90 प्रतिशत से अधिक ₹1 लाख तक बीमा से सुरक्षित था, और इसे 4 फरवरी 2020 से 98 प्रतिशत तक बढ़ाकर बीमा व्याप्ति ₹5 लाख कर दी गई है[7]। बीमित जमाओं की राशि की व्याप्ति लगभग 30 प्रतिशत (₹1 लाख) थी जो ₹5 लाख के बीमा कवर के तहत 50 प्रतिशत से ज्यादा थी। सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी के मामलों में बीमाकृत जमाओं का हिस्सा तदनुसार 70 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ गया है (सारणी IV.24)।

सारणी IV.24: बैंक समूह-वार बीमाकृत जमाराशियां
(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार)

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	बीमाकृत बैंकों की संख्या	कुल पहुंच योग्य जमाएं (एडी)	कुल बीमाकृत जमाएं (आईडी)		एडी के प्रतिशत के रूप में आईडी	
			₹5 लाख की बीमा	₹1 लाख की बीमा	₹5 लाख की बीमा	₹1 लाख की बीमा
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	13	77,27,690	44,27,421	23,45,905	57.3	30.4
निजी क्षेत्र के बैंक	37	38,24,556	13,94,640	6,96,219	36.5	18.2
विदेशी बैंक	46	5,86,232	37,360	15,609	6.4	2.7
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	45	4,19,317	357,311	2,41,050	85.2	57.5
सहकारी बैंक	1,923	9,30,315	654,099	3,96,917	70.3	42.7
स्थानीय क्षेत्र बैंक	3	799	654	389	81.9	48.7
कुल	**2,067**	**1,34,88,908**	**68,71,484**	**36,96,089**	**50.9**	**27.4**

टिप्पणियां: 1. सितंबर 2019 को जमा आधार पर आधारित अर्थात संदर्भगत दिनांक के छह माह पूर्व
2. निजी क्षेत्र के बैंकों के आंकड़ों में लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों के आंकड़े शामिल हैं।
स्रोत : निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम।

[7] निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार।

11. वित्तीय समावेशन

IV.69 सुदृढ़ वित्तीय नीतियों का देश की आर्थिक वृद्धि पर गुणात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे गरीबी और आय असमानता में कमी आती है और साथ ही यह वित्तीय स्थिरता में भी सहायक है। आईएमएफ़ के नवीनतम वित्तीय पहुँच सर्वेक्षण (एफ़एएस) के आंकड़ों[8] से स्पष्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन की दिशा में की गई विभिन्न पहलें अब फलीभूत हुई हैं। वर्ष 2010 में प्रति 1,00,000 वयस्कों पर बैंक शाखाओं की संख्या वर्ष 2015 के 13.6 से बढ़कर 2019 में 14.6 हो गई जो कि जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रिका से अधिक है (चार्ट IV.35ए)। *प्रधान मंत्री जन धन योजना* (पीएमजेडीवाई) के माध्यम से बैंकिंग सुविधा से वंचित व्यस्क खाताधारकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे ज़ोर से, बैंकों में जमा खाते वाले व्यक्तियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समकक्षों, यहाँ तक की कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी तुलनीय है (चार्ट IV.35बी)। ऋण तक पहुँच के संदर्भ में भी, उल्लेखनीय प्रगति हुई है, हालांकि यह इसके समकक्षों से काफी कम है (चार्ट IV.35सी)। डिजिटल भुगतान के प्रयोग में भी, विभिन्न सरकारी पहलों

चार्ट IV.35: चुनिंदा उभरती और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय समावेशन में प्रगति

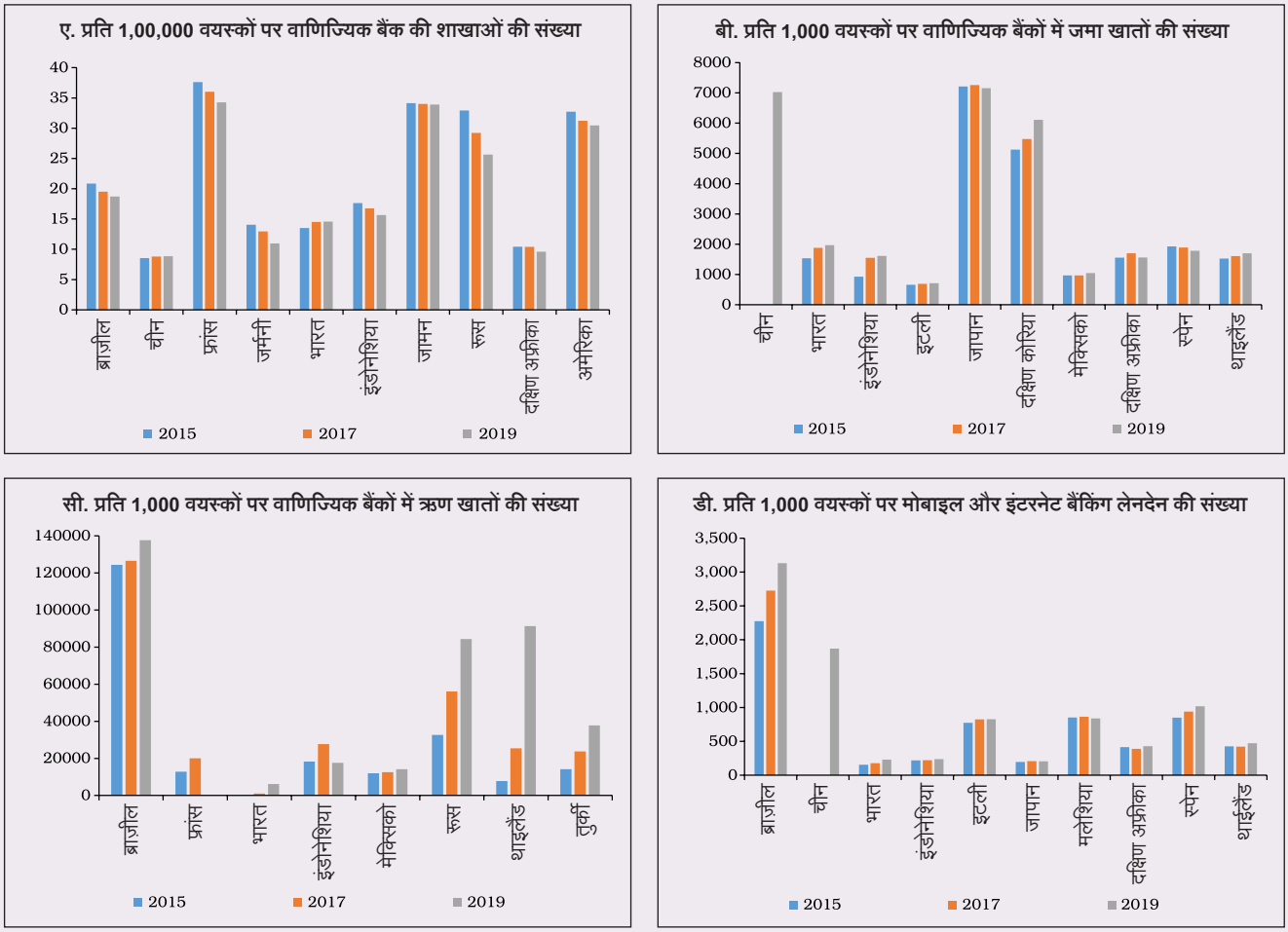

स्रोत : फाइनेंसियल एक्सेस सर्वे, 2020, आईएमएफ।

[8] https://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C पर उपलब्ध।

और भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों के प्रयोग को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2015 और 2019 के बीच, प्रति 1,000 व्यस्कों पर मोबाइल और इन्टरनेट बैंकिंग लेनदेन की संख्या 2015 के 183 की तुलना में बढ़कर 2019 में 6,184 हो गई (चार्ट IV.35डी)।

IV.70 सतत रूप से देश में वित्तीय समावेशन के स्तर में व्यवस्थित तेज़ी लाने कि लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफ़आई) 2019-24 जनवरी 2020 में जारी की गई । इसके अलावा, एनएसएफ़आई दस्तावेज़ में उल्लिखित विज़न के साथ रिज़र्व बैंक की नीतियों को संरेखित करने के लिए, वित्तीय समावेशन योजना (एफ़आईपी) टेम्पलेट को संशोधित किया गया और जमीनी स्तर पर अधिक ठोस डाटा एकत्रित करने और गुणात्मक पहलू के लिए 'वित्तीय समावेश की निगरानी प्रगति' (एमपीएफ़आई) नाम से फिर से शुरू किया गया।

IV.71 नई शाखा प्राधिकरण नीति—जो न्यूनतम 4 घंटे प्रतिदिन और सप्ताह में पाँच दिन बैंकिंग आउटलेट के रूप में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने वाले बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी)-2017 को मान्यता प्रदान करती है—के साथ ही डिजिटलीकरण और तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण पर ज़ोर ने भौतिक शाखाएँ स्थापित करने की आवश्यता को क्रमशः कम किया है। जैसा की पिछले कुछ वर्षों में देखा गया, 2019-20 के दौरान भी, 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बीसी की पहुँच से ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार सीमित रहा। बीसी प्रवृत्ति केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रही और यह मॉडल शहरी क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा, बीसी के माध्यम से बुनियादी बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) की संख्या और जमा संग्रहण में हुई वृद्धि भौतिक बैंक शाखाओं में खोले गए बीएसबीडीए की तुलना में अधिक रही (सारणी IV.25)। कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक

सारणी IV.25: वित्तीय समावेशन योजना

क्र. सं.	विवरण	मार्च-अंत 2010	मार्च-अंत 2019	मार्च-अंत 2020*	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 2019-20
1.	गांवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखाएं	33,378	52,489	54,561	3.9
2.	गांवों में बैंकिंग आउटलेट >2000-बीसी	8,390	1,30,687	1,49,106	14.1
3.	गांवों में बैंकिंग आउटलेट <2000-बीसी	25,784	4,10,442	3,92,069	-4.5
4.	गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट – बीसी	34,174	5,41,129	5,41,175	0.0
5.	गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट – अन्य मोड	142	3,537	3,481	-1.6
6.	गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट – कुल	67,694	5,97,155	5,99,217	0.3
7.	बीसी द्वारा कवर किए गए शहरी स्थान	447	4,47,170	6,35,046	42.0
8.	बीएसबीडीए – शाखा के माध्यम से (संख्या लाख में)	600	2,547	2,616	2.7
9.	बीएसबीडीए – शाखा के माध्यम से (राशि करोड़ में)	4,400	87,765	95,831	9.2
10.	बीएसबीडीए – बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	130	3,195	3,388	6.0
11.	बीएसबीडीए – बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में)	1,100	53,195	72,581	36.4
12.	बीएसबीडीए – कुल (संख्या लाख में)	735	5,742	6,004	4.6
13.	बीएसबीडीए – कुल (राशि करोड़ में)	5,500	1,40,960	1,68,412	19.5
14.	बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ उठाना (संख्या लाख में)	2	59	64	8.5
15.	बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ उठाना (राशि करोड़ में)	10	443	529	19.4
16.	केसीसी – कुल (संख्या लाख में)	240	491	475	-3.3
17.	केसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	6,68,044	6,39,069	-4.3
18.	जीसीसी – कुल (संख्या लाख में)	10	120	202	68.3
19.	जीसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	3,500	1,74,514	1,94,048	11.2
20.	आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	270	21,019	32,318	53.8
21.	आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (राशि करोड़ में)#	700	5,91,347	8,70,643	47.2

टिप्पणी : 1. *अनंतिम

2. क्रम संख्या 1 से 16 में उसकी स्थापना से संचयी डेटा शामिल है। क्रम संख्या 17-18 में इसी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से डेटा शामिल हैं।

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणियां।

चार्ट IV.36: पीएमजेडीवाई खाते : वितरण और औसत शेष

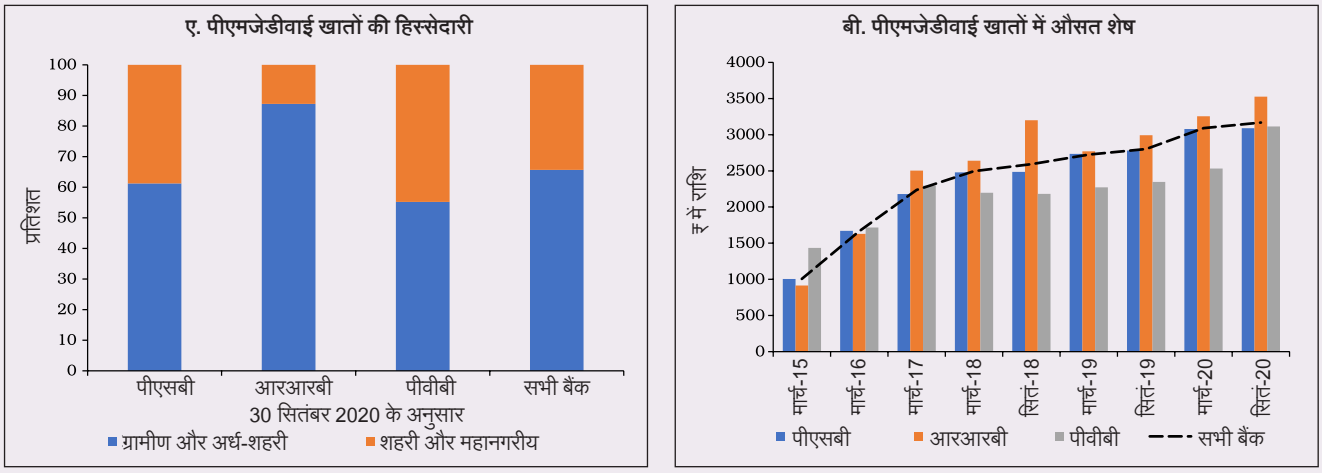

स्रोत : प्रधान मंत्री जन धन योजना, भारत सरकार।

दूरी से बैंकों की भौतिक पहुँच सीमित होने के परिणामस्वरूप बीसी मॉडल के सुदृढ़ होने की संभावना है।

11.1 प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

IV.72 छह वर्षों के इसके कार्यान्वयन में, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों की कुल संख्या 41.4 करोड़ हो गई, जिसकी जमाराशि 02 दिसंबर 2020 को ₹1.30 लाख करोड़ थी। इन खातों में से, लगभग दो-तिहाई ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में परिचालनरत हैं। सितंबर 2020 से, पीएसबी में 60 प्रतिशत से अधिक नए पीएमजेडीवाई खाते खोले गए हैं (चार्ट IV.36ए)। हालाँकि, इन खातों के औसत शेष में शिथिल वृद्धि के कारण इन खातों का उपयोग चिंता का विषय है (चार्ट IV.36बी)।

11.2 एससीबी द्वारा खोली गई नई बैंक शाखाएँ

IV.73 वर्ष 2019-20 में नई बैंक शाखाओं में कमी का मुख्य कारण एसएफ़बी और आरआरबी रहा। पीवीबी और एसएफबी अपने व्यापार विस्तार रणनीति के भाग के रूप में नई शाखाएं खोलने में अग्रणी बने रहे। वर्ष 2019-20 के दौरान तीन पीएसबी के एक में विलय होने से भी पीएसबी की शाखा विस्तार का अभियान धीमा हो गया (चार्ट IV.37)। वर्ष के दौरान टिअर I केंद्रों में आधे से अधिक शाखाएं खोली गईं, हालांकि ऊपरी टिअर केन्द्रों में इसमें गिरावट आई (सारणी IV.26)।

चार्ट IV.37: एससीबी द्वारा खोली गई नई शाखाओं में बैंक समूहवार हिस्सेदारी

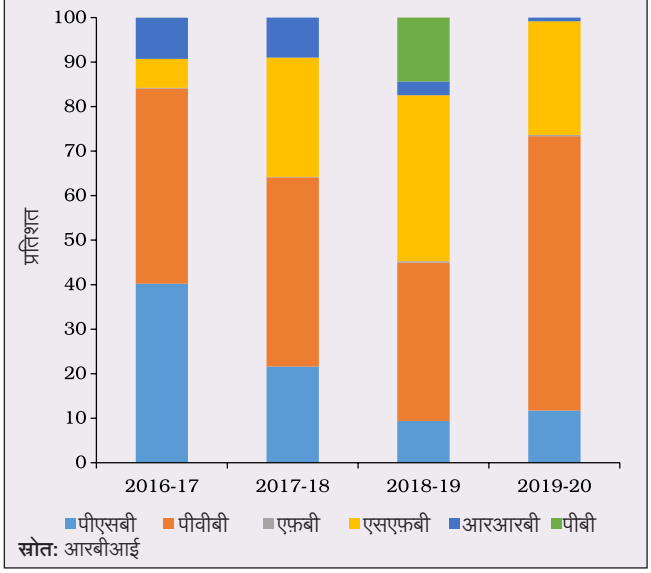

स्रोत: आरबीआई

सारणी IV.26: एससीबी द्वारा खोली गई नई बैंक शाखाओं का टिअर-वार अलग-अलग ब्योरा

केन्द्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
टिअर 1	2,328	1,593	2,123	2,184
	(43.6)	(40.4)	(47.0)	(53.1)
टिअर 2	363	335	513	363
	(6.8)	(8.5)	(11.4)	(8.8)
टिअर 3	638	572	697	550
	(12.0)	(14.5)	(15.4)	(13.4)
टिअर 4	422	334	358	329
	(7.9)	(8.5)	(7.9)	(8.0)
टिअर 5	654	451	382	247
	(12.3)	(11.4)	(8.5)	(6.0)
टिअर 6	930	656	443	443
	(17.4)	(16.6)	(9.8)	(10.8)
कुल	**5,335**	**3,941**	**4,516**	**4,116**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

टिप्पणियां : 1. केन्द्रों का टिअर-वार वर्गीकरण इस प्रकार है : 'टिअर 1' में ऐसे केन्द्र शामिल हैं जिसकी आबादी 1,00,000 एवं उससे अधिक है, 'टिअर 2' में ऐसे केन्द्र शामिल हैं जिसकी आबादी 50,000 से 99,999 है, 'टिअर 3' में ऐसे केन्द्र शामिल हैं जिसकी आबादी 20,000 से 49,999 है, 'टिअर 4' में ऐसे केन्द्र शामिल हैं जिसकी आबादी 10,000 से 19,999 है, 'टिअर 5' में ऐसे केन्द्र शामिल हैं जिसकी आबादी 5,000 से 9,999 है, तथा 'टिअर 6' में ऐसे केन्द्र शामिल हैं जिसकी आबादी 5000 से कम है।
2. डेटा में 'प्रशासनिक कार्यालयों' को शामिल नहीं किया गया है।
3. जनसंख्या संबंधी सभी आंकड़े जनगणना 2011 के अनुसार है।
4. बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेटा के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली का स्वरूप गतिशील है। बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर डेटा का अद्यतन किया जाता है।
5. कोष्ठकों में दिए हुए आंकड़े कुल की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में खोली गई शाखाओं के अनुपात को दर्शाते हैं।

स्रोत : बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (पूर्व में मास्टर ऑफ़िस फाइल सिस्टम) डेटाबेस हेतु केंद्रीय सूचना प्रणाली भा.रि.बैंक।

11.3 एटीएम

IV.74 वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा संचालित कुल एटीएम (ऑन-साइट और ऑफ-साइट) की संख्या में वृद्धि हुई, जिसमें एफबी को छोड़कर, सभी श्रेणियों के बैंकों ने योगदान दिया है (सारणी IV.27)। दिलचस्प है कि अनुसूचित एसएफ़बी ने अपने छोटे तुलन-पत्र आकार के बावजूद मार्च 2020 के अंत तक एफ़बी से दोगुने से भी अधिक संख्या में एटीएम का

चार्ट IV.38: एससीबी के एटीएम बनाम व्हाइट लेबल एटीएम

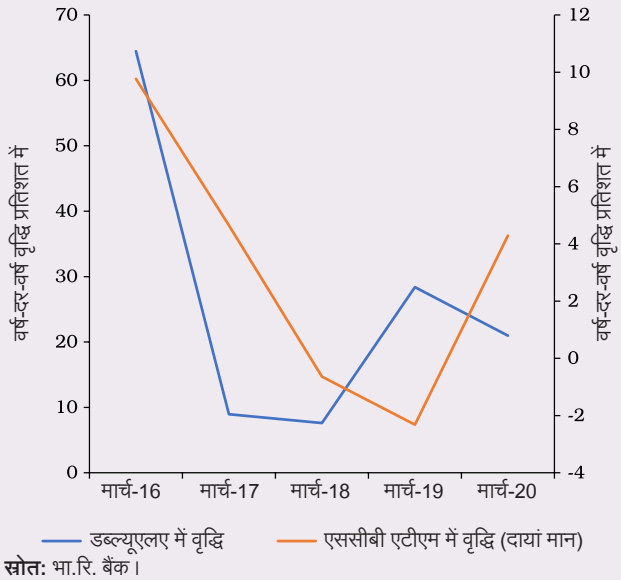

स्रोत: भा.रि. बैंक।

परिचालन किया। लगातार दूसरे वर्ष व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) की तीव्र वृद्धि को नीतिगत समर्थनों जैसे रिज़र्व बैंक से सीधे नकद प्राप्त करने और गैर-बैंक सेवाएँ प्रदान करने से बल मिला (चार्ट IV.38)। 82 प्रतिशत से अधिक डब्लूएलए ऐसे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां एटीएम की उच्च मांग अपूर्ण है। 2020-21 तक के लिए अभी तक के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि डब्ल्यूएलए में वृद्धि जारी रही चूंकि कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम गंभीर रूप से प्रभावित हुई।

IV.75 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एटीएम का भौगोलिक वितरण 2019-20 में अधिकांशतः पिछले वर्ष के जैसा ही रहा।

सारणी IV.27: एटीएम
(मार्च के अंत में)

क्रम	बैंक समूह	ऑन साइट एटीएम		ऑफ साइट एटीएम		एटीएम की कुल संख्या	
		2019	2020	2019	2020	2019 (3+5)	2020 (4+6)
I	पीएसबी	78,419	78,484	57,679	56,379	1,36,098	1,34,863
II	पीवीबी	26,197	32,690	37,143	40,362	63,340	73,052
III	एफ़बी	221	225	693	678	914	903
IV	एसएफ़बी*	1,541	1,870	301	56	1,842	1,926
V	डब्ल्यूएलए	-	-	-	-	19,507	23,597
VI	सभी एससीबी (I से IV)	1,06,378	1,13,269	95,816	97,475	2,02,194	2,10,744
VII	कुल (V+VI)					2,21,701	2,34,341

टिप्पणियां: *: मार्च 2020 के अंत की स्थिति में 10 सूचीबद्ध एसएफ़बी
स्रोत : भा.रि. बैंक।

सारणी IV.28: विभिन्न केंद्रों पर एससीबी के एटीएम की संख्या

(मार्च-2020 की समाप्ति पर)

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	27,451	39,551	38,522	29,339	1,34,863
	(20.4)	(29.3)	(28.6)	(21.8)	(100.0)
निजी क्षेत्र के बैंक	6,046	17,708	19,138	30,160	73,052
	(8.3)	(24.2)	(26.2)	(41.3)	(100.0)
विदेशी बैंक	23	18	167	695	903
	(2.5)	(2.0)	(18.5)	(77.0)	(100.0)
लघु वित्त बैंक*	213	579	617	517	1,926
	(11.1)	(30.1)	(32.0)	(26.8)	(100.0)
कुल	33,733	57,856	58,444	60,711	2,10,744
	(16.0)	(27.5)	(27.7)	(28.8)	(100.0)
पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी	0.85	3.17	4.64	6.86	4.23

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े प्रत्येक बैंक समूह के तहत कुल एटीएम के प्रतिशतवर हिस्सेदारी को दर्शाते हैं।
2. *: मार्च 2020 के अंत की स्थिति में 10 सूचीबद्ध एसएफ़बी।

स्रोत : भा.रि. बैंक

एटीएम की सघनता शहरी ग्राहकों की ओर अधिक रही (सारणी IV.28)।

11.4 सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम

IV.76 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के माध्यम से सूक्ष्म वित्त के वितरण में नियमित प्रगति हुई। 2019-20 के दौरान, 31.5 लाख नए एसएचजी को बैंकों के साथ क्रेडिट-लिंक्ड किया गया, और इन एसएचजी को ₹ 77,659 करोड़ (पुनरावृत्ति ऋण सहित) के ऋण वितरित किए गए। वर्ष के दौरान, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) ऋण और बैंकों द्वारा संवितरित राशि की संख्या में क्रमशः 161 प्रतिशत और 169 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एसएचजी ऋण का एनपीए अनुपात पिछले वर्ष के 5.2 प्रतिशत से घटकर 4.9 प्रतिशत हो गया[9] (परिशिष्ट सारणी V.13)।

11.5 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण

IV.77 वर्ष 2019-20 में पीवीबी व पीएसबी के एमएसएमई खातों की संख्या और ऋण वृद्धि में कमी आई। एमएसएमई को कुल ऋण में पीएसबी की हिस्सेदारी 2017-18 में 65 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 55 प्रतिशत हो गई। हालांकि, पीवीबी

सारणी IV.29: एससीबी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह

(खातों की संख्या लाख में, बकाया राशि ₹ करोड़ में)

		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	खातों की संख्या	111.97 (4.8)	111.01 (-0.9)	112.97 (1.8)	110.82 (-1.9)
	बकाया राशि	8,28,933 (1.0)	8,64,598 (4.3)	8,80,033 (1.8)	8,93,315 (1.5)
निजी क्षेत्र के बैंक	खातों की संख्या	119.59 (24.0)	148.33 (24.0)	205.31 (38.4)	270.62 (31.8)
	बकाया राशि	4,30,963 (20.0)	4,10,760 (-4.7)	5,63,678 (37.2)	6,46,988 (14.8)
विदेशी बैंक	खातों की संख्या	2.07 (11.1)	2.20 (6.2)	2.40 (9.3)	2.74 (14.1)
	बकाया राशि	36,503 (0.4)	48,881 (33.9)	66,939 (36.9)	73,279 (9.47)
सभी अनुसिचित वाणिज्यिक बैंक	खातों की संख्या	233.63 (13.9)	261.54 (12.0)	320.68 (22.6)	384.18 (19.8)
	बकाया राशि	12,96,399 (6.6)	13,24,239 (2.2)	15,10,651 (14.1)	16,13,582 (6.8)

टिप्पणियां : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर दर्शाते हैं।
स्रोत: वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, भा.रि. बैंक।

में खातों की संख्या पीएसबी के खातों की संख्या से दोगुनी से भी अधिक थी, पीवीबी द्वारा दिए गए ऋणों की राशि का औसत ₹2.39 लाख था, जो पीएसबी के ₹8.12 लाख की तुलना में बहुत कम है (सारणी IV.29)।

11.6 ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स)

IV.78 रिज़र्व बैंक द्वारा 2014 में विकसित ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पर खरीदारों (बड़े कॉरपोरेट्स, पीएसयू, सरकारी विभागों) के प्रति एमएसएमई की रसीदें एक प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कई वित्तपोषकों द्वारा वित्तपोषित की जाती हैं। ट्रेड्स के दायरे को विस्तृत करने और अधिक प्रतिभागियों को इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, बैंक के एक्सपोज़र को 2016 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के अंतर्गत लाया गया। बैंकों के वित्त प्रदान करने को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत लाया गया। रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त तीन इकाइयां [अर्थात, रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल), ए.ट्रेड्स और माइंड सोल्यूशन्स] तीन साल से अधिक समय से इस प्लेटफॉर्म का संचालन कर रही

[9] नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

सारणी IV.30: ट्रेड्स के माध्यम से एमएसएमई वित्तपोषण में प्रगति

(चालान संख्या में, राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अपलोड किए गए चालान		वित्तपोषित चालान	
	चालान	राशि	चालान	राशि
2017-18	22,704	1,094.82	19,890	814.54
2018-19	2,51,695	6,699.57	2,32,098	5,854.48
2019-20	5,30,077	13,088.27	4,77,969	11,165.86

स्रोत: भा.रि. बैंक।

हैं। अक्तूबर 2019 में, रिजर्व बैंक ने ट्रेड्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने की इच्छुक संस्थाओं को 'ऑन टैप' प्राधिकरण की अनुमति प्रदान की है। 2019-20 में, प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपलोड और वित्तपोषित बीजकों की संख्या और राशि लगभग दोगुनी हो गई, लेकिन सफलता दर[10] मामूली रूप से कम रही (सारणी IV.30)।

11.7 क्षेत्रीय बैंकिंग की पहुँच

IV.79 विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बैंकिंग की पहुँच में हाल ही में हुई प्रगति के बावजूद, ऋण, जमा और शाखाओं में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी के संदर्भ में उल्लेखनीय अंतर-क्षेत्रीय असमानता विद्यमान है (चार्ट IV.39ए)। देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूर्वी, मध्य और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा सेवा प्राप्त औसत जनसंख्या काफी अधिक है (चार्ट IV.39बी)।

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

IV.80 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट सहकारी समितियों के ग्रामीण अभिविन्यास और वाणिज्यिक बैंकों की व्यावसायिकता का सामंजस्य प्रस्तुत करते हैं। आरआरबी को अपने अतिरिक्त खर्चों को कम करने, प्रौद्योगिकी के उपयोग को अनुकूलित करने, पूंजी आधार और परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने, और उनके एक्सपोज़र को बढ़ाने के लिए सक्षम बनाने की दृष्टि से, सरकार ने तीन चरणों में आरआरबी का संरचनात्मक समेकन प्रारम्भ किया है। छोटे राज्यों में– 'एक राज्य-एक आरआरबी' के सिद्धांत और बड़े राज्यों में आरआरबी की संख्या में कमी के सिद्धांत के आधार पर चल रहे समामेलन के तीसरे चरण में, मार्च 2020 के अंत तक आरआरबी की संख्या घटकर 45 हो गई।, तीन आरआरबी को समामेलित किया गया, जिससे 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी आरआरबी की कुल संख्या 43 हो गई। 9 प्रतिशत से कम सीआरआर वाली आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण करने के लिए, सरकार ने पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को 2020-21 तक बढ़ा दिया और पुनर्पूंजीकरण में केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹670 करोड़ का प्रावधान किया। यह राशि ₹1,340 करोड़ के नियोजित पुनर्पूंजीकरण सहायता के 50 प्रतिशत के बराबर है, जो

चार्ट IV.39: बैंकों की क्षेत्रीय पहुंच

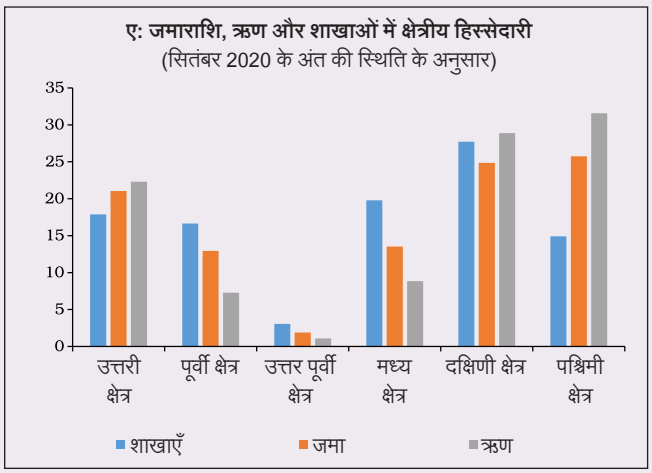

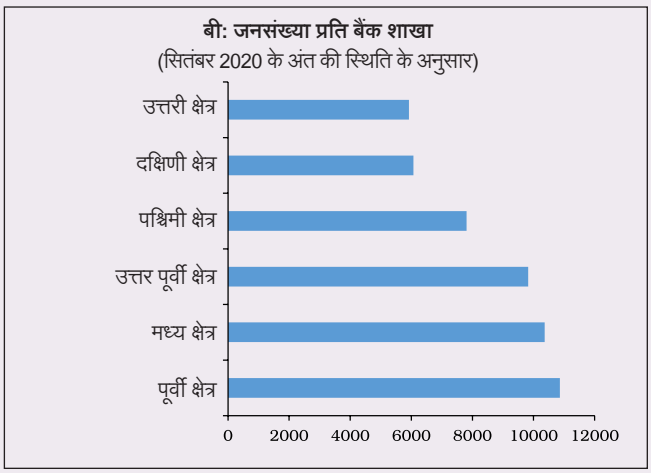

स्रोत : भा.रि. बैंक।

[10] अपलोड किए गए वित्तपोषित बीजकों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित

प्रायोजक बैंक द्वारा अपने आनुपातिक हिस्से को जारी करने की शर्त के अधीन है।

12.1 तुलन-पत्र विश्लेषण

IV.81 मार्च 2020 के अंत तक आरआरबी की समेकित तुलन-पत्र में वृद्धि पूंजी विस्तार से समर्थित रही जिसे पुनर्पूंजीकरण के साथ-साथ सावधि जमाओं के विस्तार से बल मिला। आस्तियों की ओर, आरआरबी ने ऋण और अग्रिम में धीमी वृद्धि को देखते हुए पूंजी का ऋण में निवेश किया। 2019-20 में आरआरबी की समेकित हानि दोगुनी से अधिक हो गई (सारणी IV.31) ।

IV.82 आरआरबी को पिछले वर्ष की तदनुरूप तिथि को कुल बकाया अग्रिम का 75 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के रूप में प्रदान करने का अधिदेश है। वर्ष 2019-20 में, आरआरबी ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिदेश से अधिक कुल 96 प्रतिशत का ऋण प्रदान किया। आरआरबी के ऋण पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर कृषि ऋण (70 प्रतिशत) और तत्पश्चात एमएसएमई को ऋण (12.0 प्रतिशत) और आवास (7.8 प्रतिशत) ऋण रहा (सारणी IV.32)।

सारणी IV.31: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम.	मद	मार्च की समाप्ती पर		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रतिशत में	
		2019	2020अ	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6
1	शेयर पूंजी	6,735	7,849	4.6	16.5
2	आरक्षित निधियाँ	25,398	26,817	0.8	5.6
3	जमाराशियाँ	4,34,444	4,78,547	8.5	10.2
	चालू	11,124	10,750	8.8	-3.4
	बचत	2,24,095	2,44,224	11.5	9.0
	मियादी	1,99,226	2,23,573	5.3	12.2
4	उधार	53,548	54,393	-7.1	1.6
	नाबार्ड से	46,894	46,120	2.1	-1.6
	प्रायोजक बैंक	3,738	4,519	-59.9	20.9
	अन्य	2,916	3,754	21.9	28.7
5	अन्य देयताएँ	17,864	25,372	17.3	42.0
	कुल देयताएँ/आस्तियां	5,37,989	5,92,978	6.5	10.2
6	उपलब्ध नकदी	2,913	2,860	4.4	-1.8
7	भा.रि. बैंक में उपलब्ध जमाशेष	17,897	16,744	13.2	-6.4
8	अन्य बैंकों के जमाशेष	5,469	7,613	-2.5	39.2
9	निवेश	2,26,172	2,49,155	1.8	10.2
10	ऋण और अग्रिम (निवल)	2,61,953	2,86,919	10.5	9.5
11	अचल संपत्ति	1,274	1,226	4.1	-3.8
12	अन्य आस्तियां#	22,311	28,462	10.1	27.6
	12.1 संचित हानि	2,887	6,467	54.7	124.0

नोट : 1. #: इसमें संचित हानि भी शामिल है।
2. अ – अनंतिम
3. ₹ करोड़ के आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है। निरपेक्ष अंकों को ₹करोड़ में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ी भिन्नता हो सकती है।

स्रोत : नाबार्ड

12.2 आरआरबी का वित्तीय निष्पादन

IV.83 अधिक एनपीए के कारण प्रावधान में वृद्धि और पेंशन योजना के लागू होने से बढ़े हुए वेतन बिलों के कारण परिचालनगत व्यय में तीव्र बढ़ोतरी के कारण आरआरबी ने लगातार दूसरे वर्ष निवल हानि दर्ज की। ब्याज और ब्याजेतर आय दोनों में सुदृढ़ वृद्धि के बावजूद, इसके परिचालन लाभ में भी गिरावट आई। पेंशन देयता के लिए प्रावधान और आस्ति गुणवत्ता में गिरावट के कारण आरआरबी की पूंजी कम हुई (सारणी IV.33)। आरआरबी का एनपीए पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में केंद्रित है, जो समग्र रूप में आरआरबी की हानि के लिए 31 प्रतिशत उत्तरदायी है (परिशिष्ट सारणी IV.14)।

सारणी IV.32: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम	उद्देश्य/मार्च-समाप्ती	2019	2020अ
1	2	3	4
I	**प्राथमिकता (i से v)**	**2,55,022**	**2,70,145**
	कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	90.8	90.6
	i कृषि	1,96,228	2,08,831
	ii सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	33,723	35,239
	iii शिक्षा	2,634	2,351
	vi आवास	18,238	19,750
	v अन्य	4,199	3,974
II	**गैर-प्राथमिकता (i से vi)**	**25,733**	**28,111**
	कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	9.2	9.4
	i कृषि	1	**9**
	ii सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	306	495
	iii शिक्षा	**72**	**75**
	iv आवास	2,606	3,477
	v व्यक्तिगत ऋण	6,392	7,157
	vi अन्य	16,356	16,898
कुल (I+II)		**2,80,755**	**2,98,256**

नोट : 1. अ : अनंतिम
2. ₹ करोड़ के आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ का मिलान कदाचित न हो।

स्रोत : नाबार्ड

सारणी IV.33: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम	मद	राशि		वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत में परिवर्तन	
		2018-19	2019-20अ	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6
ए	**आय (i + ii)**	**42,988**	**49,452**	**2.8**	**15.0**
	i ब्याज से होने वाली आय	38,931	43,698	1.5	12.2
	ii अन्य आय	4,057	5,754	16.5	41.8
बी	**व्यय (i+ii+iii)**	**43,639**	**51,658**	**8.2**	**18.4**
	i व्यय की गई ब्याज की राशि	23,716	25,985	-0.6	9.6
	ii परिचालनगत व्यय	13,803	18,651	25.3	35.1
	जिसमें से, वेतन बिल	9,379	12,842	33.1	36.9
	iii प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ	6,120	7,021	12.7	14.7
सी	**लाभ**				
	i परिचालनगत लाभ	5,459	4,523	-27.6	-17.2
	ii निवल लाभ	- 652	-2,206	-	-
डी	**कुल औसत आस्तियां**	**5,18,349**	**5,54,200**	**8.7**	**6.9**
ई	**वित्तीय अनुपात#**				
	i परिचालनगत लाभ	1.1	0.8		
	ii निवल लाभ	- 0.1	-0.4		
	iii आय (ए + बी)	8.3	8.9		
	(ए) ब्याज से होने वाली आय	7.5	7.9		
	(बी) अन्य आय	0.8	1.0		
	iv व्यय (ए+बी+सी)	8.4	9.3		
	(ए) खर्च की गई ब्याज राशि	4.6	4.7		
	(बी) परिचालनगत व्यय	2.7	3.4		
	जिसमें से, वेतन बिल	1.8	2.3		
	(सी) प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	1.2	1.3		
एफ़	**विश्लेषणात्मक अनुपात (%)**				
	सकल अनर्जक अस्ति अनुपात	10.8	10.4		
	सीआरएआर	11.5	10.3		

टिप्पणियाँ: 1. अ- अनंतिम.
2. # कुल आस्तियों के संबंध में वित्तीय अनुपात औसत प्रतिशत को दर्शाता है।
3. ₹ करोड़ के आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है। प्रतिशत परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत : नाबार्ड।

13. स्थानीय क्षेत्र बैंक

IV.84 एससीबी के अनुरूप ही, 2019-20 में एलएबी के समेकित तुलन-पत्र में भी गिरावट आई। हालांकि, एससीबी के विपरीत, इस गिरावट का मूल कारण जमाराशियन रहीं जबकि सकल अग्रिमों में वृद्धि हुई (सारणी IV.34)। परिणामस्वरूप, एलएबी का ऋण-जमाराशि अनुपात पिछले वर्ष के 75 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में बढ़कर 81 प्रतिशत हो गया, जबकि एससीबी के मामले में यह कम हो गया।

13.1 एलएबी का वित्तीय प्रदर्शन

IV.85 ऐसे समय में जब ब्याज दरें कम हैं, एलएबी की ब्याज आय में वृद्धि औसत रही, जबकि बैंकों द्वारा पोर्टफोलियो में

सारणी IV.34: स्थानीय क्षेत्र बैंकों का प्रोफ़ाइल
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20
1. आस्तियां	926.4	1026.0
	(13.0)	(10.8)
2. जमाराशियाँ	746.9	813.8
	(14.7)	(9.0)
3. सकल अग्रिम	559.7	660.5
	(8.9)	(18.0)

टिप्पणियां : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाते हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ, वैश्विक परिचालन, भा.रि. बैंक

विविधता लाने के कारण ब्याजेतर आय में वृद्धि हुई। आय की तुलना में व्यय में धीमी वृद्धि से इनकी लाभप्रदता में वृद्धि हुई (सारणी IV.35)।

सारणी IV.35: स्थानीय क्षेत्र बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन
(मार्च के अंत में)

	राशि करोड़ में		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रतिशत में	
	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1. आय (i+ii)	118	135	1.7	14.9
i) ब्याज से होने वाली आय	97	107	7.6	10.6
ii) अन्य आय	21	28	-19.0	35.0
2. व्यय (i+ii+iii)	107	121	8.6	13.9
i) व्यय की गई ब्याज राशि	45	52	7.3	14.8
ii) प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां	9	13	-6.4	53.8
iii) परिचालनगत व्यय	53	56	12.6	6.7
जिसमें से, वेतन बिल	24	26	22.2	8.1
3. लाभ				
i) परिचालनगत लाभ/हानि	20	27	-26.3	37.3
ii) निवल लाभ/हानि	11	14	-36.7	24.6
4. निवल ब्याज आय	52	55	7.9	6.9
5. कुल आस्तियां	926	1,026	13.0	10.8
6. वित्तीय अनुपात @				
i. परिचालनगत लाभ	2.1	2.7		
ii. निवल लाभ	1.2	1.4		
iii. आय	12.7	13.2		
iv. ब्याज से होने वाली आय	10.4	10.4		
v. अन्य आय	2.3	2.8		
vi. व्यय	11.5	11.8		
vii. खर्च की गई ब्याज राशि	4.9	5.0		
viii. परिचालनगत व्यय	5.7	5.5		
ix. वेतन बिल	2.6	2.6		
x. प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ	0.9	1.3		
xi. निवल ब्याज आय	5.6	5.4		

टिप्पणी: 1. वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय अनुपात की गणना केवल संबन्धित वर्ष की आस्तियों के आधार पर की गई है।
2. @ पिछले दो वर्षों की औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अनुपात
3. 'वेतन बिल' कर्मचारियों को किए गए भुगतान और उनके लिए किए गए प्रावधानों के रूप में लिए गए हैं।

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियाँ, वैश्विक परिचालन, भा.रि. बैंक।

14. लघु वित्त बैंक

IV.86 छोटे व्यवसायों, सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित क्षेत्र सहित समाज के वंचित और अल्प-सेवा वाले वर्गों को जमा और उधार देना जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं, प्रदान करने के लिए लघु वित्त बैंक (एसएफबी) की स्थापना 2016 में की गई थी। मार्च 2020 के अंत तक दस एसएफबी परिचालनरत थे।

14.1 एसएफ़बी के तुलन-पत्र

IV.87 पिछले कुछ वर्षों में विकास के साथ कदम से कदम मिलाते हुए, 2019-20 में बैंक उधार पर एसएफबी की निर्भरता और कम हुई और देयताओं में 60 प्रतिशत से अधिक योगदान जमाराशियों का रहा। आस्तियों में, हालांकि, ऋण और अग्रिमों में गिरावट के कारण तुलन-पत्र की वृद्धि में निवेश ने अहम योगदान दिया (सारणी IV.36)।

सारणी IV.36: लघु वित्त बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम		2019	2020	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रतिशत में
1	शेयर पूंजी	4,759.6	5,151.0	8.2
2	आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	6,967.1	11,047.0	58.6
3	टीअर II बॉण्ड टीअर II कर्ज	3,831.0	3,795.0	-0.9
4	जमाराशियाँ	55,686.3	82,488.0	48.1
	4.1 चालू मांग जमाराशियाँ	2,155.0	2,381.0	10.5
	4.2 बचत	7,669.1	10,284.0	34.1
	4.3 मीयादी	45,862.1	69,823.0	52.2
5	उधारियाँ (टीअर II बॉण्ड सहित)	27,838.9	30,004.0	7.8
	5.1 बैंक	3,466.3	3,784.0	9.2
	5.2 अन्य	24,372.4	25,948.0	6.5
6	अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	3,672.5	4,078.0	11.0
कुल देयताएँ/आस्तियां		**98,884.0**	**1,32,689.0**	**34.2**
7	उपलब्ध नकद राशि	461.3	976.0	111.6
8	भा.रि.बैं. में धारित जमाराशियाँ	3,162.1	4,082.0	29.1
9	अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों में धारित जमाशेष	4,601.8	8,701.0	89.1
10	निवेश	17,287.0	24,203.0	40.0
11	ऋण एवं अग्रिम	69,856.8	90,576.0	29.7
12	स्थायी आस्तियां	1,642.7	1,649.0	0.4
13	अन्य आस्तियां	1,913.3	2,580.0	34.8

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियाँ, (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

14.2 एसएफ़बी का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देना

IV.88 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम में एसएफ़बी की हिस्सेदारी में 2019-20 में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट आई। उनका ध्यान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा इसके बाद कृषि पर केन्द्रित रहा। कुल अग्रिमों के अनुपात में आवास की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई (सारणी IV.37)।

14.3 एसएफ़बी का वित्तीय प्रदर्शन

IV.89 वर्ष 2019-20 के दौरान, एसएफ़बी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, जिससे प्रावधानों और आकस्मिक व्यय अपेक्षाओं में काफी कमी आई जबकि उनके सीआरएआर में भी सुधार हुआ (सारणी IV.38)।

15. भुगतान बैंक

IV.90 भुगतान बैंक वह विशिष्ट बैंक हैं जो वित्तीय समावेशन के लिए तकनीक की सेवाओं का प्रयोग करते हैं और जिनका लक्ष्य मुख्यतः लघु कारोबारों और अल्प-आय वाले हाउसहोल्ड्स पर है । उनका व्यवसाय मॉडल लघु प्रेषण पर ध्यान केंद्रित करता है जो डिजिटल वॉलेट में संचित किए जाते हैं जो बदले में, वस्तु और सेवाओं की खरीद के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक नवीन व्यवसाय मॉडल होने के कारण इनमें विशेष रूप से शुरुआत में भारी उपरिलागत की आवश्यकता होती है, इनमें से अधिकांश बैंक लाभप्रद नहीं हुए हैं।

सारणी IV.37: लघु वित्त बैंकों द्वारा प्रदान किया गया उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम

(कुल अग्रिम में हिस्सेदारी)

उद्देश्य	मार्च-अंत-2019	मार्च-अंत-2020
I प्राथमिकता (i से v)	**78.1**	**75.0**
कुल बकाया ऋणों का प्रतिशत		
i. कृषि एवं सहयोगी गतिविधियां	24.6	23.0
ii. सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम	35.0	35.8
iii. शिक्षा	0.0	0.1
iv. आवास	2.7	3.9
v. अन्य	15.8	12.3
II गैर-प्राथमिकता (i से vi)	**21.9**	**25.0**
कुल (I+II)	**100**	**100**

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

सारणी IV.38: लघु वित्त बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम	मद	2018-19	2019-20	वर्ष दर वर्ष वृद्धि
1	2	3	4	5
ए	**आय (i + ii)**	**13,239.0**	**19,219.0**	**45.2**
i	ब्याज से होने वाली आय	11,819.0	16,948.0	43.4
ii	अन्य आय	1,421.0	2,271.0	59.8
बी	**व्यय (i+ii+iii)**	**13,756.0**	**17,251.0**	**25.4**
i	खर्च की गई ब्याज की राशि	5,500.0	7,928.0	44.1
ii	परिचालनगत व्यय	5,728.0	7,152.0	24.9
	जिसमें से स्टाफ पर व्यय	2,962.0	3,811.0	28.7
iii	प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ	2,529.0	2,171.0	-14.2
सी	**लाभ (कर से पहले)**	**-188.0**	**2,679.0**	
i	परिचालनगत लाभ (आईबीपीटी)	1,802.0	4,141.0	129.8
ii	निवल लाभ (पीएटी)	-727.0	1,968.0	
डी	**कुल आस्तियां**	**98,884.0**	**1,32,689.0**	**34.2**
ई	**वित्तीय अनुपात #**			
i	परिचालनगत लाभ	1.82	3.12	
ii	निवल लाभ	-0.74	1.48	
iii	आय (ए + बी)	13.39	14.48	
	ए. ब्याज से होने वाली आय	11.95	12.77	
	बी. अन्य आय	1.44	1.71	
iv	व्यय (ए+बी+सी)	13.91	13.00	
	ए. खर्च की गई ब्याज की राशि	5.56	5.97	
	बी. परिचालनगत व्यय	5.79	5.39	
	जिसमें से स्टाफ पर किए गए व्यय	3.00	2.87	
	सी. प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ	2.56	1.64	
एफ़	**विश्लेषणात्मक अनुपात (%)**			
	सकाल अनर्जक अस्ति अनुपात	2.35	1.87	
	सीआरएआर	16.7	20.2	
	कोर सीआरएआर	13.1	17.2	

टिप्पणी : # कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
स्रोत : ऑफ साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

15.1 तुलन-पत्र

IV.91 मार्च 2020 के अंत में, पिछले वर्ष के सात की तुलना में छह पीबी परिचालन में थे चूंकि एक पीबी ने अपना लाइसेंस वापस कर दिया। जमाराशियों में अत्यधिक वृद्धि से पीबी के समेकित तुलन-पत्र 2019-20 में वृद्धि हुई जबकि देयताओं में इनकी हिस्सेदारी, प्रति खाता 1 लाख की सीमा के बावजूद 2018-19 के 12.3 प्रतिशत की तुलना में दोगुने से भी अधिक बढ़कर 27.4 प्रतिशत हो गई। चूंकि इन बैंकों को उधार देने की अनुमति नहीं है, फिर भी निवेश में तेज़ी और बैंकों में जमशेष के कारण इनकी आस्तियों में वृद्धि हुई (सारणी IV.39)।

सारणी IV.39: भुगतान बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

	मद	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20
1.	कुल पूंजी एवं आरक्षित निधियाँ	1,848	1,899	1,862
2.	जमाराशियाँ	438	882	2,306
3.	अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	2,606	4,392	4,256
	कुल देयताएँ/आस्तियां	**4,892**	**7,172**	**8,425**
1.	भा.रि. बैंक में उपलब्ध नकद एवं जमाशेष	358	712	785
2.	बैंकों और मुद्रा बाज़ार में जमा शेष राशि	1,243	1,375	2,101
3.	निवेश	2,449	3,136	4,077
4.	स्थायी आस्तियां	236	638	353
5.	अन्य आस्तियां	606	1,311	1,108

टिप्पणी : मार्च 2018 के अंत, मार्च-2019 के अंत और मार्च-2020 के अंत के ये अंकड़ें क्रमशः 5, 7 तथा 6 पीबी से संबधित हैं, इस प्रकार यह आंकड़े वर्षवार तुलना करने योग्य नहीं है।
स्रोत : ऑफ साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

15.2 वित्तीय प्रदर्शन

IV.92 निवल ब्याज आय और ब्याजेतर आय दोनों में सुधार के बावजूद, पीबी के समेकित तुलन-पत्र में उच्च परिचालन व्यय के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 में हानि हुई। इन बैंकों के सीमित परिचालन स्थान के साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना में उच्च प्रारंभिक लागतों का अर्थ है कि इनके प्रारंभिक वर्ष ग्राहक आधार के विस्तार में लगेंगे और उन्हें संतुलन बिन्दु तक पहुँचने में समय लगेगा। (सारणी IV.40)।

सारणी IV.40: भुगतान बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

		मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20
ए	**आय (i + ii)**			
	i. ब्याज से होने वाली आय	175.6	290.8	349.3
	ii. अन्य आय	1,003.6	2,099.1	3,115.0
बी	**व्यय**			
	i. खर्च की गई ब्याज की राशि	24.5	35.4	62.3
	ii. परिचालनगत व्यय	1,676.8	3,265.3	4,337.4
	प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ			
	जिसमें से			
	जोखिम प्रावधान	-6.6	2.3	2.7
	कर प्रावधान	1.0	16.1	-107.1
सी	**निवल ब्याज आय**	151.2	255.4	287.0
डी	**लाभ**			
	i. परिचालनगत लाभ (ईबीपीटी)	-522.0	-910.8	-935.3
	ii. निवल लाभ/हानि	-517.2	-937.1	-833.0

टिप्पणी: मार्च 2018 के अंत, मार्च-2019 के अंत और मार्च-2020 के अंत के ये अंकड़ें क्रमशः 5, 7 तथा 6 पीबी से संबधित हैं, इस प्रकार यह आंकड़े वर्षवार तुलन योग्य नहीं है।
स्रोत: ऑफ साइट विवरणी (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

IV.93 दक्षता, जिसे लागत की तुलना में आय अनुपात के संदर्भ में मापा जाता है में सुधार हुआ, जबकि निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में गिरावट आई है। लगातार तीसरे वर्ष हानि में हो रही कमी को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है (सारणी IV.41)।

सारणी IV.41: भुगतान बैंकों के चुनिंदा वित्तीय अनुपात

मद	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20
1. आस्तियों पर प्रतिलाभ	-10.6	-13.1	-9.9
2. इक्विटि पर प्रतिलाभ	-28.0	-49.4	-44.7
3. कुल आस्तियों की तुलना में निवेश	50.1	43.7	48.4
4. निवल ब्याज मार्जिन	4.5	6.1	4.8
5. दक्षता (लागत-आय अनुपात)	142.2	136.6	125.2
6. कार्यशील पूंजी पर परिचालनगत लाभ	-10.7	-12.7	-11.1
7. लाभ मार्जिन	-43.9	-39.2	-24.0

टिप्पणी: मार्च 2018 के अंत, मार्च-2019 के अंत और मार्च-2020 के अंत के ये अंकड़ें क्रमशः 5, 7 तथा 6 पीबी से संबधित हैं, इस प्रकार यह आंकड़े वर्षवार तुलन योग्य नहीं है।
स्रोत: ऑफ साइट विवरणी (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

15.3 आवक और जावक विप्रेषण

IV.94 वर्ष 2019-20 में, मूल्य और मात्रा दोनों ही मामले में भुगतान बैंकों के कुल प्रेषण कारोबार में यूपीआई के माध्यम से आवक और जावक विप्रेषण की सबसे बड़े हिस्सेदारी रही। वस्तुतः मूल्य के संदर्भ में 46 प्रतिशत से अधिक आवक और 37 प्रतिशत जावक विप्रेषण यूपीआई चैनल के माध्यम से किए गए। इसमें दूसरा स्थान आईएमपीएस चैनल का रहा, जिसके माध्यम से 9.3 प्रतिशत आवक और 24.5 प्रतिशत जावक विप्रेषण किए गए। आरटीजीएस चैनल ने अपनी हिस्सेदारी में मजबूत वृद्धि दर्ज की, जिसमें इसके माध्यम से बहिर्वाह की 13.2 प्रतिशत और अंतर्वाह की 22.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी दर्ज की गई (सारणी IV.42)।

सारणी IV.42: भुगतान बैंकों के माध्यम से विप्रेषण

(संख्या हज़ार में, राशि ₹ करोड़ में)

माध्यम	2018-19				2019-20			
	आवक विप्रेषण		जावक विप्रेषण		आवक विप्रेषण		जावक विप्रेषण	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. एनईएफ़टी	4,763	67,035	6,819	13,16,665	8,980	19,398	14,084	43,593
	(0.3)	(0.4)	(0.3)	(3.5)	(0.4)	(5.3)	(0.6)	(10.1)
i) बिल भुगतान	182	2,956	1,367	11,29,717	633	6,103	4,214	8,151
	(0.0)	(0.0)	(0.1)	(3.0)	(0.0)	(1.7)	(0.2)	(1.9)
ii) बिल भुगतान को छोड़कर अन्य	4,581	64,079	5,452	1,86,949	8,348	13,296	9,870	35,442
	(0.2)	(0.4)	(0.3)	(0.5)	(0.4)	(3.6)	(0.4)	(8.2)
2. आरटीजीएस	34	33,204	7	17,629	198	81,411	73	56,794
	(0.0)	(0.2)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(22.2)	(0.0)	(13.2)
3. आईएमपीएस	1,04,045	11,69,970	1,84,482	1,55,55,000	1,40,688	34,309	3,45,218	1,05,366
	(5.6)	(6.7)	(8.9)	(41.8)	(6.8)	(9.3)	(15.0)	(24.5)
4. यूपीआई	13,02,082	1,60,94,995	13,17,627	2,02,64,339	14,42,274	1,70,998	14,53,701	1,60,976
	(69.8)	(92.5)	(63.6)	(54.4)	(69.4)	(46.6)	(63.2)	(37.4)
5. ई-वॉलेट	3,98,339	24,186	5,04,639	52,249	3,39,601	23,427	4,03,157	41,274
	(21.4)	(0.1)	(24.4)	(0.1)	(16.3)	(6.4)	(17.5)	(9.6)
6. माइक्रो ईटीएम (पीओएस)	8,905	3,576	165	57	47,362	16,746	694	229
	(0.5)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(2.3)	(4.6)	(0.0)	(0.1)
7. एटीएम	–	–	1,772	505	–	–	3,749	1,169
	–	–	(0.1)	(0.0)	–	–	(0.2)	(0.3)
8. अन्य	45,979	12,657	56,530	16,931	1,00,450	20,740	78,402	21,515
	(2.5)	(0.1)	(2.7)	(0.0)	(4.8)	(5.7)	(3.4)	(5.0)
कुल	18,64,148	1,74,05,623	20,72,041	3,72,23,375	20,79,551	3,67,030	22,99,078	4,30,916

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं; -: शून्य/नगण्य।
2. वर्ष 2018-19 और 2019-20 के आंकड़े तुलना करने योग्य हैं क्योंकि क्रमशः सात और छह पीबी थे।
स्रोत : ऑफ साइट विवरणी (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

16. समग्र आकलन

IV.95 आर्थिक गतिविधि में क तीव्र गिरावट और निवेश मांग में कमी से जूझ रहे समष्टि-आर्थिक और वित्तीय वातावरण को कोविड-19 ने और खराब कर दिया। हालांकि, कम गिरावट, उच्च पूंजीगत बफ़र और प्रावधानों से बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ, किन्तु उच्च एनपीए जोखिम में वृद्धि का कारण बना और ऋण आपूर्ति में कमी आई। वर्ष 2020-21 में अब तक, विवादित गैर-बैंक मध्यस्थों की धारणा के बीच बैंकों की सुरक्षित छवि के कारण बैंकों की जमाराशि में वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के घातक प्रभाव से ऋण मांग में कमी के कारण बैंकों ने न्यून ऋण के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए सुरक्षित सरकारी प्रतिभूति में धन निवेश करने को प्राथमिकता दी। ऋण अधिकता की प्रत्याशा में, बैंकों ने विनियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए और ऋण मांग वापस आने पर ऋण देने के लिए तैयार रहने के लिए अपने पूंजी आधार को सुदृढ़ करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की।

IV.96 रिजर्व बैंक ने महामारी को ध्यान में रखते हुए बैंक तुलन-पत्र, कॉरपोरेट और हाउसहोल्ड्स पर तनाव दूर करने के लिए समय पर उपाय प्रारम्भ किए। ऋणस्थगन अवधि की समाप्ति के साथ प्रस्तावों के पुनर्रचित करने की समयसीमा तेजी से खत्म हो रही है और आस्ति गुणवत्ता विराम के हटाए जाने की संभावना से आस्ति गुणवत्ता और भावी आय की दृष्टि से बैंकों की वित्तीय स्थितियों के प्रभावित होने की संभावना है। निश्चित ही इसमें मजबूत पूंजीगत सुरक्षा और प्रावधानों से मदद मिलेगी तथापि पारदर्शी आस्ति गुणवत्ता की पहचान करना समय की आवश्यकता है। भविष्य में, बैंकों को इन चुनौतियों के कारण तेजी से विकसित हो रहे आर्थिक परिदृश्य और साथ ही साथ नए सहभागियों और उभरती वित्तीय प्रौद्योगिकियों के प्रवेश के लिए स्वयं को अनुकूलित और समायोजित करना होगा।